सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त

सत्यमेव जयते

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

राज्य के वित्त

हिमाचल प्रदेश सरकार

अनुक्रमणिका

परिशिष्ट

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय-I व अध्याय-II में 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों व विनियोजन लेखों की जांच से उजागर मामलों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं। जहां भी आवश्यक था, हिमाचल प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

'वित्तीय रिपोर्टिंग' पर अध्याय-III चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों से सम्बंधित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा प्रास्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणाम का प्रतिवेदन तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उजागर हुई अभ्युक्तियों से समाविष्ट प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों से अंतर्विष्ट प्रतिवेदन पृथक-पृथक रूप से प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के साथ-साथ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005, जिसे 2011 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुन: संशोधित किया गया, के अंतर्गत स्थापित बजट आकलनों, प्रकल्पित लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रस्तुत किया गया है तथा सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों की ढांचागत रूप रेखा एवं महत्त्वपूर्ण प्राप्तियों का विश्लेषण करता है।

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखों तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना जैसे विभिन्न स्रोतों से एकत्रित अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध है।

अध्याय-I वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह 31 मार्च 2014 को हिमाचल प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा करता है। यह प्राप्तियों एवं संवितरणों, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय एवं निवेश की वित्तीय संवीक्षा, ऋण स्थायित्व तथा राजकोषीय असंतुलनों का समयावली लेखा उपलब्ध करवाता है।

अध्याय- II विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण प्रस्तुत करता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, कोषागारों के प्रचालन में कमियों तथा चयनित अनुदानों की संवीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करता है।

अध्याय- III विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं तथा वित्तीय नियमावली की हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई अनुपालना की एक सूची है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय I

राज्य सरकार के वित्त

2011-12 के दौरान राजस्व घाटा जिसे शून्य तक ले जाना था तथा अनुरक्षित राजस्व अधिशेष तदोपरान्त प्राप्त नहीं किया जा सका। राजकोषीय मानदण्डों अर्थात राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे में प्रवाह 2012-13 में क्रमश: ₹ 576 करोड़, ₹ 2979 करोड़ तथा ₹ 609 करोड़ थी जो 2013-14 में क्रमश: ₹ 1641 करोड़, ₹ 4011 करोड़ तथा ₹ 1530 करोड़ तक बढ़ गई।

2013-14 के दौरान भारत सरकार ने राज्य बजट के मार्ग से न भेजते हुए विभिन्न राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 1,671 करोड़ सीधे ही हस्तांतरित किये। चूंकि ये निधियां राज्य बजट में से नहीं जाती, वित्त लेखे केन्द्र सरकार के संसाधनों की निधि प्रवाह की राज्य में पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते।

विगत पांच वर्षों में सरकार पर सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों तथा ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों में निवेशों का औसतन प्रतिफल 2.24 से 3.62 *प्रतिशत* के मध्य भिन्नता बनाए हुए था जबकि सरकार ने उधारों पर 7.71 से 8.59 *प्रतिशत* के औसत ब्याज दर पर भुगतान किया था।

दो विभागों की 12 परियोजनाएं जो जुलाई 2005 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य पूर्ण की जानी निर्धारित थी अभी भी अपूर्ण पड़ी थी (मार्च 2014)। अपूर्ण परियोजनाओं की बढी हुई समय-सीमा कम करने की आवश्यकता है।

11 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएं ₹ 33,884 करोड़ थी तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 41 *प्रतिशत* तथा राजस्व प्राप्तियों का 216 *प्रतिशत* थी। कुल लोक ऋण में बाजार ऋणों का हिस्सा 2009-10 में 51.63 *प्रतिशत* से बढ़कर 2013-14 में 58.69 *प्रतिशत* हो गया। 2017-18 तथा 2018-19 वर्षों के दौरान बकाया ऋण के क्रमश: 15.10 *प्रतिशत* तथा 15.49 *प्रतिशत* ऋणमुक्ति पर सार्थक दबाव सहित परिपक्व राशि आगामी सात वर्षों की तुलना में बकाया बाजार ऋणों की 10.07 *प्रतिशत* थी।

अध्याय II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

वर्ष 2013-14 के दौरान पंजीकृत किए गये अनुदान/विनियोजन के अंतर्गत ₹ 1,410.55 करोड़ की समस्त बचत ₹ 474.86 करोड़ की बचतों द्वारा प्रतिसंतुलित ₹ 1885.41 करोड़ के आधिक्य का निवल परिणाम था। 2009-13 वर्षों के ₹ 4581.03 करोड़ सहित 2013-14 के ₹ 474.86 करोड़ के अधिक व्यय का विधान सभा द्वारा नियमन अपेक्षित है।

26 मामलों में वित्तीय वर्ष के अंतर्गत ₹ 1331.08 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक अभ्यर्पित) अभ्यर्पित किये गए थे। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के उदाहरणों के परिणामस्वरूप 57 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ एक करोड़ से अधिक का आधिक्य/बचतें हुई।

बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए ₹ 13.59 करोड़ की राशि की निधियां आहरित की गई तथा सिविल जमाओं के अंतर्गत रखी गई। 10 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) में प्राप्त किया गया समेकित ₹ 387.62 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि मूल प्रावधान इन मामलों में व्यय के अनुरूप पर्याप्त थे

अध्याय III

वित्तीय रिपोर्टिंग

31 मार्च 2014 तक ₹ 1,627.59 करोड़ की राशि के ऋणों एवं अनुदानों के सम्बंध में 17,027 उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ।

राज्य सरकार ने दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के ₹ 80.67 लाख सरकारी धन राशि से अन्तर्ग्रस्त 49 मामलों को प्रतिवेदित किया जिन पर जून 2014 तक अंतिम कार्रवाई लम्बित थी। इनमें से 42 मामले पांच वर्ष से पुराने थे।

2013-14 के दौरान ₹ 2,493 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 15.87 *प्रतिशत)* तथा ₹ 523.70 करोड़ (कुल व्यय का 2.73 *प्रतिशत*) राशि की प्राप्तियां बहुप्रयोजन लघु-शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां/व्यय के अंतर्गत 2013-14 के दौरान राज्य के लेखों को उस सीमा तक अपारदर्शी रूप से प्रस्तुत की गई थी।

अध्याय-I

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - I

राज्य सरकार के वित्त

1.1 परिचय

यह अध्याय चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार के वित्त का विस्तृत परिदृश्य दर्शाता है तथा गत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों के दृष्टिगत विगत वर्ष से सम्बन्धित मुख्य राजकोषीय योगों में मुख्य भिन्नताओं का विश्लेषण करता है। वर्ष 2012-13 में ₹ 576 करोड़ का राजस्व घाटा 2013-14 के दौरान ₹ 1641 करोड़ बढ़ गया। वर्ष 2012-13 में ₹ 2979 करोड़ का राजकोषीय घाटा बढ़कर 2013-14 के दौरान ₹ 4011 करोड़ (**परिशिष्ट 1.3**) हो गया जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.86 *प्रतिशत* था। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (वर्ष 2011 में संशोधित) में तीन *प्रतिशत* के लक्ष्य से अधिक था। हिमाचल प्रदेश, भारत सरकार द्वारा किये गये राज्यों के वर्गीकरण पर आधारित एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है। जहां बिना विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केन्द्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता का अनुपात 30 *प्रतिशत* अनुदान तथा 70 *प्रतिशत* ऋण है, वहीं हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार द्वारा विशेषाधिकार के रूप में वित्तीय सहायता का अनुपात 90 *प्रतिशत* अनुदान तथा 10 *प्रतिशत* ऋण है।

राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र (55,673 वर्ग कि0मी0) की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह 20वां सबसे बड़ा राज्य है। जैसाकि **परिशिष्ट-1** में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या 2001 में 0.61 करोड़ से बढ़कर 2011 में 0.69 करोड़ हो गई, जिससे 13 *प्रतिशत* की एक दशकीय वृद्धि हुई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता आठ *प्रतिशत* थी, जो अखिल भारतीय औसत (27.5 *प्रतिशत*) से कम थी। 2013-14 में चालू मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 82,585 करोड़ था। राज्य में विगत दशक में आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण विकास हुआ है तथा इसके राज्य सकल घरेलू उत्पाद[1] की मिश्रित विकास दर 2004-05 से 2013-14 की अवधि के लिए 13.12 *प्रतिशत* (**परिशिष्ट 1**) रही है।

चालू मूल्यों पर 2013-14 में राज्य का सकल राज्य घरेलु उत्पाद ₹ 82,585 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 76.50 *प्रतिशत* (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 83.78 *प्रतिशत* (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई। वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 92,300[2] थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

चालू मूल्यों पर राज्य तथा भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि के प्रवाह **तालिका 1.1** में इंगित किए गए हैं।

सकल घरेलू उत्पाद/सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि के प्रवाह

(₹ करोड़)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भारत का सकल राज्य उत्पाद (करोड़ में)	61,08,903	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807
सकल राज्य उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.18	18.66	15.77	11.88	11.54
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ में)	48,189	57,452	64,957	73,710	82,585
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	16.17	19.22	13.06	13.48	12.04

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

चालू मूल्यों पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर 2009-14 की अवधि के दौरान वर्ष 2011-12 को छोड़कर राष्ट्र की वार्षिक वृद्धि दर से अधिक थी।

---

1 *परिशिष्ट-4 में शब्दावली का संदर्भ लें।*

2 *अग्रिम आंकड़ा*

1.1.1 वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.2 विगत वर्ष (2012-13) की तुलना में चालू वर्ष (2013-14) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है। **परिशिष्ट 1.4** चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण तथा समग्र राजकोषीय स्थिति दर्शाता है।

तालिका 1.2

2013-14 में राजकोषीय प्रचालनों का सारांश

(₹ करोड़)

प्राप्तियां	2012-13	2013-14	संवितरण	2012-13	2013-14		
	कुल	कुल		कुल	आयोजनेत्तर	योजनागत	योग
प्रवर्ग -क: राजस्व							
कर राजस्व	4,626	5,121	सामान्य सेवाएं	6,618	7,005	41	7,046
कर-भिन्न राजस्व	1,377	1,785	सामाजिक सेवाएं	6,131	5,238	1,468	6,706
संघीय करों/शुल्कों का भाग	2,282	2,491	आर्थिक सेवाएं	3,418	2,713	878	3,591
भारत सरकार से अनुदान	7,313	6,314	सहायता अनुदान तथा अंशदान	7	9	--	9
राजस्व प्राप्तियां	**15,598**	**15,711**	राजस्व व्यय	**16,174**	**14,965**	**2,387**	**17,352**
प्रवर्ग -ख: पूंजीगत तथा अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	--	पूंजीगत परिव्यय	1,955	42	1,815	1,856
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	21	17	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	469	--	--	531
लोक ऋण प्राप्तियां	3,371	4,050[3]	लोक ऋण की चुकौती	2,117	--	1,704	1,704
आकस्मिकता निधि	--	--	आकस्मिकता निधि	--	--	--	--
लोक लेखा प्राप्तियां#	9,146	10,300	लोक लेखा संवितरण#	8,285	--	--	9,227
अथ रोकड़ शेष	569	(-) 295	अंत रोकड़ शेष	(-) 295	--	--	(-) 887
योग	**28,705**	**29,783**	योग	**28,705**			**29,783**

स्रोत: वित्त लेखे

 # अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों की निवल संख्याएं राज्य संसाधनों की संवीक्षा हेतु ली गई हैं।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 113 करोड़ (एक *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि कर-राजस्वों (₹ 495 करोड़), संघीय करों/शुल्कों का अंश (₹ 209 करोड़), कर-भिन्न राजस्व (₹ 408 करोड़) में वृद्धि तथा सहायता अनुदानों (₹ 999 करोड़) में हुई कमी का शुद्ध परिणाम था।
- राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 1,178 करोड़ (7.29 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि आयोजनेत्तर व्यय तथा योजनागत व्यय में क्रमश: ₹ 870 करोड़ तथा ₹ 308 करोड़ थी। पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान ₹ 99 करोड़ (पांच *प्रतिशत*) की कमी हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान क्रमश: लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 679 करोड़ (20 *प्रतिशत*) बढ़ गई थी जबकि लोक ऋण के अंतर्गत संवितरण ₹ 413 करोड़ (20 *प्रतिशत*) घट गया था।
- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों तथा संवितरणों में क्रमश: ₹ 1154 करोड़ (13 *प्रतिशत*) तथा ₹ 942 करोड़ (11 *प्रतिशत*) की वृद्धि थी।
- अथ नकद शेष में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के अन्त तक ₹ 592 करोड़ की कमी आई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के प्रति मुख्य राजकोषीय परिवर्तनों पर राज्य सरकार का निष्पादन निम्नवत् **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है

[3] वास्तविक मूल्य ₹ 4050.70 करोड़

तालिका 1.3
मुख्य राजकोषीय घटक

राजकोषीय घटक	2013-14						
	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण में किए गए प्रक्षेप	वास्तविक	वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत परिवर्तन		
					राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण के प्रक्षेप
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) /सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत* में)	राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण	0.07	0.53	(-) 1.99	--	(-)2942.86	(-) 475.47
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत* में)	3.00 या कम	2.85	2.72	4.86	0.62	70.53	78.68
सरकार के कुल बकाया ऋण* सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (*प्रतिशत* में)	42.10	37.95	38.30	41.03*	प्राप्त किया	(-)8.12	(-)7.13

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे

**इसमें राज्य सरकार के लोक ऋण तथा अन्य उत्तरदायित्व शामिल हैं।*

वर्ष 2013-14 के लिए बजट प्राक्कलनों में सकल राज्य घरेलु उत्पाद के 0.07 *प्रतिशत* राजस्व अधिशेष *के प्रति राजस्व घाटा* 1.99 *प्रतिशत* था। वित्त विभाग ने विगत वर्ष की तुलना में ₹ 1,178 करोड़ राजस्व व्यय में हुई वृद्धि को तथा 2013-14 के लिए बजट आकलनों के प्रति ₹ 1,990 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों के न्यून संग्रहण को राजस्व घाटे में हुई वृद्धि का कारण माना। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, बजट तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण में उल्लिखित क्रमशः तीन, 2.85 तथा 2.72 *प्रतिशत* के लक्ष्य के प्रति राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पादन का 4.86 *प्रतिशत* था। बजट तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण में निर्धारित लक्ष्य के प्रति वर्ष 2013-14 के दौरान कुल बकाया ऋण के प्रति सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात प्राप्त नहीं किया गया था।

1.1.3 बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रलेख एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष के प्रक्षेपों का विवरण अथवा आय तथा व्यय के अनुमान उपलब्ध करवाते हैं। समूचे आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीतियों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के संदर्भ में राजस्व तथा व्यय के प्राक्कलन की शुद्धता का महत्व व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। 2013-14 के कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय प्राचलों के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े **चार्ट 1.1** में दर्शाए जाते हैं:

चार्ट 1.1: चयनित राजकोषीय मापदंड: बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े

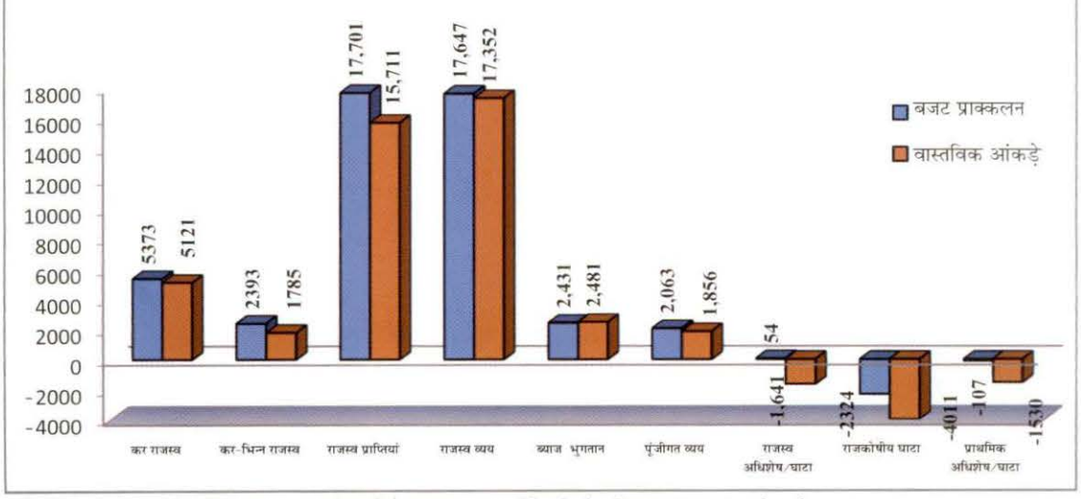

स्रोत: आय तथा व्यय (जनवरी 2014) तथा वित्त लेखे 2013-14 / वार्षिक वित्तीय विवरण 2013-14 की समीक्षा

जैसा कि **चार्ट 1.1** से देखा जाएगा, अनेक मापदंडों के मामले में बजट प्राक्कलनों तथा वास्तविक आंकड़ों में बहुत भिन्नताएं थी। वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹ 1,990 करोड़ (11.24 *प्रतिशत*) कम थी तथा राजस्व व्यय ₹ 295 करोड़ (1.67 *प्रतिशत*) कम था, जिसके फलस्वरूप बजट में अनुमानित ₹ 54 करोड़ के राजस्व अधिशेष के प्रति ₹ 1,641 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। वास्तविक राजकोषीय घाटा ₹ 1,687 करोड़ अधिक था, जबकि अनुमानित प्राथमिक ₹ 107 करोड़ का घाटा बजट आकलन से ₹ 1,423 करोड़ अधिक था। अनुमानित ₹ 2,393 करोड़ के कर-भिन्न राजस्व के प्रति 2013-14 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वास्तविक वसूली ₹ 608 करोड़ (25 *प्रतिशत*) कम थी। ₹ 2,063 करोड़ के अनुमानित पूंजीगत व्यय के प्रति वास्तविक व्यय ₹ 1,856 करोड़ (10 *प्रतिशत* कम) था।

1.1.4 लिंग बजटीकरण

14 नवम्बर 2008 को सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग में लिंग बजटीकरण कक्ष का गठन किया गया था, किन्तु सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग का दो विभागों अर्थात महिला एवं बाल कल्याण और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले में विभाजन के उपरांत वर्ष 2013 में महिला तथा बाल कल्याण विभाग में लिंग बजटीकरण कक्ष का गठन किया गया था। महिलाओं को लाभांवित करने हेतु 100 *प्रतिशत* की आवंटन सीमा तक 10 स्कीमें थी तथा दो स्कीमें 2013-14 के दौरान आंशिक आवंटन की थी, जिनका उल्लेख **परिशिष्ट 1.5** में किया गया है। इन स्कीमों के ₹ 255.49 करोड़ के कुल परिव्यय के प्रति वर्ष 2013-14 के अन्त तक ₹ 11.60 करोड़ के अव्ययित शेष को छोड़ते हुए ₹ 243.89 करोड़ की राशि ही खर्च हुई थी।

1.1.5 हाल के वर्षों में बजटों में मुख्य नीतियां बनाने के लिए पहल करना

2013-14 का बजट प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार ने मुख्य रूप से निर्धन तथा दमित को ध्यान में रखते हुए राज्य तथा समाज के क्रमश: सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास की प्रतिबद्धता की थी। वर्ष 2013-14 के दौरान हाल की मुख्य नीतियों के अन्तर्गत इन स्कीमों पर सरकार द्वारा किए गये बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्यय को **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4

मुख्य नीतियां बनाने के लिए पहल करना, बजट प्रावधान तथा व्यय

(₹ करोड़)

क्र0 सं0	स्कीम का नाम	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय	संशोधित प्राक्कलनों के प्रति व्यय की प्रतिशतता
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	171.62	201.94	201.15	99
2	अटल स्कूल वर्दी योजना	24.52	35.20	35.20	100
3	पं0 दीन दयाल किसान बागवान समृद्धि योजना	50.00	20.00	19.74	99
4	अटल स्वास्थ्य सेवा योजना	21.18	21.18	28.60	135
5	बेटी है अनमोल	4.42	4.42	4.42	100
6	राजीव गांधी डिजिटल स्टूडेंट योजना	9.75	उपलब्ध नहीं	9.75	--
7	स्मार्ट क्लास रूम्स	7.18	उपलब्ध नहीं	शून्य	--

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

राज्य बजट में यद्यपि अधिगम को अधिक रूचिकर, आसान तथा संवादमूलक बनाने के लिए आधुनिक सम्प्रेषण एवं तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हुए 618 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा 837 राजकीय उच्च विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम शुरू करने के लिए ₹ 7.18 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था परन्तु स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के अंत में बजट प्रावधान को अव्ययित छोड़ते हुए कोई स्मार्ट क्लासरूम / स्कूल शुरू नहीं किया गया था।

एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना के लिए बजट का प्रावधान न होना: ग्रामीण जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक उत्थान में सहकारिताएं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 2013-14 के राज्य बजट के

अनुसार लगभग ₹ 60 करोड़ की परियोजना लागत पर एक नवीन एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना शिमला, कांगड़ा तथा कुल्लू जिलों के लिए आरंभ की जानी थी।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास परिषद ने ₹ 81.72 करोड़ की खण्ड लागत के साथ प्रस्तावित एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना को संस्वीकृत किया था (जनवरी 2014) परन्तु राज्य सरकार द्वारा कोई बजट उपलब्ध नहीं करवाया गया था। परिणामस्वरूप, मार्च 2014 तक कोई परियोजना शुरू नहीं की जा सकी थी।

1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों के दो भाग हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करते हैं। राजस्व प्राप्तियां कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्वों, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से समाविष्ट है। पूंजीगत प्राप्तियां अपनिवेशों से आगमों, ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजारी ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋणों व अग्रिमों जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंतर्निष्ट है। इसके अतिरिक्त संवितरण के बाद लोक लेखों में उपलब्ध निधि का भी सरकार द्वारा घाटे को पोषित करने हेतु उपयोग किया जाता है। **तालिका 1.2** वार्षिक वित्त लेखों में अभिलिखित वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य की आय तथा संवितरणों को दर्शाती है, जबकि **चार्ट 1.2,** 2009-14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है। निम्नवत फ्लोचार्ट वर्ष 2013-14 के संसाधनों के संघटक तथा उप-संघटक दर्शाता है।

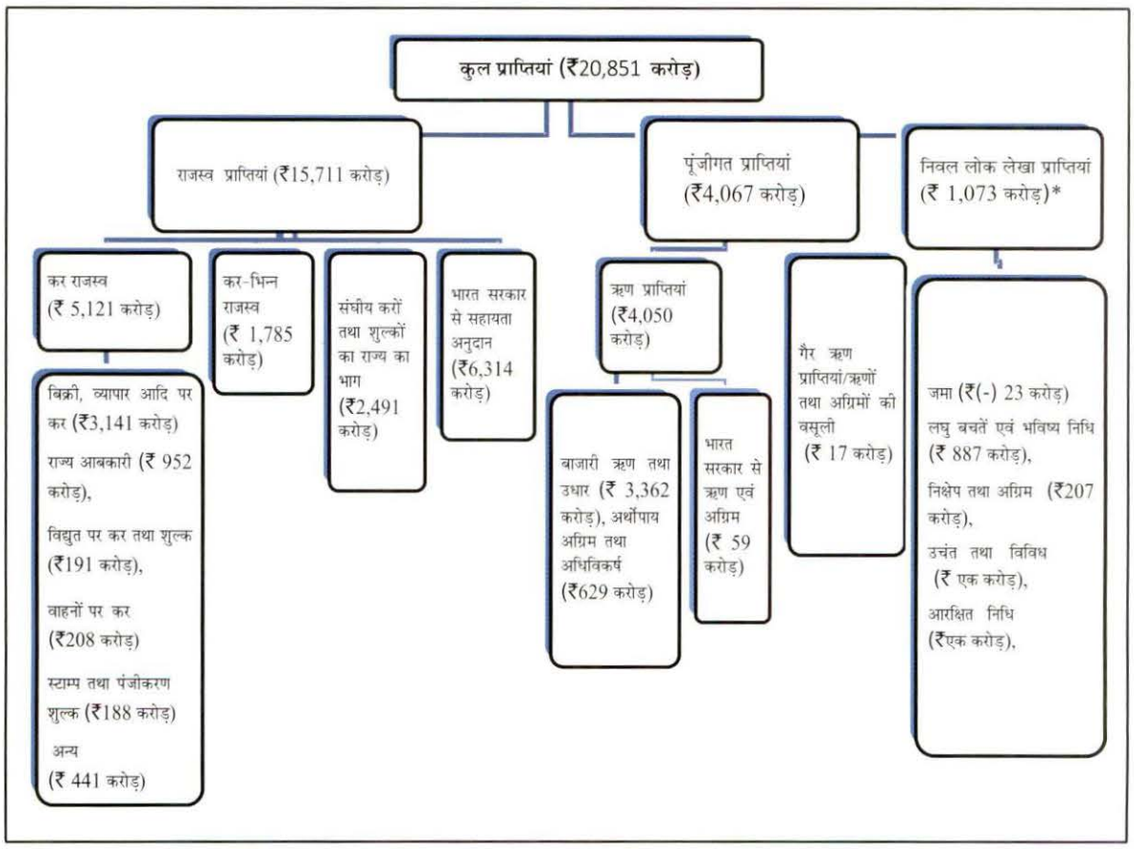

*निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 1,073 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 10,300 करोड़)-लोक लेखा व्यय (₹ 9,227 करोड़)

जैसा कि उपर्युक्त फ्लोचार्ट से स्पष्ट है, 2013-14 के दौरान ₹ 20,851 करोड़ की कुल प्राप्तियां 75 *प्रतिशत* की राजस्व प्राप्तियों, 20 *प्रतिशत* की पूंजीगत प्राप्तियों तथा पांच *प्रतिशत* की निवल लोक लेखा प्राप्तियों से समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में भारत सरकार से सहायता अनुदान का शेयर, कर राजस्व, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्य का शेयर तथा कर-भिन्न राजस्व क्रमश: 40 *प्रतिशत,* 33 *प्रतिशत,* 16 *प्रतिशत* तथा 11 *प्रतिशत* था।

(₹ करोड़)

चार्ट 1.2: प्राप्तियों की प्रवृत्ति

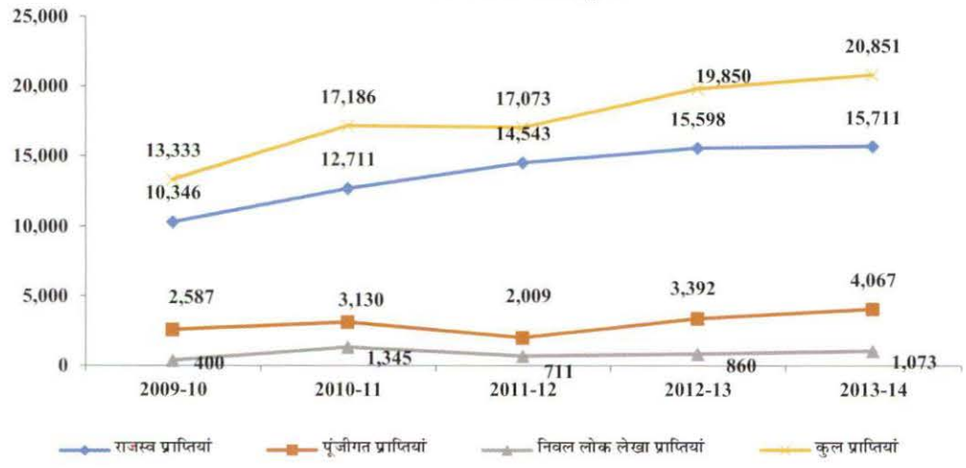

विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां पांच *प्रतिशत* बढ़ कर ₹ 19,850 करोड़ से ₹ 20,851 करोड़ हो गई, जिसमें से 75 *प्रतिशत* (₹ 15,711 करोड़) राजस्व प्राप्तियों से आए। 2009-14 के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का शेयर 73 तथा 85 प्रतिशत के मध्य रहा। दूसरी ओर 2009-14 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों (बाजारी उधार तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशिष्ट प्रतिभूतियों)तथा निवल लोक लेखा प्राप्तियां कुल प्राप्तियों के 16 तथा 26 *प्रतिशत* के मध्य थी।

राजस्व प्राप्तियां 2009-10 में ₹ 10,346 करोड़ से निरंतरता में 52 *प्रतिशत* बढ़ कर 2013-14 में ₹ 15,711 करोड़ हो गई, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां 2009-10 में ₹ 2,587 करोड़ से बढ़ कर (57 *प्रतिशत*) 2013-14 में ₹ 4,067 करोड़ हो गई। 2009-14 की अवधि के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियों में ₹ 400 करोड़ और ₹ 1345 करोड़ के मध्य भिन्नता पाई गई।

1.2.2 भारत सरकार द्वारा राज्य बजट के बाहर के राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई निधियां

महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों जोकि निर्णायक क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं, में विभिन्न स्कीमों/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों[4] को निधियों का अंतरण कर रही है। वर्तमान तंत्र में इन निधियों का अंतरण राज्य बजट/ राज्य कोष पद्धति के माध्यम से नहीं होता है।

[4] *परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।*

2013-14 के दौरान ₹ 1,671 करोड़ की केन्द्रीय निधियां (**परिशिष्ट 1.6**) सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित की गई। भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त मुख्य कार्यक्रम जहां पर निधियां सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित की गई, का उल्लेख **तालिका 1.5** में किया जाता है।

तालिका 1.5

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई निधियां

(₹ करोड़)

कार्यक्रम/स्कीम	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरण	2013-14 के दौरान भारत सरकार द्वारा सीधे अंतरित की गई निधियां	कुल उपलब्ध निधियों में से प्रयुक्त राशि*	राज्य सरकार द्वारा जैसा प्रतिवेदित किया गया विगत वर्ष की तुलना में विकास/मानव सूचकांक में सुधार अनुपात
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	477.97	570.95	2012-13 में 5,14,687 घरों को 262.10 लाख व्यक्ति दिवसों का रोजगार दिया गया जबकि 2013-14 में, 5,39,124 घरों को 282.40 लाख व्यक्ति दिवसों को रोजगार दिया गया था
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	161.23	214.97	2012-13 में 1,307 चिकित्सा अधिकारी 69.71 लाख की आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहे थे जबकि 2013-14 में 1,478 चिकित्सा अधिकारी 70.42 लाख की आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहे थे।
सर्व शिक्षा अभियान	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसायटी	114.53	198.00	2012-13 में क्रमश: 10,613 तथा 4,439 की संख्या के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय आवृत किये गए थे जिनमें 2013-14 में क्रमश: 10,651 तथा 4,512 की वृद्धि हो गई।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसायटी	214.67	154.24	2012-13 के दौरान 20 नए स्कूल भवन पूर्ण किये गए जबकि 2013-14 के दौरान 23 भवन पूर्ण किये गए थे।
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	ग्रामीण विकास विभाग	30.49	22.62	2012-13 के दौरान क्रमश: 5,183 तथा 1,215 व्यक्तिगत घरेलु लैटरीनों तथा स्कूल प्रसाधनों के प्रति 2013-14 के दौरान 9,170 तथा 638 व्यक्तिगत घरेलु लैटरीन तथा स्कूल प्रसाधन तैयार करवाए गए थे।
योग		**1051.36**		

** विगत वर्ष के अथ शेष तथा अन्य प्राप्तियां भी समाविष्ट हैं।*

स्रोत: वित्त लेखे तथा विभागीय आंकड़े

इस प्रकार भारत सरकार द्वारा 2013-14 के दौरान ₹ 1,671.30 करोड़ सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित किए गए, जिससे राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹ 30,078 करोड़ से बढ़ कर ₹ 31,750 करोड़ हो गई। भारत सरकार द्वारा सीधे कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित की गई निधियों का अनुश्रवण करने के लिए राज्य में कोई अलग अभिकरण नहीं है और राज्य कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली और भारत सरकार द्वारा सीधे निधियन की जाने वाली मुख्य फ्लैगशिप स्कीमों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों पर एक विशेष वर्ष में वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई, यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से तैयार कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखों के विवरण -11 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है। राजस्व प्राप्तियां राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्वों, केन्द्रीय कर अंतरणों तथा भारत सरकार के सहायता अनुदानों

से समाविष्ट हैं। 2009-14 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रवाहों का **परिशिष्ट 1.3** में उल्लेख किया गया है तथा इन्हें **चार्ट 1.3** में भी इंगित किया गया है।

(₹ करोड़)

चार्ट 1.3: राजस्व प्राप्तियों का प्रवाह

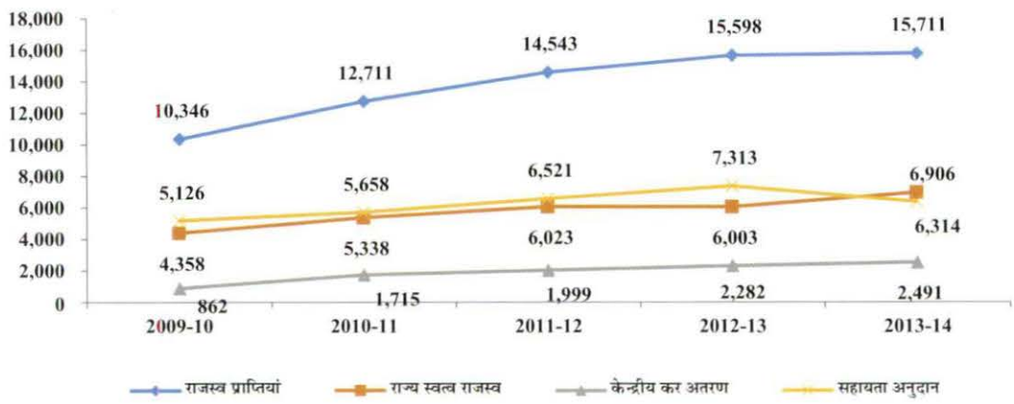

राजस्व प्राप्तियां 11 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत वृद्धि की दर पर 2009-10 में ₹ 10,346 करोड़ से 2013-14 में निरंतर बढ़कर ₹ 15,711 करोड़ हो गई, किन्तु 2013-14 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में केवल एक *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। 2013-14 के दौरान 44 *प्रतिशत* राजस्व प्राप्तियां करों तथा कर भिन्न राजस्व से समाविष्ट राज्य के अपने संसाधनों से आई तथा शेष 56 *प्रतिशत* केन्द्रीय अन्तरण से समाविष्ट केन्द्रीय करों तथा शुल्कों (16 *प्रतिशत*) में राज्य के शेयर तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (40 *प्रतिशत*) से समाविष्ट केन्द्रीय करों द्वारा अंशदान के रूप में आए।

केन्द्रीय कर अंतरण: केन्द्रीय कर अंतरण 2012-13 में ₹ 2,282 करोड़ से 2013-14 में ₹ 2,491 करोड़ होकर ₹ 209 करोड़ (9 *प्रतिशत*) बढ़ गए तथा वर्ष के दौरान ये राजस्व प्राप्तियों के 16 *प्रतिशत* से अंतर्विष्ट थे। यह वृद्धि मुख्यत: निगम कर (₹ 18 करोड़,) निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 61 करोड़) सीमा शुल्कों (₹ 27 करोड़) तथा सेवा कर (₹ 73 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

सहायता अनुदान: भारत सरकार से सहायता अनुदान 2012-13 में ₹ 7,313 करोड़ से ₹ 999 करोड़ (14 *प्रतिशत*) घटकर 2013-14 में ₹ 6,314 करोड़ हो गया। वित्त विभाग ने बताया कि यह घाटा मुख्यतया तेरहवें वित्त आयोग में ₹ 554 करोड़ तथा राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदानों में ₹ 414 करोड़ की कमी के कारण हुआ था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों के प्रवाह का **तालिका 1.6** में उल्लेख किया जाता है।

तालिका 1.6

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों का प्रवाह

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	2.	3.	4.	5.	6.
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	10,346	12,711	14,543	15,598	15,711
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	11.15	22.86	14.41	7.25	0.72
राजस्व प्राप्तियां/*सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)*	21.47	22.12	22.39	21.16	19.02

1.	2.	3.	4.	5.	6.
उत्पलावकता अनुपात[5]					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता	0.69	1.19	1.10	0.56	0.06
राज्य के अपने कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में उत्पलावकता	0.56	1.17	0.98	(-) 0.03	1.25
राज्य के अपने करों के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता	1.23	1.02	1.12	(-) 21.97	0.05

2009-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में वृद्धि थी, किन्तु यह 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 में क्रमश: 14.41 *प्रतिशत* तथा 7.25 *प्रतिशत* और 0.72 *प्रतिशत* तक कम हो गई। स्वत्व कर राजस्व के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता 2011-12 में 1.12 से घटकर 2012-13 में (-) 21.97 हो गई परन्तु 2013-14 में 0.05 तक बढ़ गई।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के शेयर का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, अत: संसाधनों की गतिशीलता में राज्य के निष्पादन का निर्धारण अपने करों तथा कर-भिन्न स्रोतों से समाविष्ट अपने संसाधनों के संदर्भ में किया गया।

वर्ष 2013-14 के राज्य के वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तेरहवें वित्त आयोग तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों द्वारा किया गया निर्धारण **तालिका 1.7** में दिया जाता है।

तालिका 1.7

प्रक्षेपों/प्राक्कलनों से सम्बन्धित वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशत भिन्नता

(₹ करोड़)

	13वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आधिक्य का प्रतिशत परिवर्तन		
					13वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप
कर राजस्व	4697	5373	5722	5121	9.03	(-) 4.69	(-) 10.50
कर भिन्न राजस्व	1447	2393	2091	1785	23.36	(-) 25.41	(-) 14.63

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे

वास्तविक कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपों से क्रमश: 9.03 *प्रतिशत* तथा 23.36 *प्रतिशत* अधिक था। तथापि वर्ष 2013-14 के बजट आकलनों की तुलना में कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व दोनों बजट प्राक्कलनों से 4.69 *प्रतिशत* तथा 25.41 *प्रतिशत* कम था।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के संदर्भ में सकल संग्रहण **तालिका 1.8** में दिया जाता है।

तालिका 1.8

राज्य के अपने संसाधनों के संघटक

(₹ करोड़)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,487 (19)	2,101 (41)	2,477 (18)	2,728 (10)	3,141 (15)
राज्य आबकारी	500 (16)	562 (12)	707 (26)	810 (15)	952 (18)
वाहन कर	134 (- 1)	163 (22)	176 (8)	196 (11)	208 (6)
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस	113 (15)	133 (18)	155 (17)	173 (12)	188 (9)
भू-राजस्व	15 (- 25)	5 (- 67)	18 (260)	24 (33)	10 (-58)
माल तथा यात्री कर	89 (44)	93 (4)	94 (1)	101 (7)	105 (4)
अन्य कर[6]	236 (- 5)	586 (148)	481 (- 18)	594 (23)	517 (-13)
योग	**2,574 (15)**	**3,643 (42)**	**4,108 (13)**	**4,626 (13)**	**5,121 (11)**

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि इंगित करते हैं।

5 *परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।*

6 विद्युत पर कर एवं शुल्क: 2009-10: ₹39 करोड़; 2010-11: ₹302 करोड़; 2011-12: ₹185 करोड़; 2012-13: ₹262 करोड़; 2013-14: ₹191करोड़। अन्य वस्तुओं पर कर एवं शुल्क: 2009-10: ₹197 करोड़; 2010-11: ₹284 करोड़; 2011-12: ₹296 करोड़; 2012-13: ₹332 करोड़; 2013-14: ₹326 करोड़।

वर्ष 2012-13 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर राज्य आबकारी, वाहन कर एवं स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस के अंतर्गत प्राप्तियां क्रमश: ₹ 413 करोड़, ₹ 142 करोड़, ₹ 12 करोड़ तथा ₹ 15 करोड़ बढ़ गई और इनमें क्रमश: 15,18, छ: तथा नौ *प्रतिशत* की वार्षिक वृद्धि है।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व की स्थिति **तालिका 1.9** में दी गई है।

तालिका 1.9

कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर

(₹ करोड़)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ब्याज प्राप्तियां	77 (-1)	70 (-9)	115 (64)	70 (-39)	119 (70)
लाभांश तथा लाभ	74 (- 17)	64 (- 14)	86 (34)	100 (16)	103 (3)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां जिनमें से	1,633 (3)	1,561 (- 4)	1,714 (10)	1,207 (- 30)	1,563 (29)
विविध सामान्य सेवाएं	1(-80)	2(50)	40(1900)	9(-78)	6 (- 33)
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	84(47)	82(-2)	104(27)	112(8)	157 (40)
वन तथा वन्य जीवन	72(31)	65(-10)	107(65)	64(-40)	358 (459)
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	17(21)	31(82)	26(-16)	46(77)	26 (- 43)
लोक निर्माण कार्य	31(35)	35(13)	42(20)	40(-15)	35 (-13)
जलापूर्ति तथा स्वच्छता	20(11)	26(30)	31(19)	34(10)	37 (9)
अन्य	1,408(-1)	1,320(-6)	1,364(3)	902(-34)	944 (5)
योग	**1,784 (2)**	**1,695 (-5)**	**1,915 (13)**	**1,377 (-28)**	**1,785 (30)**

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/ घाटा इंगित करते हैं

विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 में कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर 30 *प्रतिशत* थी। अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में 2012-13 में 30 *प्रतिशत* की ऋणात्मक वृद्धि थी जो कि 2013-14 में 29 *प्रतिशत* बढ़ी। शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (40 *प्रतिशत*), वन एवं वन्य जीवन (459 *प्रतिशत*) तथा जलापूर्ति एवं स्वास्थ्य (नौ *प्रतिशत*) मुख्य कर-भिन्न शीर्ष थे जहां वृद्धि की धनात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।

1.3.1.3 लागत संग्रहण

2013-14 के दौरान बिक्री, व्यापार पर कर के संग्रहण पर व्यय ₹ 11.03 करोड़, राज्य आबकारी ₹ 2.96 करोड़, माल तथा यात्रियों पर कर ₹ 29.32 करोड़, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस ₹ 1.84 करोड़, वाहन कर ₹ 3.84 करोड़ तथा विद्युत पर कर एवं शुल्क ₹ 1.78 करोड़ था। राजस्व के सकल संग्रहण के व्यय का प्रतिशत क्रमश: 0.35, 0.31, 27.92, 0.98, 1.84 तथा 0.93 था।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2009-10 से 2013-14 वर्षों के दौरान भारत सरकार से प्राप्त अनुदान **तालिका 1.10** में दिए गए हैं।

तालिका 1.10

भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
गैर-योजना अनुदान	2,052	2,634	2,647	2,526	2,025
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	2,731	2,680	3,342	4,179	3,765
केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान	5	1	27	28	17
केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	339	343	505	580	507
योग	**5,127**	**5,658**	**6,521**	**7,313**	**6,314**
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	14.64	10.36	15.25	12.15	(-)13.66
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	50	45	45	47	40

2009-13 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कुल सहायता अनुदान ₹ 5,127 करोड़ से बढ़ कर ₹ 7,313 करोड़ हो गए किन्तु वर्ष 2013-14 के दौरान यह ₹ 999 करोड़ घटकर ₹ 6,314 करोड़ हो गए। वित्त विभाग ने बताया कि यह तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों में ₹ 554 करोड़ तथा राज्य योजना

स्कीमों के लिए अनुदानों में ₹ 414 करोड़ की कमी के कारण हुआ था। 2009-14 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रति इस की प्रतिशतता 40 तथा 50 *प्रतिशत* के मध्य थी। 2013-14 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कुल अनुदानों में गैर-योजना अनुदानों, राज्य एवं केन्द्रीय योजना स्कीमों और केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों का अंशदान 32, 60 तथा आठ *प्रतिशत* था।

1.3.3 केन्द्रीय कर अंतरण

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिच्छेद 8.17 तथा 8.38 के अनुसार 0.78 *प्रतिशत* की दर पर केन्द्रीय करों के निवल आगम में राज्यों के परस्पर शेयर (30.5 *प्रतिशत* से 32 *प्रतिशत* तक उठाए गए) हिमाचल प्रदेश राज्य को सौंपे जाने थे। वर्ष 2013-14 के लिए संघीय करों तथा शुल्कों के राज्य शेयर के सम्बन्ध में शेष ₹ 2539 करोड़ में से ₹ 48 करोड़ की राशि काट ली गई थी जो 2012-13 से अन्तर है (वास्तविक संशोधित प्राक्कलन)। अत: वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य को वास्तविक हस्तांतरण ₹ 2491 करोड़ था। विगत वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान महत्त्वपूर्ण वृद्धि सेवा शुल्क ₹ 79 करोड़, आयकर ₹ 75 करोड़, निगमकर ₹ 51 करोड़ तथा कस्टम ₹ 20 करोड़ के अन्तर्गत थी।

1.3.4 सरकारी खाते से बाहर सरकारी प्राप्तियों का प्रतिरक्षण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में प्रतिपादित है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व राज्य की समेकित निधि में जमा होंगे तथा संविधान के अन्तर्गत प्रतिपादित कानून एवं विधि के अनुरूप के अतिरिक्त इस निधि में से किसी भी तरह का धन विनियोजित नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 का नियम 3 भी अपेक्षा करता है कि सरकार के पक्ष से प्राप्त सारा धन तीव्रता से सरकारी निधि में लाया जाना चाहिए। इन प्राप्तियों में से अपनी गतिविधियों पर सोसायटी व्यय कर रही थी।

निदेशक-सह-वार्डन मत्स्यिकी, बिलासपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2014) ने दर्शाया की संविधान तथा हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन स्वरूप विभागीय मत्स्य फार्म (₹ 4.29 करोड़) से आय के आधार पर 2009-14 के दौरान ₹ 21.31 करोड़ की राशि वसूल की गई तथा निदेशक-सह-वार्डन ने राज्य में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त क्षतिपूर्ति (₹ 17.02 करोड़) सरकारी खाते में जमा करवाने के बजाए हिमाचल प्रदेश एक्वाकल्चर, मत्स्य एवं विपणन सोसायटी, बिलासपुर के खाते में जमा करवा दी थी।

निदेशक-सह-वार्डन ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (जून 2014) कि मत्स्य फार्मों से वसूल किया गया राजस्व सोसायटी के खाते में जमा करवाया गया था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा मत्स्य फार्मों को अपना गतिविधि केन्द्र घोषित किया गया था (नवम्बर 2001)। निदेशक-सह-वार्डन ने आगे बताया कि सोसायटी के शासकीय निकाय के निर्णयानुसार (अप्रैल 2005) जल विद्युत परियोजनाओं से क्षतिपूर्ति जमा करवायी गयी थी। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि राज्य सरकार के निर्देश (नवम्बर 2001) और शासकीय निकाय का निर्णय इसके राजस्व को सोसायटी में जमा करवाने का प्रावधान नहीं करते थे।

अत: संविधान के प्रावधानों और हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावलियों के उल्लंघन स्वरूप सोसायटी के खाते में ₹ 21.31 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां जमा करवाने की विभाग की कार्रवाई अनियमित थी। इसके अतिरिक्त, 2009-14 की अवधि के लिए राज्य सरकार के लेखे राजस्व प्राप्तियों की वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाते थे।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन के प्रवाह **तालिका 1.11** में दिए गए हैं।

तालिका 1.11

पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन में प्रवाह

(₹ करोड़)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूंजीगत प्राप्तियां	**2,587**	**3,130**	**2,009**	**3,392**	**4,067**
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	646	-	-	-
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	34	73	25	21	17
लोक ऋण प्राप्तियां	2,553	2,411	1,984	3,371	4,050
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	13.52	(-) 5.56	(-) 17.71	69.91	20.14
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	61.90	114.71	(-) 65.75	(-) 16.00	(-) 19.05
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	16.16	19.22	13.06	12.88	12.04
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	13.96	20.99	(-) 35.81	68.84	19.89

पूंजीगत प्राप्तियां 2009-10 में ₹ 2,587 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 4,067 करोड़ हो गई। वर्ष 2013-14 के दौरान विगत वर्ष (2012-13) की तुलना में पूंजीगत प्राप्तियों में 20 *प्रतिशत* की वृद्धि दर के साथ ₹ 675 करोड़ की वृद्धि अभिलिखित हुई। चालू वर्ष के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली ₹ चार करोड़ घट गई, जबकि ऋण तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर क्रमश: 20.14 *प्रतिशत* तथा (-) 19.05 *प्रतिशत* थी।

1.4.1 ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगम, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगमों, आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं/ संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए थे। 31 मार्च, 2014 तक कुल ऋण तथा अग्रिम ₹ 1913 करोड़ थे। 2012-13 के दौरान वसूल किए गए ₹ 21 करोड़ की तुलना में राज्य सरकार ने 2013-14 के दौरान ₹ 17 करोड़ वसूल किए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-14 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के रूप में ₹ 15 करोड़ प्राप्त किए गए, जो विगत वर्ष की तुलना में ₹ एक करोड़ अधिक थे।

1.4.2 आंतरिक स्त्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों, बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां

2013-14 के दौरान ₹ 3,991 करोड़ की राशि प्राप्त की गई जिसमें बाजार ऋण (₹ 2,367 करोड़), कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड से ऋण (₹ 350 करोड़), राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण (₹ 29 करोड़), केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां (₹ 617 करोड़) तथा भारतीय रिजर्व बैंक से ₹ 171 करोड़ के अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिम (₹ 629 करोड़) सम्मिलित थे।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

विगत तीन वर्षों के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की स्थिति **तालिका 1.12** में दी गई है।

तालिका 1.12

भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिमों की स्थिति

(₹ करोड़)

	2011-12	2012-13	2013-14
अथ शेष	961	947	1,018
वर्ष के दौरान जोड़	80	132	59
वर्ष के दौरान निस्तारण	94	61	65
अंत शेष	**947**	**1,018**	**1,012**
कुल व्यय की प्रतिशतता	**6**	**5**	**5**

वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार ने राज्य को राज्य योजना स्कीमों के लिए ब्लॉक ऋणों के रूप में ₹ 59.04 करोड़, गैर-योजना स्कीम के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए ₹ 0.21 करोड़ से अंतर्विष्ट ₹ 59.25 करोड़ ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में प्रदान किए।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचंत, जमाओं, आदि जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं, के संदर्भ में प्राप्तियों तथा संवितरणों को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत संस्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मत की शर्ताधीन नहीं हैं। यहां सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरणों के बाद बकाया वह उपलब्ध निधि होती है, जिसका सरकार उपयोग कर सकती है। वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों के प्रवाह **तालिका 1.13** में दिए गए हैं।

तालिका 1.13

2012-13 और 2013-14 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों के प्रवाह

(₹ करोड़)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा संवितरण		संवितरणों पर प्राप्ति आधिक्य	
	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	2,832	2,772	1,721	1,885	1,111	887
आरक्षित निधि	188	153	183	152	5	1
जमा तथा अग्रिम	1,571	1,973	1,727	1,766	(-)156	207
उचंत तथा विविध	502	499	429	498	73	1
जमा	4,053	4,903	4,227	4,926	(-)174	(-)23
कुल	**9,146**	**10,300**	**8,287**	**9,228**	**859**	**1,073**

निवल लोक लेखा प्राप्तियां= लोक लेखा प्राप्तियां- लोक लेखा संवितरण

जैसा कि उक्त तालिका से स्पष्ट है, निवल लोक लेखा प्राप्तियां (संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य) 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान ₹ 859 करोड़ तथा ₹ 1073 करोड़ थी। विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 में आरक्षित निधि तथा लघु बचतों, भविष्य निधि, आदि के अंतर्गत निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 228 करोड़ घटी, जबकि इस अवधि के दौरान जमा तथा अग्रिम ₹ 363 करोड़ तक घट गए।

1.6 संसाधनों की उपयोक्तता

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्य व्यय उत्तरदायित्व उनके द्वारा सौंपे जाते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के कार्य ढांचे में घाटों अथवा उधारों के माध्यम से वित्तपोषित सार्वजनिक व्यय उठाने में बचत बाधाएं आती हैं। अत: यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय शुद्धता तथा समेकन प्रक्रिया व्यय की लागत पर नहीं है, विशेषत: जब व्यय सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किया गया हो।

1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट-1.4 विगत पांच वर्षों (2009-14) की अवधि में कुल व्यय का प्रवाह प्रस्तुत करता है तथा 'आर्थिक वर्गीकरण' व 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' की दृष्टि से इसका संघटन क्रमश: **चार्ट 1.5 तथा चार्ट** 1.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4 : कुल व्यय: प्रवाह एवं संघटन

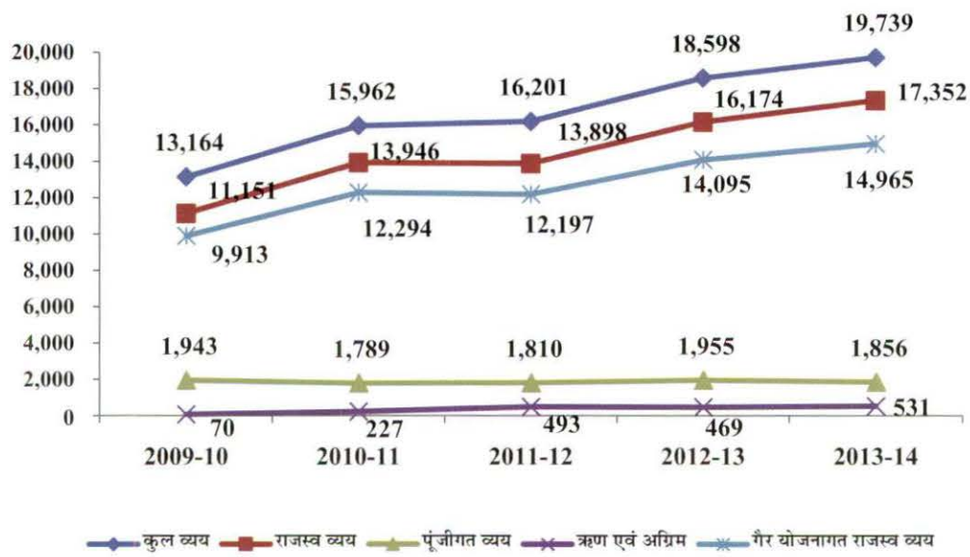

- **राज्य का कुल व्यय** 11 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत दर पर 2009-10 में ₹ 13,164 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 19,739 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान वृद्धि ₹ 1,141 करोड़ (छ: *प्रतिशत*) थी। कुल व्यय में वृद्धि, राजस्व व्यय में ₹ 1,178 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय में ₹ 99 करोड़ की वृद्धि के कारण थी, जबकि ऋण तथा अग्रिम ₹ 62 करोड़ बढ़ गए।
- **राजस्व व्यय:** 2009-10 से 2013-14 तक राजस्व व्यय 13 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत दर पर बढ़ा। यह चालू वर्ष के दौरान ₹ 1,178 करोड़ (7.29 *प्रतिशत*) से ₹ 16,174 करोड़ हो कर ₹ 17,352 करोड़ बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय क्रमश: ₹ 429 करोड़(छ: *प्रतिशत*), ₹ 575 करोड़ (नौ *प्रतिशत*) तथा ₹ 172 करोड़ (पांच *प्रतिशत*) बढ़ गया।
- **पूंजीगत व्यय:**पूंजीगत व्यय 2009-10 में ₹ 1,943 करोड़ से आठ *प्रतिशत* घटकर 2010-11 में ₹ 1,789 करोड़ हो गया किन्तु तत्सम्बन्धी विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान यह ₹ 21 करोड़ (एक *प्रतिशत*) तथा ₹ 145 करोड़ (आठ *प्रतिशत*) बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान यह ₹ 1,856 करोड़ से ₹ 99 करोड़ (पांच *प्रतिशत*) तक घट गया। शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति (₹ 174 करोड़), सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 211 करोड़), आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत विद्युत परियोजनाएं (₹ 220 करोड़) तथा परिवहन (₹ 740 करोड़) लाभकारी क्षेत्र थे जिनमें 2013-14 के दौरान पूंजीगत व्यय किया गया था। तथापि, कुल व्यय के संदर्भ में पूंजीगत व्यय

का शेयर संगत रूप से 2009-10 के 14.76 *प्रतिशत* से घटकर 2013-14 में 9.40 *प्रतिशत* हो गया।

- ऋण तथा अग्रिम कुल व्यय का ₹ 531 करोड़ (तीन *प्रतिशत*)था, जो विगत वर्ष की तुलना में ₹ 62 करोड़ बढ़ गया।

चार्ट 1.5 : कुल व्यय: इसके संघटकों के शेयर का प्रवाह

चार्ट 1.6 : कुल व्यय: 'क्रियात्मक प्रवाह'

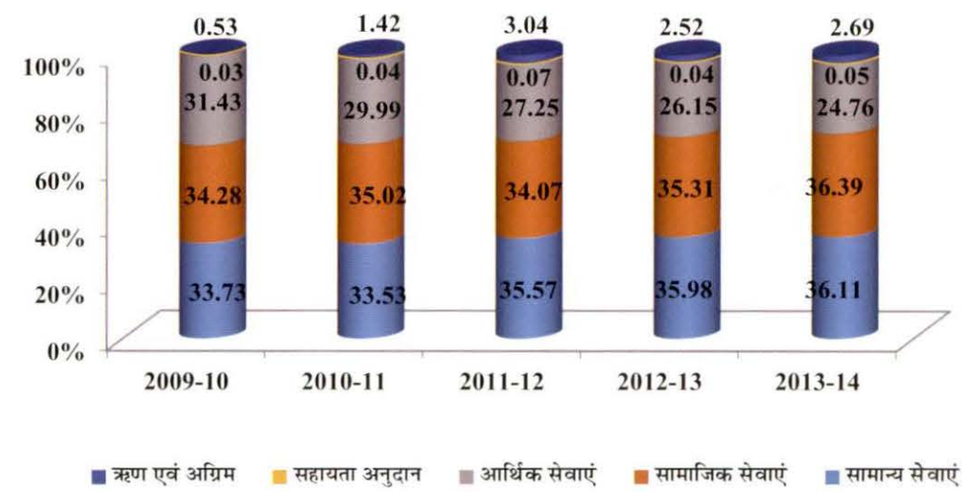

व्यय के इन संघटनों के सापेक्ष शेयर ने इंगित किया कि व्यय के मुख्य संघटकों में अंत: वर्ष भिन्नताएं थी। सामान्य सेवाओं (ब्याज अदायगियों सहित) पर व्यय जिसे गैर-विकासात्मक माना जाता है 2009-10 में 33.73 *प्रतिशत* से घटकर 2010-11 में 33.53 *प्रतिशत* हो गया, किन्तु 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 में क्रमश: 35.57 *प्रतिशत,* 35.98 *प्रतिशत* तथा 36.11 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। दूसरी ओर,

सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं दोनों पर विकासात्मक व्यय[7] 2012-13 के 61.46 *प्रतिशत* के प्रति 2013-14 में 61.15 *प्रतिशत* था। सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत व्यय मुख्य रूप से ब्याज अदायगियों (13 *प्रतिशत*) और पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (14 *प्रतिशत*) पर था।

1.6.2 राजस्व व्यय

चालू वर्ष के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियां 19.02 *प्रतिशत* थी, जबकि राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में 21.01 *प्रतिशत* था। राज्य का राजस्व घाटा ₹ 1,641 करोड़ था, जो चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.99 *प्रतिशत* था।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार का राजस्व लेखा पर प्रतिबद्ध व्यय ब्याज भुगतानों, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय, पेंशनों तथा उपदानों से समाविष्ट था। **तालिका 1.14** तथा **चार्ट 1.7** इन संघटकों पर 2009-14 के दौरान व्यय का प्रवाह प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.14
प्रतिबद्धित व्यय के संघटक

(₹ करोड़)

प्रतिबद्धित व्यय के संघटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वेतन तथा मजदूरियां, जिनमें से	4,788	5,951	6,215	7,255	7,545*
आयोजनेत्तर शीर्ष	4,645	5,784	5,981	6,999	7,289
योजनागत शीर्ष	143	167	234	256	256
ब्याज भुगतान	1,956	1,950	2,130	2,370	2,481
पेंशनें	1,348	2,105	2,217	2,747	2,855
उपदान	403	439	465	567	467
योग	**8,495**	**10,445**	**11,027**	**12,939**	**13,348**

* *वेतन: ₹ 7,323 करोड़; मजदूरी: ₹ 222 करोड़*

(₹ करोड़)

चार्ट 1.7: 2009-14 के दौरान आयोजनेत्तर कर भिन्न राजस्व व्यय में प्रतिबद्धित व्यय का शेयर

वेतन एवं मजदूरी

2013-14 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 48 *प्रतिशत* से भी अधिक था। चालू वर्ष के दौरान मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹ 6,956 करोड़) में बनाई गई

[7] *परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।*

परियोजनाओं से ₹ 367 करोड़ वैतनिक व्यय बढ़ गया जिस पर राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतानों पर व्यय 2009-10 में ₹ 1,348 करोड़ से 2013-14 में ₹ 2,855 करोड़ तथा चालू वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 108 करोड़ (चार *प्रतिशत*) तक बढ़ गया। राजस्व प्राप्तियों का 66 *प्रतिशत* वेतन एवं पेंशन भुगतानों पर लेखाबद्ध था। चालू वर्ष हेतु पेंशन भुगतानों पर वास्तविक व्यय तेरहवें वित्त आयोग में किये गये प्रक्षेपणों (₹ 1,923 करोड़) से ₹ 932 करोड़ बढ़ गया।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतानों में 2009-10 में ₹ 1,956 करोड़ से 2013-14 में ₹ 2,481 करोड़ तक 27 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई तथा चालू वर्ष के दौरान ₹ 111 करोड़ (पांच *प्रतिशत*)की वृद्धि हुई। चालू वर्ष हेतु ब्याज भुगतान तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों (₹ 2,198 करोड़) तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों के प्रक्षेपणों (₹ 2,431 करोड़) से बढ़ गए।

उपदान

राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं/ निकायों/ निगमों आदि को उपदानों का भुगतान कर रही है। उपदान 2009-10 में ₹ 403 करोड़ से 2012-13 में ₹ 567 करोड़ तक 41 *प्रतिशत* बढ़ गए और विगत वर्ष की अपेक्षा 2013-14 के दौरान ₹ 100 करोड़ (18 *प्रतिशत*) तक घट गए तथा यह राजस्व प्राप्तियों का लगभग तीन *प्रतिशत* था। उपदानों के मुख्य संघटक खाद्य एवं आपूर्ति वस्तुएं (₹ 247 करोड़); परिवहन (₹ 120 करोड़); कृषि (₹ 40 करोड़) तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जातियां एवं अल्पसंख्यक मामले (₹ 19.84 करोड़) थे।

1.6.4 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान विभिन्न संस्थाओं को जारी किये गये सहायता अनुदानों की विस्तृत स्थिति **तालिका 1.15** में दी गई है।

तालिका 1.15

स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को जारी किए गए सहायता अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़)

क्रमांक	संस्था का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाएं	231.14	311.25	314.89	405.62	451.55
2.	नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	115.92	92.26	122.94	174.09	282.33
3.	पंचायती राज संस्थाएं	217.92	256.28	263.95	282.09	353.54
4.	विकास अभिकरण	48.61	52.14	46.72	38.72	65.96
5.	अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	41.25	48.11	69.70	87.77	94.63
6.	अन्य संस्थाएं	63.25	89.35	162.89	214.82	189.87
	योग	**718.09**	**849.39**	**981.09**	**1,203.11**	**1,437.88**
	राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	6.44	6.09	7.06	7.43	8.28

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा संकलित आंकड़े

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को 2009-14 की अवधि में दिये गए अनुदानों में लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। यह विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान ₹ 234.77 करोड़ (19.51 *प्रतिशत*) तक बढ़ गया। वर्ष 2013-14 के दौरान सहायता अनुदानों में वृद्धि मुख्यत: विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं (₹ 45.93 करोड़), नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं (₹ 108.24 करोड़) तथा पंचायती राज संस्थाओं (₹ 71.45 करोड़) को अधिक अनुदान जारी करने के कारण थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यत: इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन पहलुओं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएं प्रदान करवाने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय- निष्कर्ष सम्बन्धों का निर्धारण) में सम्मिलित है।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2013-14 के दौरान कुल व्यय की विकासात्मक कार्यकलापों पर व्यय प्रतिशतता 61 *प्रतिशत* थी, जबकि गैर विकासात्मक व्यय की प्रतिशतता 39 *प्रतिशत* थी। विगत वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-14 में राजस्व व्यय में सात *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक कार्यकलापों में व्यय में वृद्धि की प्रतिशतता क्रमश: छ: *प्रतिशत* एवं सात *प्रतिशत* रही। राज्य के कुल व्यय की तुलना में राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता क्रमश: 88 *प्रतिशत* एवं नौ *प्रतिशत* थी। राजस्व व्यय में से 86 *प्रतिशत* (₹ 14,965 करोड़) गैर-योजनागत संघटक पर हुआ। योजनागत राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 14 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। जलापूर्ति एवं स्वच्छता, लघु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्रीय योजना पर कम व्यय के कारण विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 1,856 करोड़) में ₹ 99 करोड़ (पांच *प्रतिशत)* की कमी हुई।

1.7.2 व्यय उपयोग की दक्षता

तालिका 1.16 के अनुसार, विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2013-14 के दौरान सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में वेतन एवं मजदूरी में क्रमश: ₹ 169 करोड़ (चार *प्रतिशत*) एवं ₹ 11 करोड़ (एक *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई, जबकि सामाजिक सेवाओं में परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय में ₹ 261 करोड़ (81 *प्रतिशत*) की वृद्धि तथा आर्थिक सेवाओं में ₹ 202 करोड़ (24 *प्रतिशत*)की वृद्धि हुई। 2013-14 की अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में कुल व्यय के अनुपात में पूंजीगत व्यय क्रमश: 0.02 तथा 0.07 रहा।

तालिका 1.16
विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यय

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2012-13			2013-14		
	कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय		कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय	
		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन एवं अनुरक्षण		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन एवं अनुरक्षण
सामाजिक सेवाएं	0.02	4,138	324	0.02	4,307	585
आर्थिक सेवाएं	0.08	1,832	857	0.07	1,843	1,059

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय हि0प्र0 से वाऊचर स्तर कम्प्युटराइजेशन सिस्टम

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

अनुवर्ती राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन के कार्य ढांचे में राज्य से इसके राजकोषीय घाटे (तथा उधार) को न केवल निम्न स्तरों पर रखने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि इसके पूंजीगत व्यय/ निवेश (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने के लिए तथा उधार निधियों की लागत को वसूल करने के लिए अपेक्षित पग उठाने की आवश्यकता है, न कि इसे अन्तर्निहित उपदान के रूप में बजट से वहन किया जाए तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित पग उठाएं। यह प्रवर्ग चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गए निवेशों तथा अन्य पूंजीगत व्ययों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रदर्शित करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2014 तक अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बंधित विभाग-वार सूचना **तालिका 1.17** में दी गई है। मात्र वे परियोजनाएं जिनमें कार्य समापन की निर्धारित तिथि 31 मार्च 2014 तक पूर्ण हो चुकी थी, अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं।

तालिका 1.17
अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	आरम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	31 मार्च 2014तक कुल व्यय
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	9	46.04	76.18	74.94
भवन एवं सड़कें (लोक निर्माण कार्य)	3	62.68	--	55.22
योग	**12**	**108.72**	**76.18**	**130.16**

स्रोत: वित्त लेखे

अपूर्ण परियोजनाओं के सम्बंध में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की केवल सात परियोजनाओं की संशोधित लागतें उपलब्ध थी, जहां ₹ 43.65 करोड़ की अधिक लागत संगत थी। यह परियोजनाएं जुलाई 2005 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य पूरी की जानी थी। विलम्ब विश्लेषणों से नौ वर्षों तक की समय वृद्धि का पता चला। कार्यों की भौतिक प्रगति के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि दो सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य स्कीमों[8] जो मार्च 2012 तक पूर्ण की जानी थी, के अतिरिक्त, कार्य 80 *प्रतिशत* तथा 99 *प्रतिशत* के मध्य पूर्ण था लेकिन चालू वर्ष 2013-14 के अंत तक मात्र 38 से 43 *प्रतिशत* कार्य पूर्ण किया गया था।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2014 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में ₹ 3,025 करोड़ का निवेश किया था (**तालिका 1.18**)। निवेश पर औसत प्रतिफल 3.11 *प्रतिशत* था जबकि सरकार ने 2009-14 के दौरान अपनी उधारों पर 7.99 *प्रतिशत* की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

तालिका 1.18
निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़)

निवेश/प्रतिफल/उधार लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	औसत 2009-14
वर्षांत में निवेश	2,663	2,864	2,448	2,767	3,025	-
प्रतिफल (लाभांश/ब्याज)	73.49	64.11	85.65	100.09	103.42	-
प्रतिफल (*प्रतिशत*)	2.76	2.24	3.50	3.62	3.42	3.11
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (*प्रतिशत*)	8.59	7.78	7.80	8.08	7.71	7.99
ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर (*प्रतिशत*)	5.83	5.54	4.30	4.46	4.29	4.88

स्रोत: वित्त लेखे

जहां 2009-10 से 2013-14 तक पांच वर्षों की अवधि में सरकारी निवेशों में 14 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, वहीं निवेशों का प्रतिफल 2009-10 में ₹ 73.49 करोड़ से घटकर 2010-11 में ₹ 64.11 करोड़ हो गया लेकिन तत्पश्चात इसमें लगातार वृद्धि देखी गई और 2013-14 के दौरान यह ₹ 103.42 करोड़ रहा। सरकारी कम्पनियों में मुख्य प्राप्तकर्ता, जिन्होंने नवीनतम अन्तिम रूप से दिए गए लेखों के अनुसार

8 *सिवरेज स्कीम, मेहतपुर तथा सन्तोषगढ़*

हानियां संचित की थी वे हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 764.40 करोड़), हिमाचल प्रदेश वित्त निगम (₹ 143.92 करोड़), हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया सीमित (₹ 78.20 करोड़), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित (₹ 63.49 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (₹ 3.11 करोड़) थे।

1.8.2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश पर प्रतिफल

राज्य सरकार ने निर्णय लिया था (अप्रैल 2011) कि लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (कल्याण एवं उपभोगिता क्षेत्र के अतिरिक्त) वित्त वर्ष 2009-10 के बाद कर के बावजूद अधिकतम 50 *प्रतिशत* लाभ की शर्त पर सरकारी इक्विटी पर पांच *प्रतिशत* की दर से प्रतिफल की अदायगी कर सकते हैं। 31 मार्च 2013 तक 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (619-ख कम्पनियों सहित) में राज्य सरकार का भुगतान किया हुआ पूंजीगत अंशदान ₹ 2,185.87 करोड़ था।

30 जून 2014 तक नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार 10 कम्पनियों ने ₹ 34.57 करोड़ का लाभ अर्जित किया और सात कंपनियों में ₹ 634.74 करोड़ की हानि हुई। तीन[9] कार्यशील सरकारी कम्पनियों ने अपने लाभ एवं हानि के लेखे तैयार नहीं किये हैं जबकि एक कार्यशील सरकारी कम्पनी (हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित) के सम्बंध में आय पर व्यय आधिक्य राज्य सरकार द्वारा पुनर्प्राप्ति के योग्य था। लाभ अर्जित करने वाली दस कम्पनियों में से दो कम्पनियों[10] से इक्वीटी पर प्रतिफल की अदायगी अपेक्षित नहीं थी क्योंकि ये कम्पनियां कल्याण कारी कम्पनियां थी, छः कम्पनियों (भुगतान किया गया पूंजीगत अंशदान: ₹ 72.72 करोड़) ने कोई भी प्रतिफल/लाभांश की अदायगी नहीं की थी और मात्र दो कम्पनियों ने राज्य सरकार को ₹ 1.89 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया था (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित: ₹ 3.51 करोड़ की इक्वीटी के 10 *प्रतिशत* की दर पर ₹ 0.35 करोड़ तथा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित: ₹ 30.82 करोड़ की इक्वीटी के पांच *प्रतिशत* की दर पर ₹ 1.54 करोड़)।

अत: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार द्वारा निवेशित ₹ 2,185.87 करोड़ की इक्वीटी पर इसने मात्र ₹ 1.89 करोड़ का प्रतिफल अर्जित किया जोकि जून 2014 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार ₹ 2,185.87 करोड़ का 0.09 *प्रतिशत* कुल भुगतान किया गया पूंजीगत अंशदान था।

1.8.2.2 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में निवेश

सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में एवं संयुक्त उद्यमों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवाओं के शीघ्र वितरण में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु अपूर्व एवं नवीन पद्धति प्रस्तुत करती हैं। मार्च 2014 तक हाथ में ली गई 16 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में से चार सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं पूर्ण तथा प्रचालनाधीन थी और 12 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन थी जैसा कि **परिशिष्ट 1.7** में वर्णित है।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त राज्य सरकार शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, पशुपालन आदि जैसे क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर

---

9 ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत स्थानांतरण निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित

10 हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम

रही है। **तालिका 1.19** में 31 मार्च 2014 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों, विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.19

राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधार लागत	2011-12	2012-13	2013-14
अथशेष	483	951	1,399
वर्ष के दौरान दी गई राशि	493	469	531
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि	25	21	17
अंत शेष	**951**	**1,399**	**1,913**
निवल वृद्धि	468	448	514
ब्याज प्राप्तियां	21	14	15
बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रति *प्रतिशत* के रूप में ब्याज प्राप्तियां	2.21	1.19	0.78
विगत वर्ष के बकाया राजकोषीय दायित्वों के प्रति *प्रतिशत* के रूप में ब्याज अदायगियां	8.06	8.39	8.15
प्राप्त ब्याज एवं प्रदत्त ब्याज की औसत दर के मध्य अंतर (*प्रतिशत*)	(-) 5.85	(-) 7.20	(-) 7.37

स्रोत: वित्त लेखे

31 मार्च 2014 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹ 1,913 करोड़ थी। अग्रिम दिए गए ₹ 531 करोड़ के प्रति चालू वर्ष के दौरान केवल ₹ 17 करोड़ लौटाए गए, जिससे विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ चार करोड़ की कमी दर्ज की गई। विगत वर्ष की तुलना में सरकार ने 2013-14 के दौरान संस्थाओं/संगठनों को ₹ 62 करोड़ (13 *प्रतिशत*) और अधिक दिए। 2013-14 के दौरान ऋणों के मुख्य प्राप्तकर्त्ताओं में विद्युत क्षेत्र कम्पनियां (₹ 467.22 करोड़) थी। बकाया ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की प्रतिशतता की तुलना में उधारों पर सरकार द्वारा अदा किए जा रहे ब्याज की औसत दर में भारी अन्तर था। 2011-12 के दौरान कमी 5.85 *प्रतिशत* थी जिसमें 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमश: 7.20 तथा 7.37 *प्रतिशत* तक वृद्धि हुई। 2013-14 के दौरान बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में सरकार ने ब्याज प्राप्तियों का प्रतिफल 0.78 *प्रतिशत* प्राप्त किया। तथापि, इस अवधि के दौरान इसने उधारों पर औसत 8.15 *प्रतिशत* ब्याज का भुगतान किया।

वर्ष 2013-14 के दौरान दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति **तालिका 1.20** में दी गई है।

तालिका 1.20

ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़)

ऋणी-इकाइयां	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि	शर्तें एवं निबंधन	
			ब्याज की दर	ऋण स्थगन अवधि अगर कोई है
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम	3	0.31	ब्याज मुक्त	--
हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम	1	2.54	शर्तों एवं निबंधनों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है	--
साख निगम (एकीकृत बाल विकास परियोजना)	3	11.75	13 *प्रतिशत तथा* 12.5 *प्रतिशत*	3 वर्ष
हिमाचल प्रदेश सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ	1	25.00	11.40 *प्रतिशत*	--
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	25	418.02	10 *प्रतिशत*	5 वर्ष
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	4	49.20	10 *प्रतिशत*	5 वर्ष
हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम	1	15.91	ब्याज मुक्त	5 वर्ष
सरकारी कर्मचारी	3	8.32	उपलब्ध नहीं	--
योग:-	**41**	**531.05**		

स्रोत: वित्त लेखे

₹ 531.05 करोड़ में से ₹ 16.22 करोड़ की राशि के ऋण ब्याज मुक्त, ₹ 25 करोड़ के ऋण 11.40 *प्रतिशत* की दर पर, ₹ 11.75 करोड़ के ऋण 13 *प्रतिशत* एवं 12.5 *प्रतिशत* की दर पर, ₹ 467.22 करोड़ के ऋण 10 *प्रतिशत* की दर पर तथा ₹ 2.54 करोड़ की राशि के ऋण शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिए बिना प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त ₹ 8.32 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को दिए गए। राज्य सरकार की ऋण स्थगन अवधि तीन से पांच वर्षों के मध्य थी।

1.8.3.1 शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिये बिना ऋणों को संस्वीकृत करना/ देना

2006-07 से 2013-14 की अवधि के दौरान शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिये बिना ₹ 10.04 करोड़ की राशि ऋण रूप में स्वीकृत की गई थी। । ब्यौरे **तालिका 1.21** में दिये गए हैं।

तालिका 1.21

सरकार द्वारा अनुदानित ऋण जिनके लिए शर्तें एवं निबंधनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना हैं

(₹ करोड़)

क्रमांक	ऋणी-इकाई	ऋणों की संख्या	कुल राशि	आरंभिक अवधि जिससे बकाया सम्बंधित है
1.	हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम	1	2.54	2013-14
2.	नगर निगम शिमला	1	2.00	2008-09
3.	हिमाचल प्रदेश हस्तकला तथा हथकरघा निगम सीमित	1	0.50	2006-07
4.	प्रधान सचिव, बहु-उद्देशीय परियोजना एवं विद्युत, हिमाचल प्रदेश	2	5.00	2008-09
	योग	**5**	**10.04**	

वर्ष 2013-14 के दौरान हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम (₹ 2.54 करोड़) और हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम (₹ 0.31 करोड़) को नवीन ऋण एवं अग्रिम दिये गये जबकि दोनों निगमों में क्रमश: ₹ 3.85 करोड़ और ₹ 0.12 करोड़ के बकाये थे।

1.8.3.2 ऋणों की वसूली में विलम्ब

वित्त लेखों की संवीक्षा से पता चला की विभिन्न इकाइयों/ संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा दिये गये 26 ऋणों तथा अग्रिमों के सम्बंध में ₹ 79.86 करोड़ का बकाया था।

ये ऋण तथा अग्रिम शेष थे और इनकी वसूली 1987-88 से 2010-11 तक की अवधि से नहीं की गई थी। **परिशिष्ट 1.8** के अनुसार ऋणों की गैर वसूली की अवधि चार से 23 वर्षों के मध्य थी।

इसे इंगित किये जाने पर वित्त विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि सम्बंधित विभाग को कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश के साथ आंकड़ों को समायोजित करने और राज्य सरकार को देय राशि की वसूली के प्रयास करने का निर्देश दिया गया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऋणों की वसूली 1987-88 से 2010-11 तक की अवधि से नहीं हुई थी।

1.8.4 नकद शेष और नकद शेष का निवेश

तालिका 1.22 नकद शेष और वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकद शेष में से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 1.22

नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़)

विवरण	1 अप्रैल 2013 तक	31 मार्च 2014 तक	वृद्धि (+) /कमी(-)
1.	2.	3.	4.
(क) सामान्य नकद शेष			
कोषागारों में नकद	--	--	--
स्थानीय-पारगमन में जमा	--	--	--
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 561.71	(-) 887.49	(-) 325.78
नकद शेष निवेश लेखा में किया निवेश	266.47	--	(-) 266.47

1.	2.	3.	4.
(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश			
विभागीय कार्यालयों अर्थात लोक निर्माण कार्य विभाग आदि के पास नकद	0.16	0.16	--
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	--
योग (क+ख)	**(-) 295.05**	**(-) 887.30**	**(-) 592.25**
(ग) नकद शेषों से निवेश			
भारत सरकार के कोषागार बिल	266.47	--	(-) 266.47
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	5,348.50	5,772.09	423.59
(घ) निर्धारित शेषों से व्यय का निधिवार ब्यौरा	--	--	--
(ड़) वसूल किया गया ब्याज	**40.83**	**24.28**	**(-) 16.55**

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष अनुरक्षित करना होता है। यदि किसी भी दिन शेष सम्मत न्यूनतम से नीचे जाता है तो यह कमी समय-समय पर साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार की साधारण अर्थोपाय अग्रिम के लिए सीमा 11.11.2013 से ₹ 285 करोड़ थी। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के रेहन के प्रति विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने के लिए भी सहमत हो चुका है।

सरकार 354 दिनों के लिए निम्नतम दैनिक नकद शेष अनुरक्षित रख सकती थी तथा ₹ 628.57 करोड़ (₹ 171.09 करोड़ अधिविकर्ष सहित एक दिन के लिए) की राशि के अर्थोपायों की सूचना दी तथा वर्ष 2013-14 (**परिशिष्ट 1.3**) के दौरान ₹ 172 करोड़ का पुनर्भुगतान किया था।

चालू वर्ष के अंत पर राज्य सरकार का नकद शेष 2012-13 में ₹ (-) 295.05 करोड़ से ₹ 592.25 करोड़ 2013-14 में ₹ (-) 887.30 करोड़ तक घट गया। वित्त विभाग ने बताया कि यह सभी प्राप्तियों एवं संवितरणों का निवल परिणाम था।

1.8.5 'चैक तथा बिल' शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष

लेन-देनों के आरम्भिक अभिलेख के लिए मुख्य शीर्ष 8670-चैक तथा बिल एक मध्यवर्ती लेखा शीर्ष है जिनका अन्ततः शोधन किया जाना होता है। इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष उन चैकों की राशि को दर्शाते हैं जिनका नकदीकरण नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सभी कोषागार (नई दिल्ली कोषागार को छोड़कर) वास्तविक समय सकल समायोजन प्रणाली का संचालन करते हैं जहां सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं। 31 मार्च 2014 तक नई दिल्ली कोषागार द्वारा जारी ₹ 0.37 करोड़ की राशि के मूल्य के चैक गैर आहरित रहे, जिससे उस सीमा तक राजस्व और राजकोषीय घाटे की अतियुक्ति हुई।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संयोजन

सरकार की विद्यमान लेखाकरण प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों जैसी अचल परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। **परिशिष्ट 1.4 (भाग ख)** 31 मार्च 2014 तक ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का 31 मार्च 2013 को उनकी तदनुरूपी स्थिति की तुलना में सार को दर्शाता है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखों एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियों का समावेश होता है, परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों व रोकड़ शेषों का समावेश होता है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट 1.3** में प्रस्तुत किया गया है। तथापि, विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं का संयोजन **तालिका 1.23** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.23
राजकोषीय देयताएं - मूल मापदण्ड

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़)	23,713	26,415	28,228	30,442	33,884
वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	8.68	11.39	6.86	7.84	11.31
का राजकोषीय देयताओं का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)*	49.21	45.97	43.46	41.30	41.03
राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	229.20	207.81	194.10	195.16	215.67

**आधार वर्ष 2004-05 पर संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद*

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2009-10 में ₹ 23,713 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 33,884 करोड़ हो गई। राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं एवं लोक लेखा देयताएं समाविष्ट हैं। समेकित निधि देयता (₹ 23,111 करोड़) में बाजार ऋण (₹ 13,565 करोड़), भारत सरकार से ऋण (₹ 1,012 करोड़) तथा अन्य ऋण (₹ 8,534 करोड़, जिनमें भारत सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष सुरक्षा पर ₹ 5,772 करोड़) समाविष्ट हैं।

लोक लेखा देयताओं (₹ 10,773 करोड़) में लघु बचतें तथा भविष्य निधियां (₹ 8,736 करोड़), ब्याज वहन करने वाली देयताएं तथा ब्याज वहन न करने वाली देयताएं जैसे निक्षेप (₹ 1,810 करोड़) एवं आरक्षित निधियां (₹ 227 करोड़) समाविष्ट हैं।

2013-14 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि की दर 11 *प्रतिशत* थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2009-10 में 49.21 *प्रतिशत* से निरन्तर घटकर 2013-14 में 41.03 *प्रतिशत* हो गया। ये देयताएं 2012-13 के दौरान 1.95 गुणा की तुलना में 2013-14 के अन्त तक राजस्व प्राप्तियों के 2.16 गुणा थी।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

31 मार्च 2014 तक आरक्षित निधि में अंतशेष ₹ 226.79 करोड़ (साख) था। इसमें से ब्याज वाली आरक्षित निधि ₹ 9.06 करोड़ (साख) थी तथा इस निधि का ब्याज रहित अंश ₹ 217.72 करोड़ (साख) था। प्रचालित किये जा रहे मुख्य शीर्ष 8115-अवमूल्यन/ आरक्षित निधि नवीकरण (₹ 0.01 करोड़) तथा 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि (₹ 9.05 करोड़) थे। ब्याज रहित आरक्षित निधियों के लिए 8226-अवमूल्यन/ नवीकरण आरक्षित निधि (₹ 1.53 करोड़), 8229-विकास एवं कल्याण निधि (₹ 216.11 करोड़) तथा 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि (₹ 0.08 करोड़) लेखा शीर्ष प्रचालित किये गये थे।

समेकित शोधन निधि: बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को उनके द्वारा बकाया देयताओं, उपलब्ध करवाए गए खुले बाजार ऋणों के परिशोधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित एक समेकित शोधन निधि का सृजन करना अपेक्षित है। राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि विगत वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया देयताओं के 0.5 *प्रतिशत* का निधि में न्यूनतम वार्षिक अंशदान दे। तथापि, राज्य सरकार ने कोई समेकित शोधन निधि नहीं बनाई। 31 मार्च 2013 तक हिमाचल प्रदेश सरकार की बकाया देयताएं ₹ 30,442.43 करोड़ थी। अगर यहां एक समेकित शोधन-निधि होती, तो राज्य सरकार की 2013-14 में निधि के प्रति देयताएं ₹ 152.21 करोड़ (बकाया देयताओं का 0.5 *प्रतिशत*) होती।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि: राज्य सरकार को तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार "राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि" का गठन करना होता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय और राज्य सरकार को 90:10 के अनुपात में अंशदान करना होता है। इसके अतिरिक्त, यदि राज्य के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत पर्याप्त शेष नहीं है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में से भारत सरकार अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाती है। दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में से प्राकृतिक आपदाओं के लिए वास्तविक व्यय मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाओं पर राहत से सम्बन्धित लघु शीर्षों के अन्तर्गत पुस्तांकित किये जाने चाहिए। राज्य सरकार द्वारा लोक लेखा में प्रत्यक्ष व्यय नहीं किया जाना चाहिए। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के प्राप्त होने पर राज्य सरकार के लिए जरूरी होता है कि आवश्यक पुस्तांकित समायोजन करे ताकि निधि को व्यय के वर्ष में ही प्रयुक्त किया जा सके।

वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 140.24 करोड़ (₹ चार करोड़ क्षमता निर्माण हेतु और ₹ 136.24 करोड़ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में केन्द्रीय सरकार के 90 *प्रतिशत* अंशदान के रूप में) प्राप्त किए। ₹ 15.14 करोड़ के इसके अपने भाग के प्रति राज्य सरकार ने ₹ 11.14 करोड़ जारी किए। ₹ 160.42 करोड़ के संग्रह के प्रति राज्य सरकार ने 31 मार्च 2014 तक निधि में पड़े ₹ 9.05 करोड़ के शेष को छोड़कर जोकि व्ययित नहीं किए गए थे, वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में व्यय के प्रति ₹ 151.36 करोड़ समायोजित किए। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से निहित मुख्य शीर्ष 8121-के अंतर्गत लोक लेखा 'ब्याज वाली आरक्षित निधि' वर्ग से सम्बंधित है और राज्य सरकार से अनिवेशित शेष पर ब्याज (अर्थोपाय अग्रिमों पर लागू 7.5 *प्रतिशत* पर आकलित ₹ 0.68 करोड़) अदायगी अपेक्षित थी, जोकि नहीं की गई थी।

1.9.4 अप्रचालनीय आरक्षित निधियां

दो आरक्षित निधियां अर्थात मुख्य शीर्ष 8115-अवमूल्यन/नवीकरण आरक्षित निधियां-103-अवमूल्यन आरक्षित निधियां-सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम (₹ 0.01 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष 8226-अवमूल्यन/ नवीकरण आरक्षित निधि-101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/ उपक्रमों की अवमूल्यन आरक्षित निधियां (₹ 1.53 करोड़) वर्ष 1971 से अप्रचालित रहीं।

1.9.5 आकस्मिक देयताएं

1.9.5.1 गारंटियों की प्रास्थिति

यदि ऋणी जिसकी गारंटी दी गई है, कोई चूक करता है तो राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटियां[11] आकस्मिक देयतायें हैं।

वित्त लेखे के विवरण-9 के अनुसार विगत तीन वर्षों की बकाया गारंटियां **तालिका-1.24** में दी गई हैं।

तालिका 1.24

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़)

गारंटियां	2011-12	2012-13	2013-14
गारंटियों की बकाया राशि	3,316	3,353	4,333
कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति गारंटियों की बकाया राशि की प्रतिशतता	23	21	28

[11] *परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।*

चालू वर्ष के दौरान गारंटियों की बकाया ₹ 4,333 करोड़ की राशि पांच सांविधिक बोर्डों/ निगमों (₹ 3,992 करोड़), सात सरकारी कम्पनियों (₹ 136 करोड़), एक सहकारी बैंक (₹ 200 करोड़) और एक स्थानीय स्वायत्त निकाय (₹ पांच करोड़) से सम्बंधित है। ₹ 0.25 करोड़ की राशि गारंटी फीस/ कमीशन के रूप में प्राप्त की गई थी। चालू वर्ष के दौरान ₹ 504.45[12] करोड़ की राशि की गारंटी जारी की गई थी जिसमें से वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 344.63 करोड़ का निर्वहन कर दिया गया था। राज्य सरकार ने 2013-14 के दौरान कंफर्ट पत्र जारी करने के सम्बंध में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई थी।

दी गई गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विगत वित्तीय वर्ष के अंत तक बकाया देयताओं की 0.50 *प्रतिशत* की दर पर निम्नतम वार्षिक अंशदान सहित गारंटी विमोचन निधि स्थापित की जानी अपेक्षित थी जैसा कि तेरहवें वित्तायोग द्वारा सिफारिश की गई थी। तथापि, राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी किसी भी निधि को स्थापित नहीं किया है। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2014 तक राजस्व तथा राजकोषीय घाटा ₹ 152.21 करोड़ तक कम बताये गए थे।

1.10 ऋण प्रबंधन

राजकोषीय घाटे को राज्य द्वारा सामान्यत: उधारों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। लोक ऋण प्राप्तियां 2009-12 के दौरान ₹ 2,553 करोड़ से ₹ 1,984 करोड़ तक घट गई लेकिन इसमें 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमश: ₹ 3,371 करोड़ एवं ₹ 4,050 करोड़ की वृद्धि हुई। लोक ऋण चुकौती 2009-10 में ₹ 867 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 2,117 करोड़ हो गई लेकिन विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ₹ 413 करोड़ से घटकर ₹ 1,704 करोड़ हो गई। राज्य को 2013-14 के दौरान ₹ 1,641 करोड़ का राजस्व घाटा वहन करना पड़ा, जिसे वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 4,050 करोड़ का लोक ऋण उठाकर वित्तपोषित किया गया।

1.10.1 ऋण रूपरेखा

विगत चार वर्षों के समय अनुक्रम में प्रति व्यक्ति ऋण चुकौती को दर्शाने वाली संवीक्षा **तालिका 1.25** में दी गयी है।

तालिका 1.25
प्रति व्यक्ति ऋण

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
जनसंख्या (करोड़ में)	0.6767	0.6901	0.6971	0.7042
कुल ऋण (₹ करोड़ में)	24,961	26,494	28,707	31,680
प्रतिव्यक्ति ऋण (₹ में)	36,886	38,392	41,181	44,987

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

तालिका 1.25 प्रति व्यक्ति ऋण की 2010-11 में ₹ 36,886 करोड़ से 2013-14 में ₹ 44,987 करोड़ की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाती है।

1.10.2 ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता का तात्पर्य एक समयावधि में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात का अनुरक्षण रखने से सम्बन्धित राज्य की दक्षता से है। अत: यह राज्य की ऋण निर्वहन दक्षता सूचित करती है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त उन विभिन्न सूचकों, जो राज्य की ऋण धारणीयता[13] को निश्चित करते हैं, का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यह प्रवर्ग ऋण स्थिरीकरण[14]; गैर-ऋण-प्राप्तियों[15] की पर्याप्तता;

---

12 *हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड (₹ 326.25 करोड़ जारी किये; ₹ 159.82 करोड़ जारी नहीं किया) तथा राज्य वित्त निगम (₹ 18.38 करोड़ जारी किये)*

13 परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

14 परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

उधार निधियों[16] की निवल उपलब्धता; ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के प्रति ब्याज भुगतानों द्वारा परिमित) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार राज्य सरकार की ऋण धारणीयता का निर्धारण करता है। वर्ष 2011-12 से आरम्भ करते हुए तीन वर्षों की अवधि हेतु इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण **तालिका 1.26** में दिया जाता है।

तालिका 1.26
ऋण धारणीयता: सूचक एवं प्रवाह

(₹ करोड़)

ऋण धारणीयता के सूचक	2011-12	2012-13	2013-14
ऋण स्थिरता (प्रमात्रा विस्तार + प्राथमिक घाटा)	1,886	746	(-) 212
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)[17]	899	(-) 1,346	(-) 1,032
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	(-)317	(-)155	978
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगी/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.146	0.152	0.158
राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा (वर्षों में)			
0 – 1	1,496(8)	1,533(8)	1,923(8)
1 – 3	3,409(17)	2,946(14)	6,250(27)
3 – 5	2,854(15)	4,349(21)	5,896(26)
5 – 7	4,292(22)	4,380(21)	5,881(25)
7 तथा इससे ऊपर	7,460 (38)	7,557(36)	3,161(14)

लघु कोष्ठकों के आंकड़े लोक ऋण की प्रतिशतता को सूचित करते हैं

उपरोक्त **तालिका 1.26** से प्रकट होता है कि प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार वर्ष 2011-12, 2012-13 में धनात्मक था लेकिन वर्ष 2013-14 में ऋणात्मक हो गया। राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि लोक ऋण का 61 *प्रतिशत* (₹ 14,069 करोड़) आगामी पांच वर्षों में चुकौती योग्य है, जबकि शेष 39 *प्रतिशत* ऋण (₹ 9,043 करोड़) की पांच वर्षों से अधिक अवधि में अदायगी की जानी अपेक्षित है।

अपनी व्यय देयताओं का निर्वहन करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ा, क्योंकि विगत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में राजकोषीय अधिशेष उपलब्ध नहीं था।

1.10.3 बाजार उधारों की समीक्षा

1.10.3.1 परिचय

राजकोषीय घाटा वर्ष के दौरान सरकार की उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। उधारों का लेखांकन समेकित निधि (ई-लोक ऋण) के अंतर्गत किया जाता है। राज्य सरकार के आंतरिक ऋण तथा केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम मुख्य विभाजन हैं। आंतरिक ऋणों का पुन: बाजार ऋणों तथा परक्राम्य ऋणों में विभाजन किया जाता है।

बाजार उधारों को केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की सहमति बिना कोई ऋण नहीं उठा सकती, यदि वे केन्द्र सरकार की ऋणी हैं। राज्य सरकारें दिनांकित प्रत्याभूतियां, विभिन्न अवधियों के राज्य विकास ऋणों को जारी करती हैं। बाजार उधारों की वर्तमान समीक्षा का उद्देश्य

15 परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

16 परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

17 परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2009-14 की अवधि के दौरान उठाए गए बाजार ऋणों की आवश्यकता और उपयोगिता का निर्धारण करना है।

1.10.3.2 बाजार उधारों की स्थिति

2009-10 से 2013-14 की अवधि के बाजार उधारों की वर्षवार स्थिति **तालिका 1.27** में दी गई है।

तालिका 1.27

बाजार ऋणों की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	बाजार ऋणों का अथशेष	वर्ष के दौरान उठाये गये बाजार ऋण	वर्ष के दौरान चुकाये गये बाजार ऋण	अंत शेष	अथशेष के सम्बन्ध में निवल वृद्धि	विगत वर्ष से सम्बन्धित *प्रतिशत* वृद्धि
2009-10	7,658	1,420	243	8,835	1,177	15.37
2010-11	8,835	645	256	9,224	389	4.40
2011-12	9,224	1,325	403	10,147	923	10.00
2012-13	10,147	2,360	698	11,809	1,662	16.37
2013-14	11,809	2,367	611	13,565	1,756	14.87

स्रोत: वित्त लेखे/वित्त विभाग

बाजार उधार 2009-10 के आरम्भ में ₹ 7,658 करोड़ से 77.14 *प्रतिशत* बढ़कर 2013-14 के अंत तक ₹ 13,565 करोड़ हो गये।

1.10.3.3 ऋण धारणीयता सूचक

राज्य सरकार के ऋण धारणीयता सूचक **तालिका 1.28** में दिये गये हैं।

तालिका 1.28

ऋण धारणीयता सूचक

(₹ करोड़)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सकल देयताएं	23,713	26,415	28,228	30,442	33,884
लोक ऋण *	17,113	18,654	19,511	20,765	23,111
सकल बाजार ऋण	8,835	9,224	10,147	11,809	13,565
सकल देयताओं के प्रति बाजार ऋणों की प्रतिशतता	37.26	34.92	35.95	38.79	40.03
लोक ऋण के प्रति बाजार ऋण की प्रतिशतता	51.63	49.45	52.01	56.87	58.69
बाजारी ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर-वित्तीय वर्षवार	8.36	8.45	8.87	8.77	8.71
बाजार ऋणों पर भुगतान किया गया ब्याज	592.50	678.40	706.56	849.54	974.03
चालू मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	48,189	57,452	64,957	73,710	82,585
प्रतिशत में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर	16.16	19.22	13.06	13.48	12.04
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर एवं ब्याज दर अनुपात	1.93:1	2.27:1	1.47:1	1.54:1	1.38:1
राजस्व प्राप्ति अनुपात के प्रति सकल ब्याज भुगतान	0.19:1	0.15:1	0.15:1	0.15:1	0.16:1
प्राथमिक अधिशेष (+)/ घाटा(-)	(-)828.06	(-)582.77	(+)496.65	(-)608.51	(-)1,530.72
राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-)	(-)804.65	(-)1,235.44	(+) 644.89	(-)576.13	(-)1,641.42
राजकोषीय घाटा	2,783.91	2,532.54	1,633.05	2,978.41	4,011.58
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति कुल देयताओं की प्रतिशतता	49.21	45.98	43.46	41.30	41.03
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति लोक ऋण की प्रतिशतता	35.51	32.47	30.04	28.17	27.99
बकाया गारंटियां	1,949.23	3,909.90	3,316.43	3,353.36	4,332.86
विगत वित्तीय वर्ष की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां	9,307.99	10,346.36	1,2710.61	14,542.86	15,598.12
राजस्व प्राप्तियों के प्रति बकाया गारंटियों की प्रतिशतता	20.94	37.79	26.09	23.06	27.78

** आन्तरिक ऋण तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं*

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति कुल देयताओं की प्रतिशतता 2009-10 में 49.21 *प्रतिशत* से घटकर 2013-14 में 41.03 *प्रतिशत* हो गई थी जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति लोक ऋण की प्रतिशतता 2009-10 में 35.51 *प्रतिशत* से घटकर 2013-14 में 27.99 *प्रतिशत* हो गई। 2013-14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति कुल देयताओं की 41.03 प्रतिशतता राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा

बजट प्रबंधन के 42.1 *प्रतिशत* के लक्ष्य के अंतर्गत थी। कुल लोक ऋण में बाजार ऋण का शेयर 2009-10 में 51.63 *प्रतिशत* से बढ़कर 2013-14 में 58.69 *प्रतिशत* हो गया।

इसके अतिरिक्त 2009-10 के अंत तक विद्यमान ₹ 8,835.05 करोड़ का बाजार ऋण 2013-14 में 54 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ ₹ 13,565.33 करोड़ हो गया। विगत पांच वर्षों में बाजार ऋणों में नियमित वृद्धि से सरकार की अपने वित्तों के प्रबंधन हेतु बाजार ऋणों पर अत्यधिक निर्भरता दृष्टिगोचर होती है।

1.10.3.4 बाजार ऋण की रूपरेखा

विगत पांच वर्षों के दौरान उठाये गये बाजार ऋणों की रूपरेखा **तालिका 1.29** में दी गई है।

तालिका 1.29
बाजार ऋण की रूपरेखा

(₹ करोड़)

ऋण की अवधि	उठाये गये ऋण की राशि				
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
3-5 वर्ष	--	---	---	600	440
5-7 वर्ष	---	---	---	400	-----
>7 वर्ष	1,420	645	1,325	1,360	1,927
वर्ष के दौरान उठाये गये कुल ऋण	1,420	645	1,325	2,360	2,367
31 मार्च तक कुल बकाया	8,835	9,224	10,147	11,809	13,565
कुल बकाया ऋण के प्रति वर्ष के दौरान उठाये गये ऋण की प्रतिशतता	16.07	6.99	13.05	19.99	17.45

स्रोत: वित्त विभाग एवं वित्त लेखे

2009-14 के दौरान ₹ 8,117.00 करोड़ के कुल बाजार उधारों में से 82.26 *प्रतिशत* ऋण 10 वर्षों की परिपक्व अवधि के थे। कम परिपक्व अवधि (3-7 वर्ष) के ₹ 1,440 करोड़ के ऋण 2012-13 और 2013-14 के दौरान ही उठाये गये हैं। वित्त विभाग ने बताया (सितम्बर 2014) कि दीर्घावधि की तुलना में कम अवधि पर कम ब्याज दरों के दृष्टिगतकम अवधि के बाजार ऋण उठाये गये थे और इस प्रकार राज्य सरकार ने राज्य कोषागार पर ब्याज का बोझ कम किया।

1.10.3.5 बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति

2014-22 की अवधि के बाजार ऋणों का परिपक्वता प्रवाह की वर्षवार स्थिति **तालिका 1.30** में दी गई है।

तालिका 1.30
बाजार ऋणों का परिपक्वता प्रवाह (31 मार्च 2014 तक)

(₹ करोड़)

परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता राशि	बकाया बाजार ऋणों की प्रतिशतता के रूप में
2015-16	785.55	5.79
2016-17	1,237.35	9.12
2017-18	2,049.01	15.10
2018-19	2,101.90	15.49
2019-20	1,420.00	10.47
2020-21	645.00	4.75
2021-22	1,325.00	9.77

टिप्पणी: मार्च 2014 तक बकाया ऋण = ₹ 13,565.33 करोड़

2017-18 तथा 2018-19 वर्षों के दौरान बकाया ऋणों के क्रमश: 15.10 *प्रतिशत* तथा 15.49 *प्रतिशत* के विमोचन पर विशेष दबाव सहित आगामी सात वर्षों में बकाया बाजार ऋणों की औसतन 10.07 *प्रतिशत* की परिपक्वता राशि अंतर्विष्ट थी। वित्त विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि बाजार ऋण अन्य उधारों

जैसे परक्राम्य ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि ऋण, भारत सरकार से ऋण आदि और सरकार के समस्त वित्तों पर विचार करने के उपरांत उठाये गये थे।

1.10.3.6 बाजार ऋणों की ब्याज दर रूपरेखा

वर्ष वार औसत ब्याज दरें जिन पर सरकार द्वारा 2009-14 की अवधि के दौरान बाजार ऋण प्राप्त किये गये थे **तालिका 1.31** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.31
बाजार ऋणों की ब्याज दर रूपरेखा

(₹ करोड़)

ब्याज दर (*प्रतिशत*)	वर्ष के दौरान उठाये गये बाजार ऋण					
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
7-7.99	-	-	-	-	600	600
8-8.99	1,420	645	1,120	2,360	603	6,148
9-9.99	-	-	205	-	1,164	1,369
भारित औसतन ब्याज दर (*प्रतिशत*)	8.36	8.45	8.87	8.77	8.71	-

स्रोत: वित्त विभाग

बाजार ऋणों पर भारित औसतन ब्याज दर 2009-10 में 8.36 *प्रतिशत* से बढ़कर 2011-12 में 8.87 *प्रतिशत* हो गई तथा फिर 2012-13 में गिर कर 8.77 *प्रतिशत* तथा 2013-14 में 8.71 *प्रतिशत* हो गई। 2009-14 के दौरान 10 वर्षों की परिपक्वता अवधि की तुलना में 2012-13 तथा 2013-14 में कमी 3 से 5 वर्षों की परिपक्वता वाले कम अवधि के बाजार ऋण उठाने के कारण थी।

1.10.3.7 राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान

तालिका 1.32 विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतानों के अनुपात को प्रदर्शित करती है।

तालिका 1.32
राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के प्रति ब्याज भुगतान

(₹ करोड़)

राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सकल ब्याज भुगतान					
विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ब्याज भुगतान	1,955.85	1,949.77	2,129.70	2,369.90	2,480.86
राजस्व प्राप्तियां	10,346.36	12,710.61	14,542.86	15,598.12	15,711.07
राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	18.90	15.34	14.64	15.19	15.79

स्रोत: वित्त लेखे

2009-12 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 18.90 *प्रतिशत* से गिरकर 14.64 *प्रतिशत* हो गई, परन्तु 2012-13 तथा 2013-14 में बढ़कर क्रमश: 15.19 *प्रतिशत* तथा 15.79 *प्रतिशत* हो गई। इस प्रकार राज्य की समग्र ऋण वहन क्षमता में 2009-10 से 2011-12 अवधि में सुधार हुआ लेकिन इसने 2012-13 और 2013-14 की अवधि के दौरान गिरता प्रवाह दर्शाया।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय प्राचल-राजस्व, राजकोषीय एवं मूल घाटा एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा का प्रदर्शन करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा

इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर को प्रस्तुत करता है। घाटे का स्वरूप सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का सूचक है। इसके अतिरिक्त, विधि जिसमें घाटे को वित्तपोषित किया जाता है तथा जुटाये गये साधनों का उपयोग किया जाता है, इसकी राजकोषीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है। यह शाखा इन घाटों के वित्तपोषण की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा एवं विधि तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व के वास्तविक स्तर तथा राजकोषीय घाटे के निर्धारण को भी प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटों का प्रवाह

चार्ट 1.8 एवं **1.9** 2009-14 की अवधि के लिए घाटे के सूचकों के प्रवाह को दर्शाते हैं:

चार्ट 1.8: घाटे के सूचकों का प्रवाह (₹ करोड़)

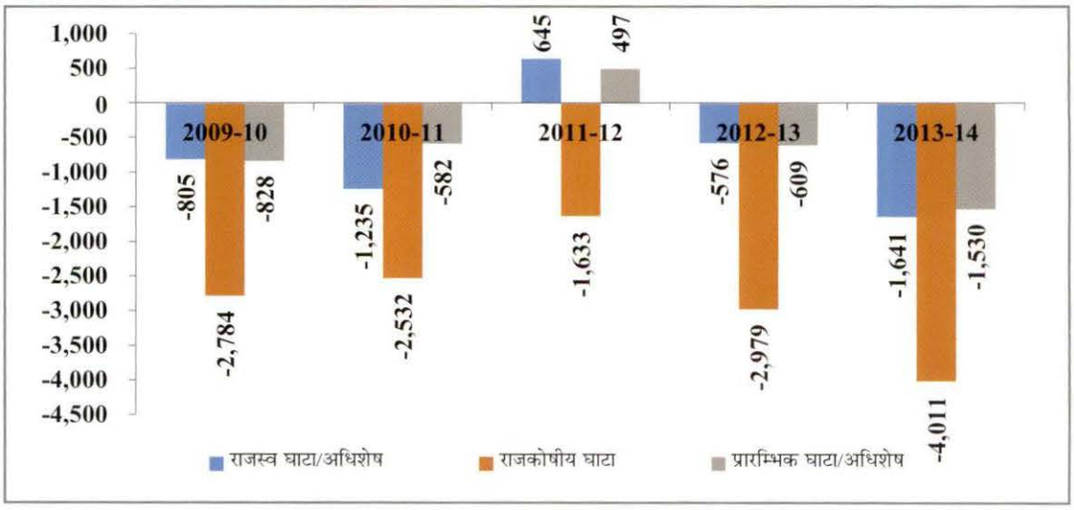

चार्ट 1.9: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में घाटे के सूचकों का प्रवाह

(सकल राज्य घरेलू उत्पाद के *प्रतिशत* के रूप में आंकड़े)

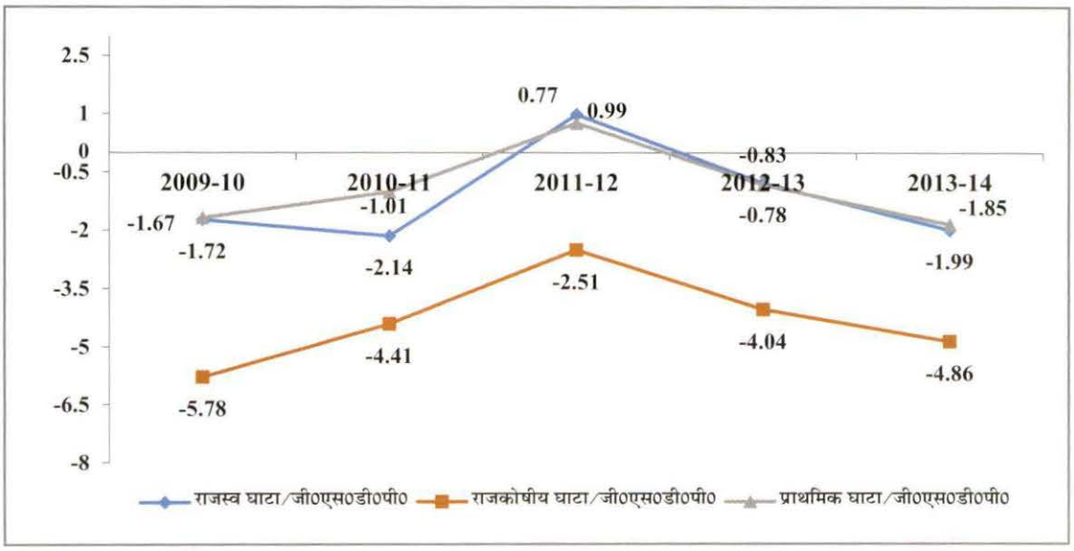

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार 2011-12 के दौरान राजस्व घाटे की शून्य स्थिति की प्राप्ति और तदुपरांत राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित था। **चार्ट 1.8 एवं 1.9** दर्शाते हैं कि वर्ष 2011-12 के अतिरिक्त जब राज्य ने क्रमश: ₹ 645 करोड़ एवं ₹ 497

करोड़ का राजस्व एवं मूल अधिशेष पाया, 2009-14 के दौरान राजस्व, राजकोषीय एवं मूल सभी लेखों में भारी घाटे की स्थिति का अनुभव किया गया। 2009-10 में राज्य का ₹ 805 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ था जो और कम हो कर 2010-11 में ₹ 1,235 करोड़ हो गया। 2011-12 में राजस्व अधिशेष की स्थिति से ₹ 54 करोड़ के राजस्व अधिशेष के बजट आकलन के प्रति राज्य को 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमश: ₹ 576 एवं ₹ 1,641 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। राज्य सरकार ने विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 1,178 करोड़ की वृद्धि को राजस्व घाटे में वृद्धि का कारण बताया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने बताया कि 2013-14 के लिए बजट प्राक्कलनों के प्रति वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹ 1,990 करोड़ से कम थी। उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार राज्य बजट 2013-14 में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से प्राप्ति के रूप में ₹ 605 करोड़ का प्रावधान किया गया था। पंजाब तथा हरियाणा राज्य ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी और मामला उक्त न्यायालय में लंबित था। इसके अतिरिक्त तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों में ₹ 554 करोड़ और राज्य योजना स्कीमों के ₹ 414 करोड़ के अनुदानों की कमी थी।

राजकोषीय घाटा 2012-13 में ₹ 2,979 करोड़ से ₹ 1,032 करोड़ बढ़कर 2013-14 के दौरान ₹ 4,011 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.86 *प्रतिशत* था, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये प्रक्षेपणों (अर्थात् 3 *प्रतिशत*) से सार्थक रूप से अधिक था। राज्य सरकार ने बताया कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का कारण राजस्व घाटे में वृद्धि था जिसका कारण 2013-14 के बजट प्राक्कलनों के प्रति राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,990 करोड़ की कमी था। मूल घाटा 2012-13 में ₹ 609 करोड़ से ₹ 921 करोड़ बढ़कर 151 *प्रतिशत* का परिवर्तन दर्शाते हुए 2013-14 में ₹ 1,530 करोड़ हो गया।

1.11.2 राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसका वित्तीय स्वरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीय ढांचे में एक रचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा कि **तालिका 1.33** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.33

राजकोषीय घाटे का संघटन तथा इसका वित्तीय ढांचा

(₹ करोड़)

	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजकोषीय घाटे के संघटक						
1	राजस्व घाटा/अधिशेष	(-) 805 ((-) 1.67)	(-)1,235 ((-) 2.15)	(+) 645 (0.99)	(-) 576 ((-) 0.78)	(-) 1,641 ((-) 1.99)
2	पूंजीगत व्यय	1,943 (4.03)	1,789 (3.11)	1,810 (2.79)	1,955 (2.65)	1,856 (2.25)
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	36 (0.07)	154 (0.27)	468 (0.72)	448 (0.61)	514 (0.62)
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	48,189	57,452	64,957	73,710	82,585
राजकोषीय घाटे का वित्तीयन ढांचा*						
1	बाजार उधार	1,177	389	922	1,662	1,757
2	भारत सरकार से ऋण	13	(-) 23	(-) 13	71	(-) 6
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	396	650	127	286	424
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	78	526	(-) 180	(-) 764	173
5	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	546	888	636	1,112	887
6	निक्षेप एवं अग्रिम	265	333	178	(-) 156	207
7	उचन्त एवं विविध	117	137	(-) 119	756	267
8	प्रेषण	75	48	(-) 127	(-) 174	(-) 23
9	अन्य	117	(-)416	209	186	325
10	समग्र अधिशेष/घाटा	(-) 2,784	(-) 2,532	(-) 1,633	(-) 2,979	(-) 4,011

कोष्ठकों के आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रतिशत इंगित करते हैं।

**ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरणों/बाह्य प्रवाह का निवल हैं।*

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य की राजकोषीय स्थिति में 2009-10 के दौरान ₹ 2,784 करोड़ का भारी घाटा हुआ जो 2010-11 तथा 2011-12 में घट कर क्रमश: ₹ 2,532 करोड़ तथा ₹ 1,633 करोड़ हो गया। 2012-13 में राज्य की राजकोषीय स्थिति बिगड़ गई तथा यह प्रवृत्ति 2013-14 में भी चालू रही और इसका घाटा ₹ 4,011 करोड़ पर स्थिर था, जिसे मुख्यत: बाजार से उधारों, लघु बचतों, भविष्य निधि आदि तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधियों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के द्वारा वित्तपोषित किया गया।

1.11.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात सूचित करता है कि किस सीमा तक उधार ली गई निधियां चालू उपभोग हेतु प्रयुक्त की गई। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटे के संदर्भ में राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात यह भी इंगित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरन्तर कम हो रहा है तथा उधारों (राजकोषीय देयताएं) का कोई परिसम्पत्ति पृष्ठ पोषण नहीं है। 2009-13 के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात 0.19 से 0.49 तक था। 2013-14 के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात महत्वपूर्ण रूप से अधिक 0.41 था।

प्राथमिक घाटे (**तालिका 1.34**) का द्विभाजन पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटे की मात्रा को इंगित करता है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को सुधारने के लिए वांछनीय है।

तालिका 1.34
प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का द्विभाजन

(₹ करोड़)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल मूलभूत व्यय(3+4+5)	प्राथमिक राजस्व अधिशेष (2-3)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष(+) (2-6)
2009-10	10,380	9,195	1,943	70	11,208	1,185	(-) 828
2010-11	13,430	11,996	1,789	227	14,012	1,434	(-) 582
2011-12	14,568	11,768	1,810	493	14,071	2,800	(+) 497
2012-13	15,619	13,804	1,955	469	16,228	1,815	(-) 609
2013-14	15,728	14,871	1,856	531	17,258	857	(-) 1,530

राज्य का 2009-10 में ₹ 828 करोड़ का प्राथमिक घाटा था, जो 2010-11 में घटकर ₹ 582 करोड़ हो गया। 2011-12 के दौरान राज्य के वित्तों में सुधार के पश्चात प्राथमिक घाटा ₹ 497 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया। तथापि, राज्य को 2012-13 में ₹ 609 करोड़ का मूलभूत घाटा वहन करना पड़ा, जो चालू वर्ष के दौरान आगे ₹ 1,530 करोड़ तक बढ़ गया। 2013-14 के दौरान प्राथमिक घाटा मुख्यत: विगत वर्ष की तुलना में ₹ 1,178 करोड़ (7.28 *प्रतिशत*) के राजस्व व्यय में सार्थक वृद्धि के कारण था। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति ब्याज भुगतानों की प्रतिशतता 62 *प्रतिशत* पर स्थिर थी।

1.12 राज्य वित्त के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य के वित्त पर वर्ष 2008-09 से आगे पृथक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है और राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 से आगे के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित टिप्पणी/आत्म प्रेरित उत्तर प्रस्तुत कर दिए थे। लोक लेखा समिति द्वारा राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी है।

1.13 निष्कर्ष

विगत वर्ष की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियां (₹ 15,711 करोड़) ₹ 113 करोड़ (एक *प्रतिशत*) बढ़ी, जबकि राजस्व व्यय ₹ 1,178 करोड़ (7.29 *प्रतिशत*) बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13

के दौरान ₹ 576 करोड़ के राजस्व घाटे की तुलना में ₹ 1,641 करोड़ का राजस्व घाटा पंजीकृत किया गया। राजस्व लेखा 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन में किये गये प्रक्षेपणों में राजस्व अधिशेष के अनुश्रवण के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के तीन *प्रतिशत* के लक्ष्य के प्रति 2013-14 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा सार्थक रूप से 4.86 *प्रतिशत* उच्चतर था। विगत वर्ष का ₹ 609 करोड़ का प्राथमिक घाटा 2013-14 के दौरान ₹ 1,530 करोड़ तक बढ़ गया।

2013-14 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 88 *प्रतिशत* था तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय राजस्व व्यय का 86 *प्रतिशत* था। योजनागत राजस्व व्यय विगत वर्ष की तुलना में 14 *प्रतिशत* बढ़ा। पूंजीगत व्यय (₹ 1,856 करोड़) कुल व्यय का नौ *प्रतिशत* था जो विगत वर्ष की तुलना में पांच *प्रतिशत* तक घट गया।

2013-14 के दौरान भारत सरकार ने विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट के माध्यम की बजाय सीधे ₹ 1,671 करोड़ का अंतरण किया। इन निधियों से व्यय का अनुश्रवण करने के लिए कोई अलग अभिकरण नहीं है।

विगत पांच वर्षों में सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारिताओं में सरकारी निवेशों पर औसत प्रतिफल 2.24 एवं 3.62 *प्रतिशत* के मध्य था जबकि सरकार ने उधारों पर 7.71 से 8.59 *प्रतिशत* तक औसत ब्याज दर पर भुगतान किया था। 2006-07 से 2013-14 के दौरान चार इकाइयों को ₹ 10.04 करोड़ के ऋण दिए गए थे जिनके लिए शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

11 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएं ₹ 33,884 करोड़ थी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 41 *प्रतिशत* तथा राजस्व प्राप्तियों का 216 *प्रतिशत* थी। कुल लोक ऋण में बाजार ऋणों का हिस्सा 2009-10 में 51.63 *प्रतिशत* से बढ़कर 2013-14 में 58.69 *प्रतिशत* हो गया। 2017-18 तथा 2018-19 वर्षों के दौरान बकाया ऋण के क्रमशः 15.10 *प्रतिशत* तथा 15.49 *प्रतिशत* ऋण मुक्ति पर सार्थक दबाव सहित परिपक्व राशि आगामी सात वर्षों की तुलना में बकाया बाजार ऋणों की 10.07 *प्रतिशत* थी।

1.14 सिफारिशें

सरकार को विचार करना चाहिए:

(i) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राजस्व अधिशेष के अनुरक्षण हेतु राजस्व घाटे को कम करना और कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाना।

(ii) राज्य की समेकित निधि में समस्त राजस्व प्राप्तियां जमा करवाना और राज्य विधान सभा के प्राधिकृत किये जाने के पश्चात व्यय करना।

(iii) इकाइयों/संस्थाओं से बकाया ऋणों की वसूली हेतु प्रभावशाली कदम उठाना।

(iv) राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप देना और पूर्ववर्ती ऋणों की वसूली किए बिना ऋणों एवं अग्रिमों की संस्वीकृति की प्रक्रिया की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत्त अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत्त एवं प्रभारित व्यय के लेखे विनियोजन लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की दोनों प्रभारित व दत्तमत्त मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोजन लेखे वित्तों के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधान के अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाते हैं इसलिए ये वित्त लेखे के सम्पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय वास्तविक रूप में विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधान के अंतर्गत प्रभारित किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के अनुसार प्रभारित किया गया है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आई बजट एवं व्यय प्रबन्धन तथा बजट नियमावली के उल्लंघन से सम्बंधित कमियों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.2 विनियोजन लेखे का सारांश

वर्ष 2013-14 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति **तालिका 2.1** में दी गई है।

तालिका 2.1

मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़)

व्यय स्वरूप	मूल अनुदान/विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत[1] (-) / आधिक्य (+)
दत्तमत्त					
राजस्व	16,715.83	910.62	17,626.45	16,775.73	(-) 850.72
पूंजी	2,104.27	115.57	2,219.84	1,901.42	(-) 318.42
ऋण एवं अग्रिम	342.39	186.56	528.95	531.05	2.10
कुल दत्तमत्त	**19,162.49**	**1,212.75**	**20,375.24**	**19,208.20**	**(-) 1,167.04**
प्रभारित					
राजस्व	*2,472.93*	*74.07*	*2,547.00*	*2,523.68*	*(-) 23.32*
पूंजी	-	*4.88*	*4.88*	*4.88*	-
लोक ऋण-चुकौती	*1,714.45*	*210.01*	*1,924.46*	*1,704.27*	*(-) 220.19*
कुल प्रभारित	***4,187.38***	***288.96***	***4,476.34***	***4,232.83***	***(-) 243.51***
आकस्मिक निधि (अगर कोई है) से विनियोजन					
	--	--	--	--	--
सकल योग	**23,349.87**	**1,501.71**	**24,851.58**	**23,441.03**	**(-) 1,410.55**

स्रोत: विनियोजन लेखे

वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत पंजीकृत की गई ₹ 1,410.55 करोड़ की समग्र बचत/अप्रयुक्त निधियां, राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत 25 अनुदानों व पांच विनियोजनों तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत 24 अनुदानों व दो विनियोजनों में ₹ 1,885.41 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप थी जिसे

[1] *निधियों के उपयोग में कमी*

राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत सात अनुदानों तथा तीन विनियोजनों तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत तीन अनुदानों में ₹ 474.86 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रति संतुलित किया गया।

वर्ष के दौरान अनुदान/विनियोजन जिनके प्रति ₹ 25 करोड़ से अधिक की सार्थक बचतें पाई गई वो शिक्षा (राजस्व-दत्तमत्त), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व-दत्तमत्त), ग्रामीण विकास (राजस्व-दत्तमत्त), विद्युत विकास (राजस्व-दत्तमत्त), श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण (राजस्व-दत्तमत्त), वित्त (राजस्व-दत्तमत्त), जनजातिय विकास (राजस्व-दत्तमत्त) और लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल व भवन (पूंजीगत-दत्तमत्त), सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (पूंजीगत-दत्तमत्त), जनजातिय विकास (पूंजीगत-दत्तमत्त), अनुसूचित जाति उप-योजना (पूंजीगत-दत्तमत्त) और वित्त (पूंजीगत-प्रभारित) थे। इसी प्रकार अनुदान जिनके प्रति वर्ष 2013-14 के दौरान आवंटनों की तुलना में सार्थक अधिक व्यय पाया गया वे भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन (राजस्व-दत्तमत्त), लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल व भवन (राजस्व-दत्तमत्त), सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (राजस्व-दत्तमत्त), शहरी विकास, नगर तथा ग्रामीण योजना एवं आवास (राजस्व-दत्तमत्त) और सहकारिता (पूंजीगत-दत्तमत्त) थे।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश द्वारा संबन्धित नियंत्रण अधिकारियों से 239 उप-शीर्षों (आधिक्य: 135 उप-शीर्ष; बचत: 104 उप-शीर्ष) के संबन्ध में बचतों/आधिक्यों के लिए कारण मांगे गये थे (जुलाई 2014)। कारण प्रतीक्षित थे (सितंबर 2014)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 बचतें

विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम से उद्घाटित हुआ कि 33 मामलों में बचतें प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ तक बढ़ गई तथा सात मामलों में कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक रही **(परिशिष्ट 2.1)**। ₹ 1,885.41 करोड़ की कुल बचतों में से 10 अनुदानों/विनियोजनों से संबन्धित मात्र 10 मामलों में ₹ 1,585.03 करोड़ (84 *प्रतिशत*) की पर्याप्त बचतें थी जहां बचत प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ से अधिक थी जैसा कि **तालिका 2.2** में इंगित किया गया है।

तालिका 2.2

₹ 50 करोड़ से अधिक की बचतों सहित अनुदानों की सूची

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें/प्रतिशतता	महत्त्वपूर्ण बचतों की स्कीमें
राजस्व दत्तमत्त					
1	2	3	4	5	6
1.	08-शिक्षा	3,542.10	3,199.65	342.45 (10)	माध्यमिक विद्यालय: 204.90 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय: 62.80
2.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,026.44	910.61	115.83 (11)	शहरी स्वास्थ्य: 29.10 ग्रामीण स्वास्थ्य: 44.97
3.	20-ग्रामीण विकास	460.97	400.93	60.04 (13)	मगनरेगस: 17.81
4.	23-विद्युत विकास	276.52	6.69	269.83 (98)	टैरिफ रोल के लेखा पर उपदान: 269.12
5.	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	179.61	100.74	78.87 (44)	कौशल विकास भत्ता: 78.87
6.	29-वित्त	3,146.00	2,897.11	248.89 (08)	01.11.1966 से पदासीन: 57.98 01.11.1966 से उपदान भुगतान: 71.51 01.11.1966 से पारिवारिक पेंशन भुगतान: 69.74
पूंजीगत-दत्तमत					
7.	10-लोक निर्माण कार्य-सड़कें,पुल एवं भवन	555.43	478.22	77.21 (14)	विश्व बैंक राज्य सड़कें: 60.00
8.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वास्थ्य	312.18	224.09	88.09 (28)	मध्यम सिंचाई पर अन्य पूंजीगत परिव्यय: 31.90 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई स्कीमें: 20.17
9.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	579.26	495.63	83.63 (14)	फिनासिंह परियोजना 10.20 हि०प्र०वि०नि० को ऋण: 31.63

1	2	3	4	5	6
पूंजीगत-प्रभारित					
10	29-वित्त	1924.46	1704.27	220.19 (11)	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष: 220.17
	योग	**12,002.97**	**10,417.94**	**1,585.03**	

स्रोत: विनियोजन लेखे

कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

मगनरेगस: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम

हि0प्र0वि0नि0: हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक अनुदान के प्रति पर्याप्त बचतों (उपयोग में कमी) के लिए कारण नहीं बताए गए थे (सितम्बर 2014)।

2.3.2 निरंतर बचतें

गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में चार मामलों में प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें थी, जैसा कि **तालिका 2.3** में वर्णित किया गया है।

तालिका 2.3

2009-14 के दौरान निरंतर बचतों सहित अनुदानों की सूची

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	बचत की राशि				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व दत्तमत्त						
1.	03-न्याय प्रशासन	2.84	16.51	15.96	14.78	16.71
2.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	9.99	7.78	9.43	6.89	13.44
3.	20-ग्रामीण विकास	2.06	4.06	75.07	72.69	60.04
पूंजीगत-दत्तमत्त						
4.	29-वित्त	4.18	1.84	1.67	5.07	4.52

स्रोत: विनियोग लेखे

वर्ष 2011-12 (₹ 57.86 करोड़), 2012-13 (₹ 18.16 करोड़) तथा 2013-14 (₹ 17.81 करोड़) के दौरान अनुदान संख्या 20-ग्रामीण विकास के अंतर्गत बचतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत था। इससे अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण इंगित हुआ।

2.3.3 अधिक व्यय

छ: मामलों में ₹ 5075.10 करोड़ का कुल व्यय अनुमोदित प्रावधानों से प्रत्येक मामलें में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान के दो मामलों में 20 *प्रतिशत* से अधिक रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 473.25 करोड़ का अधिक व्यय हुआ (**परिशिष्ट 2.2**)। विभागों से अधिक व्यय के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2014)।

2.3.4 निरंतर अधिक व्यय

गत पांच वर्षों के दौरान दो मामलों में निरंतर अधिक व्यय था, जैसाकि **तालिका 2.4** में इंगित किया गया है।

तालिका 2.4

2009-14 के दौरान निरंतर अधिक व्यय को इंगित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं नाम	अधिक व्यय की राशि/प्रतिशतता				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व-दत्तमत्त						
1.	**10-लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल एवं भवन**	215.36 (16)	219.60 (14)	221.99 (12)	35.57 (02)	45.96 (02)
2.	**13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता**	236.55 (24)	586.72 (56)	350.71 (31)	285.21 (21)	255.33 (17)

स्रोत: विनियोजन लेखे

कोष्ठक में दिये गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

निरंतर अधिक व्यय दर्शाता है कि विभागों में बजटीय नियंत्रण निष्प्रभावी था और बजट आकलन वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए थे।

2.3.5 बिना प्रावधान के व्यय

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार निधियों के प्रावधान के बिना स्कीम/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया जैसाकि **तालिका 2.5** में ब्यौरा दिया गया है कि नौ मामलों में मूल आकलनों/अनुपूरक मांग में बिना किसी प्रावधान तथा इस आशय के किन्हीं पुनर्विनियोजन आदेशों के बिना ₹ 13.43 करोड़ का व्यय किया गया।

तालिका 2.5

2013-14 के दौरान प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या व नाम	बिना प्रावधान के व्यय की राशि
	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	
1.	4701/15/799/02 (स्टॉक निर्माण)	0.06
2.	4702/00/799/03 (विविध लोक निर्माण कार्य एवं अग्रिम)	0.10
3	4711/01/800/14 (बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला ऊना में लूनखड्डी खड्ड का पृथक्करण)	0.01
	31-जनजातिय विकास	
4.	2215/01/796/04, 05 तथा 06 (स्टॉक निर्माण तथा विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम)	8.25
5.	2401/00/796/38 (नई पौधशालाओं की स्थापना पर व्यय)	0.05
6.	2401/00/796/40 (संयंत्र सुरक्षा पर व्यय)	0.03
7.	2401/00/796/43 (उत्तरपूर्वी तथा हिमालयन राज्यों के लिए बागवानी मिशन के अंतर्गत संरक्षित जुताई स्कीम)	0.01
8.	2702/80/796/08, 09 and 10 (स्टॉक, स्टॉक निर्माण तथा विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम)	4.78
9.	4215/01/796/04 (मरूस्थल प्रभावित क्षेत्रों के लिए त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों पर व्यय)	0.14
	योग	**13.43**

स्रोत: विनियोजन लेखे

विनियोजन से अधिक या विनियोजन के बिना व्यय बजटीय नियंत्रण तन्त्र में व्यपगतताओं को दर्शाता है तथा राज्य विधान मण्डल के अनुमोदन के बिना किये जाने से अनियमित भी है।

2.3.6 बजट अनुदान के व्यपगमन से बचने के लिए निधियों का आहरण

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली के नियम 5.71 (ग) (5) में यह अनुबद्ध है कि कोषागार से किसी भी राशि का आहरण नहीं किया जाऐगा बशर्ते यह अतिशीघ्र संवितरण हेतु आवश्यक है। निम्नवत् मामलों के सम्बन्ध में आहरित की गई राशियों को न तो किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों पर व्यय किया गया और न ही 2013-14 वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले कोषागार में वापिस किया गया।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण कार्य विभागों के चार[2] मण्डलों के अधिशाषी अभियन्ताओं ने 14 निर्माण कार्यों[3] के प्रचालनार्थ ₹ 13.59 करोड़ आहरित किए (मार्च 2013) तथा साथ-साथ उनके नियंत्रणाधीन अन्य मण्डलों (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) तथा उप-मण्डलों[4] (लोक निर्माण कार्य) को निधियां हस्तांतरित की। 2013-14 के वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2013 तथा जनवरी 2014 के बीच मण्डलों (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) से ₹ 11.73 करोड़ की राशि वापिस प्राप्त की थी तथा जमा शीर्ष के अंतर्गत

---

2 बिलासपुर: ₹ 9.72 करोड़; नम्बर I कसुम्पटी: ₹2.01 करोड़ (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) तथा कांगड़ा: ₹ 0.58 करोड़ तथा सोलन: ₹ 1.28 करोड़

3 कोल डेम से लिफ्ट जलापूर्ति स्कीम का निर्माण (एक); (लोक निर्माण कार्य) टूटी कण्डी (एक) स्थित मुख्य अभियन्ता कार्यालय भवन का निर्माण (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) तथा विशेष मुरम्मत/आवधिक अनुरक्षण (सात); सड़क का निर्माण (एक); पुल का निर्माण (एक) तथा कार्यालय एवं रिहायशी आवास/विश्राम गृह का निर्माण (तीन) (लोक निर्माण कार्य)।

4 घुमारवीं: ₹ 9.72 करोड़; सुन्नी: ₹ 2.01 करोड़ (आई0पी0एच0) तथा कांगड़ा: ₹ 0.58 करोड़ तथा सोलन: ₹ 1.28 करोड़ (लोक निर्माण कार्य)

रखी थी। उप-मण्डलों (लोक निर्माण कार्य) ने भी ₹ 1.86 करोड़ की राशि जमा शीर्ष के अंतर्गत रखी (अप्रैल 2013)।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि सम्बंधित अधिशाषी अभियन्ता सम्पूर्ण राशि प्रयुक्त नहीं कर सके थे तथा ₹ 4.44 करोड़[5] की समेकित निधि उनके पास जमा शीर्ष के अंतर्गत अप्रयुक्त रही (मई तथा जुलाई 2014)। अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए बजट वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में आहरित किए गए थे। अधिशाषी अभियन्ताओं ने तथ्यों को स्वीकार किया (जनवरी-अगस्त 2014)।

व्यय के आहरण एवं इसे जमा शीर्ष के अंतर्गत रखने से बजटीय नियंत्रण तन्त्र कमजोर हुआ क्योंकि यह राज्य लेखों में व्यय के रूप में पुस्तांकित किया गया जबकि राशि को अभी भी खर्च करना बाकी है।

2.3.7 नियमन हेतु अपेक्षित प्रावधानों पर आधिक्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए राज्य विधायिका से अधिक अनुदान/विनियोजन को नियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि व्यय के नियमन हेतु अनुच्छेद के अंतर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखों पर विवेचना पूर्ण होने के उपरांत अधिक व्यय का विनियमन किया जाता है। तथापि, 2009-13 वर्षों हेतु ₹ 4,581.03 करोड़ (**परिशिष्ट 2.3**) का अधिक व्यय विनियमित किया जाना बाकी था। वर्ष 2013-14 के दौरान 10 अनुदानों तथा तीन विनियोजनों में हुए ₹ 474.86 करोड़ (**परिशिष्ट 2.4**) के व्यय आधिक्य को भी नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

2.3.8 अनावश्यक/अधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 10 मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख से अधिक, प्राप्त समग्र ₹ 387.62 करोड़ (**परिशिष्ट 2.5**) का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं गया। तीन मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) प्राप्त ₹ 75.55 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान ₹ 191.32 करोड़ (**परिशिष्ट 2.6**) के कुल अनावृत आधिक्य व्यय को छोड़ते हुए अपर्याप्त सिद्ध हुआ। शहरी विकास विभाग द्वारा अनावृत आधिक्य में से ₹ 89.44 करोड़ (47 *प्रतिशत*) अनुदान संख्या 28-शहरी विकास,नगर एवं ग्राम्य योजना तथा आवासीय (राजस्व दत्तमत्त) में खर्च किया गया।

2.3.9 निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई से जहां बचतें प्रत्याशित है, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, अनुदान के अन्तर्गत निधियों का अंतरण है। अविवेकी पुनर्विनियोजन अधिक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप 57 उप-शीर्षों (**परिशिष्ट 2.7**) में ₹ एक करोड़ से अधिक बचतें/आधिक्य हुआ। इनमें से, 18 उप-शीर्षों में ₹ 10 करोड़ से अधिक का आधिक्य/बचतें हुई। इसके अतिरिक्त शीर्ष 2245-106-01 (सड़कों तथा पुलों की मुरम्मत पर व्यय) के अंतर्गत अनुदान संख्या 5-भू: राजस्व तथा जिला प्रशासन के तहत ₹ 41.47 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ था वहीं ₹ 17.58 करोड़ का पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

2.3.10 पर्याप्त अभ्यर्पण

स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न करने अथवा धीमें कार्यान्वयन से 48 उप-शीर्षों (**परिशिष्ट 2.8**) के सम्बंध में पर्याप्त अभ्यर्पण (मामले जहां कुल प्रावधान का 50 *प्रतिशत* से अधिक अभ्यर्पित किया गया)

---

5 बिलासपुर: ₹ 1.32 करोड़; न0 I कुसुम्पटी: ₹ 1.88 करोड़ (आई0पी0एच0) तथा कांगड़ा: ₹ 0.58 करोड़ तथा सोलन: ₹ 0.66 करोड़ (लोक निर्माण कार्य)

किये गये थे। इन 48 स्कीमों में ₹ 510.80 करोड़ राशि के कुल प्रावधान में से ₹ 467.70 करोड़ (92 *प्रतिशत*) के अभ्यर्पण किये गये थे जिसमें 19 स्कीमों (₹ 72.36 करोड़) (**परिशिष्ट 2.9**) में शत-*प्रतिशत* अभ्यर्पण सम्मिलित थे। 19 स्कीमों में 'तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों पर व्यय' (₹ 7.53 करोड़), 'बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जाहू खड्ड से बोम तक सीर खड्ड का पृथक्करण' (₹ 8.41 करोड़) अनुदान संख्या 13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के अंतर्गत, 'राज्य कला उद्योग के निर्माण पर व्यय' (₹ 3.70 करोड़) तथा 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत व्यय' (₹ 1.73 करोड़) अनुदान संख्या 32-अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत अभ्यर्पित किये गए थे।

इसके अतिरिक्त, 26 मामलों में 31 मार्च 2014 तक ₹ 1,331.08 करोड़ से अंतर्विष्ट प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक का अभ्यर्पण था **(परिशिष्ट 2.10)**। मार्च 2014 के अंतिम कार्य दिवस पर निधियों का अभ्यर्पण जरूरतमंद क्षेत्रों में अन्य विकासशील उद्देश्यों के लिए निधियों की अनुपयोक्तता बताते हुए अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

2.3.11 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अभ्यर्पण आदेश की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि सात मामलों में अभ्यर्पित की गई राशि (प्रत्येक मामले में ₹ 20 लाख अथवा अधिक) सम्बंधित शीर्षों के प्रति पाई गई वास्तविक बचतों से अधिक थी जो इन विभागों में बजटीय नियंत्रण की कमी अथवा अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को इंगित करती है। इन मामलों में पाई गई ₹ 304.25 करोड़ की बचतों के प्रति अभ्यर्पित राशि ₹ 391.74 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 87.49 करोड़ (**परिशिष्ट 2.11**) का अधिक अभ्यर्पण हुआ। बचतों के अधिक अभ्यर्पण के कारण सम्बंधित विभागों से प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2014)।

2.3.12 प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण ना करना

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली (अध्याय 11 का परिच्छेद 11.2) के अनुसार सभी बचतें, जब कभी प्रत्याशित हो, व्यय करने वाले विभाग द्वारा अद्यतन 15 जनवरी तक वित्त विभाग को अवश्य अभ्यर्पित की जानी चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि निम्नलिखित अनुदानों/विनियोजनों में ₹ 1068.12 करोड़ की कुल बचतों में से केवल ₹ 553.80 करोड़ अभ्यर्पित किये गये जैसाकि **तालिका 2.6** में विवरणित है।

तालिका 2.6

अभ्यर्पित न किए गए ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई
राजस्व-दत्तमत्त				
1.	03-न्यायिक प्रशासन	16.71	16.04	0.67
2.	08-शिक्षा	342.46	342.10	0.36
3.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	115.83	115.21	0.62
4.	12-बागवानी	7.29	6.69	0.60
5.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यिकी	16.59	16.25	0.34
6.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	8.67	7.96	0.71
7.	29- वित्त	248.90	3.42	245.48
8.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	23.69	23.34	0.35
राजस्व प्रभारित				
9.	29- वित्त	22.37	4.91	17.46
पूंजीगत-दत्तमत्त				
10.	31- जनजातिय विकास	45.42	17.87	27.55
पूंजीगत प्रभारित				
11.	29- वित्त	220.19	0.01	220.18
	योग	**1,068.12**	**553.80**	**514.32**

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, बचतों की बड़ी राशि के बावजूद अनुदान संख्याओं 29-वित्त: ₹ 245.48 करोड़ (राजस्व-दत्तमत्त); 29-वित्त: ₹ 17.46 करोड़ (राजस्व-प्रभारित); 31-जनजातिय विकास: ₹ 27.55 करोड़ (पूंजीगत-दत्तमत) तथा 29-वित्त: ₹ 220.18 करोड़ (पूंजीगत-प्रभारित) के अंतर्गत पर्याप्त अभ्यर्पण नहीं किये गए थे।

2.3.13 व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के अनुसार विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समापन मास में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचना चाहिए।

इसके विपरीत 22 उप-शीर्षों (**परिशिष्ट 2.12**) के सम्बन्ध में वर्ष हेतु कुल व्यय के 50 *प्रतिशत* से अधिक से समावेशित ₹ 10 करोड़ से अधिक का व्यय मार्च 2014 के मास में किया गया था। मुख्य शीर्षों, जहां व्यय 50 *प्रतिशत* से अधिक या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही अथवा अंतिम मास के दौरान किया गया, का ब्यौरा **तालिका 2.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7

वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह के मामले

(₹ करोड़)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष (दत्तमत)	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2014 के दौरान	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	47.48	32.33	68	28.46	60
2.	2245-प्राकृतिक आपदाओं पर राहत(1)	296.72	177.75	60	99.82	34
3.	2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर	11.03	9.99	91	3.45	31
4.	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	9.09	8.62	95	4.76	52
5	4055-पुलिस आवास पर पूंजीगत परिव्यय	27.86	19.05	68	14.19	51
6.	4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	174.22	101.15	58	74.06	43
7.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	38.46	34.38	89	34.36	89
8.	4225-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	13.56	12.17	90	9.60	71
9.	6425-सहकारिता पर ऋण	36.75	25.00	68	25.00	68
10.	2236-पौषण	59.85	30.27	51	6.13	10
11.	4705-कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	20.00	13.55	68	12.22	61
12.	4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	38.58	32.84	85	25.46	66
योग		**773.60**	**497.10**	**64**	**337.51**	**44**

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना।

2.4 विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में लम्बन

हिमाचल प्रदेश कोष नियमावली के नियम 5.74 और 5.75 के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक सार आकस्मिक बिल में प्रमाणित करना होता है कि उस बिल की तिथि से एक मास से अधिक समय से आहरित सार आकस्मिक बिलों के सम्बन्ध में विस्तृत बिलों को कोषाधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उसी वित्तीय वर्ष, जिसमें यह आहरित किए गए हैं, के दौरान अग्रिम को समायोजित करवाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का है। 10

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा मार्च 2014 तक सार आकस्मिक बिलों पर आहरित ₹ 32.22 करोड़ में से 31 जुलाई 2014 तक प्राप्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की कुल राशि ₹ 0.19 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.03 करोड़ का बकाया शेष जो आहरित सार आकस्मिक बिलों का मार्च 2014 तक 99 *प्रतिशत* था। वर्षवार एवं विभागवार ब्यौरा **परिशिष्ट 2.13** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में आयुर्वेद विभाग का सार आकस्मिक/विस्तृत आकस्मिक बिलों की विस्तृत संवीक्षा के लिए चयन किया गया था। एकित्रत की गई (जुलाई 2014) सूचना तथा आयुर्वेद विभाग के अभिलेखों (अगस्त 2014) की अतिरिक्त सूचना ने दर्शाया कि 2009-14 वर्षों के दौरान, ₹ 19.80 करोड़ की राशि के 58 सार आकस्मिक बिल हिमाचल प्रदेश राज्य सामान्य आपूर्ति निगम सीमित, शिमला के प्रबन्ध निदेशक के पक्ष में आहरित किये गए थे तथा 31 जुलाई 2014 तक असमायोजित रहे जो कि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली के विपरीत था। विवरण निम्नवत **तालिका 2.8** में हैं।

तालिका 2.8

जुलाई 2014 तक असमायोजित रहे सार आकस्मिक बिल

(₹ करोड़)

क्रमांक	वर्ष	सार आकस्मिक बिलों की संख्या	सार आकस्मिक बिलों के आहरण की तिथि एवं मास	राशि
1.	2009-10	11	31-03-2010	3.55
2.	2010-11	12	31-03-2011	3.76
3.	2011-12	09	31-03-2012	3.49
4.	2012-13	14	मार्च 2013	4.14
5.	2013-14	12	सितम्बर 2013 तथा दिसम्बर 2013	4.86
	योग	**58**		**19.80**

₹ 10.80 करोड़ की राशि के यह 32 सार आकस्मिक बिल 2010-12 के दौरान संबंधित वित्त वर्ष के 31 मार्च को आहरित किए गए थे। नियमों के उल्लंघन स्वरूप पहले अग्रिम का समायोजन किये बिना 2009-14 के दौरान सार आकस्मिक बिलों का आहरण किया गया था।

यह चिह्नित किये जाने पर विभाग ने तथ्यों को स्वीकारते हुए (अगस्त 2014) बताया कि इन अग्रिमों के विनियमन का मामला कोषागार के सामने रखा गया था तथा भविष्य में नियमों का पालन किया जायेगा। उत्तर से पुष्टि होती है कि 2009-13 वित्तीय वर्षों के दौरान माह मार्च में विगत अग्रिमों को समायोजित किए बिना ही बिल आहरित किये गए थे।

2.5 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन

व्यक्तिगत निक्षेप लेखों को समेकित निधि के डेबिट द्वारा सृजित किया जाता है और उसे समेकित निधि में सम्बद्ध सेवा शीर्षों के शेष के माइनस डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में बन्द किया जाना चाहिए। महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय से प्राप्त सूचना से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2013-14 के आरम्भ में 15 जिला कोषों में 125 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे थे। इन 125 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में से वर्ष के दौरान 16 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे बन्द किए गए। 31 मार्च 2014 तक इन 109 लेखों में पड़े शेष की स्थिति निम्नवत् है:

- वर्ष के दौरान ₹ 224.70 करोड़ (₹ 41.64 लाख के ऋणात्मक शेष वाले तीन व्यक्तिगत निक्षेप लेखे सहित) के शेष वाले 65 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे।
- चालू वर्ष के दौरान ₹ 0.40 करोड़ (₹ 4.54 लाख के ऋणात्मक शेष वाले छः व्यक्तिगत निक्षेप लेखे सहित) की राशि से अन्तर्ग्रस्त 44 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में नहीं थे। इनमें से 38 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे विगत पांच वर्षों से अधिक से परिचालन में नहीं थे।

व्यक्तिगत निक्षेप लेखे सामान्य रूप से क्रेडिट शेष के साथ बन्द होने चाहिए क्योंकि निक्षेप के प्रति भुगतान प्राप्त निक्षेपों से बढ़ना नहीं चाहिए। नौ मामलों (**परिशिष्ट 2.14**) में ₹ 46.18 लाख के प्रतिकूल शेष थे जिसके लिए जांच और संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

2.6 चयनित अनुदान की समीक्षा का परिणाम

अनुदान संख्या 10[6]-लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल तथा भवन के सम्बंध में व्यय पर बजट प्रक्रिया तथा नियंत्रण की एक समीक्षा परिचालित की गई थी (अगस्त 2014) और पाये गये प्रमुख बिन्दुओं पर विवेचना निम्नवत् है:

i) **तालिका 2.9** में दिये गए अनुदान के अंतर्गत आवंटित निधियों तथा हुए व्यय की सम्पूर्ण स्थिति ₹ 45.96 करोड़ का आधिक्य दर्शाती है जिसका नियमन किया जाना है।

तालिका 2.9

2013-14 के दौरान निधियों के आवंटन एवं किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

	सकल योग	किया गया व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग	2,269.95	2,315.91	45.96
पूंजी प्रवर्ग	560.31	483.10	(-) 77.21

स्रोत: विनियोजन लेखे

ii) मुख्य शीर्ष 3054-सड़कें एवं पुल के अंतर्गत ₹ 6.86 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि शीर्ष के अंतर्गत व्यय (₹ 1,495.49 करोड़) ₹ 1,786.16 करोड़ के मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंचा।

iii) अनुदान के राजस्व एवं पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत विभाग ने ₹ 16.51 करोड़ तथा ₹ 0.31 करोड़ गलत अभ्यर्पित किये, यद्यपि दोनों प्रवर्गों के अंतर्गत क्रमश: ₹ 45.96 करोड़ का आधिक्य तथा ₹ 77.21 करोड़ की बचत थी।

iv) राज्य सरकार ने व्यय करने के लिए तिमाहीवार व्यय मानक निर्धारित (सितम्बर 1995) किये। अनुदान संख्या 10 के मामले में, 2013-14 के दौरान तिमाही व्यय निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं था जैसाकि **तालिका 2.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10

2013-14 के दौरान अंतिम तिमाही में व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़)

माह	व्यय	तिमाही	तिमाही व्यय	वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिशतता
अप्रैल 2013	39.96	1	386.33	14	20
मई 2013	157.86				
जून 2013	188.51				
जुलाई 2013	221.14	2	561.48	20	25
अगस्त 2013	158.78				
सितम्बर 2013	181.56				
अक्तूबर 2013	200.87	3	586.08	21	30
नवम्बर 2013	186.60				
दिसम्बर 2013	198.61				
जनवरी 2014	173.11	4	1,265.10	45	25
फरवरी 2014	358.32				
मार्च 2014	733.67				
योग	**2798.99**		**2,798.99**	**100**	**100**

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

[6] मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य, 2216-आवासीय, 3054-राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत सड़क तथा पुल और 4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5054-पूंजीगत प्रवर्ग में सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय।

वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय 25 *प्रतिशत* के निर्धारित मानक के प्रति कुल व्यय का 45 *प्रतिशत* था।

उपरोक्त बिन्दु लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों की आवश्यकता की अकुशल योजना तथा अवास्तविक आकलन दर्शाते हैं।

2.7 कोषों के निरीक्षण के परिणाम

2.7.1 पेंशन लाभों की अधिक अदायगी

वर्ष 2013-14 हेतु महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा जिला कोषों/उप-कोषों के निरीक्षण के दौरान पेंशन भुगतान अभिलेखों की नमूना जांच दर्शाती है कि सात जिला कोषाधिकारियों तथा एक कोषाधिकारी ने छः पेंशनरों तथा सात पारिवारिक पेंशनरों को ₹ 6.87 लाख तक का अधिक भुगतान किया जैसाकि **तालिका 2.11** में विवरण दिया गया है। सम्बन्धित पेंशनरों की पेंशन को कम न करने/पेंशन के रूपांतरित भाग की शीघ्र बहाली और स्वर्गवासी सरकारी कर्मचारी के बच्चों को 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पारिवारिक पेंशन के प्राधिकार के कारण अधिक भुगतान हुआ।

तालिका 2.11

वर्ष 2013-14 के दौरान (2013-14 में जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन) पेंशन लाभ का अधिक भुगतान (रूपांतरण/पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में)

(₹ लाख)

क्रमांक	जिला कोषागार/उप- कोषागार का नाम	परिच्छेद संख्या	अधिक भुगतान का स्वरूप	मामलों की संख्या	भुगतान		
					बैंक द्वारा	कोषागार द्वारा	कोषवार योग
1.	जिला कोषागार, बिलासपुर	1	रूपांतरण	1	--	कोषागार द्वारा	0.31
2.	जिला कोषागार, चम्बा	11	पारिवारिक पेंशन	1	--	कोषागार द्वारा	0.18
3.	जिला कोषागार, किन्नौर स्थित रिकांगपिओ	1	रूपांतरण	1	--	कोषागार द्वारा	0.06
4.	जिला कोषागार, केलांग	1	रूपांतरण	4	--	कोषागार द्वारा	1.72
5.	जिला कोषागार, मण्डी	1	पारिवारिक पेंशन	2	--	कोषागार द्वारा	3.16
6.	जिला कोषागार शिमला (ओ)	10	पारिवारिक पेंशन	2	--	कोषागार द्वारा	0.14
7.	जिला कोषागार, सिरमौर स्थित नाहन	1	पारिवारिक पेंशन	1	--	कोषागार द्वारा	0.12
8.	उप- कोषागार, डोडरा-क्वार	3	पारिवारिक पेंशन	1	--	कोषागार द्वारा	1.18
			योग	**13**	**--**		**6.87**

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा तैयार किया गया वर्ष 2013-14 हेतु हिमाचल प्रदेश में कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

2.7.2 साख पत्र की तुलना में निधियों का अधिक आहरण

हिमाचल प्रदेश कोष नियमावली 2007 के नियम 5.121 (क) में परिकल्पित प्रावधानों के अनुसार जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा सम्बंधित बैंक को आवश्यक अनुदेश जारी करने चाहिए कि लोक निर्माण/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागों के अधिकारी द्वारा जारी किसी चैक को स्वीकार न करें जिन्होंने साख पत्र में निर्धारित सीमा पार कर ली है। साख पत्र धारकों को जैसे ही साख पत्र की और राशि दी जाती है, चैक भुनाने हेतु नये अनुदेश जारी किये जाने अपेक्षित होते हैं।

कोषों के स्थानीय निरीक्षणों के दौरान यह देखा गया कि 14 चैक आहरण करने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा साख पत्र की निर्धारित सीमा से अधिक ₹ 3.14 करोड़ की राशि का आहरण किया गया। अत: साख पत्र सीमा से अधिक की निधियों के आहरण से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निष्प्रभावी हुई। विवरण **तालिका 2.12** में दिया गया है।

तालिका 2.12

निधियों का साख पत्र की अपेक्षा अधिक आहरण (2013-14 में जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन)

(₹ लाख)

क्रमांक	जिला कोष/उप-कोष का नाम	परिच्छेद संख्या	अधिक आहरण राशि	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के नाम
1.	**कोषागार, पांगी**	1	(-) 1.18	अधि0अभि0, किलाड़ स्थित पांगी
2.	**उप-कोषागार, भालाई**	3	(-) 0.08	सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0, भालाई
			(-) 0.14	सहायक अभियन्ता, सिं0ज0स0वि0, भालाई
3.	**उप-कोषागार, नूरपुर**	5	(-) 0.04	सहायक अभियन्ता, सिं0ज0स0वि0, राजा का तालाब
4.	**उप-कोषागार, पालमपुर**	3	(-) 18.47	अधि0अभि0, लो0नि0वि0, पालमपुर
			(-)0.64	सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0, पंचरूखी
			(-)0.43	सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0, थूरल
			(-)5.90	अधि0अभि0, सिं0ज0स0वि0, पालमपुर
			(-)15.53	अधि0अभि0, सिं0ज0स0वि0, थूरल
5.	**उप-कोषागार कसबाकोटला**	2	(-) 33.10	सहायक अभियन्ता, शाहनाहर मण्डल टेरेस
6.	**उप-कोषागार, पद्धर**	1	(-) 3.73	सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0, पद्धर
7.	**जिला कोषागार, शिमला (ओ)**	1	(-)104.27	अधि0अभि0, लो0नि0वि0, रामपुर
			(-)4.96	अधि0अभि0, लो0नि0वि0, सराजमण्डल, रामपुर
			(-)125.43	अधि0अभि0, सिं0ज0स0वि0, रामपुर
योग			**313.90 अर्थात ₹ 3.14 करोड़**	**14 आहरण एवं संवितरण अधिकारी**

स्रोत: वर्ष 2013-14 के लिए महालेखाकार (ले0 व ह0) द्वारा हिमाचल प्रदेश में कोषागारों के परिचालन पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

2.7.3 समूह बीमा योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का गलत वर्गीकरण

जिला कोषागारों/कोषागारों की हिमाचल प्रदेश ऑनलाईन कोष सूचना प्रणाली में वर्ष 2012-13 हेतु उपलब्ध डाटा की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि बीमा निधि के सम्बन्ध में किया गया ₹ 29.70 लाख की राशि का भुगतान गलती से बचत निधि के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया था तथा इसी भांति बचत निधि से बचत निधि के आधार पर भुगतान से जुड़ी ₹ 80.30 लाख की राशि से सम्बंधित भुगतान 54 कोषागारों द्वारा गलती से बीमा निधि में पुस्तांकित किया गया था जैसाकि **परिशिष्ट 2.15** में वर्णित है। गलत पुस्तांकन के परिणामस्वरूप न केवल व्यय को गलत प्रतिवेदित किया गया बल्कि समुह बीमा योजना पर देय ब्याज का गलत आकलन हुआ।

2.7.4 पेंशन शीर्षों के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण

वर्ष 2012-13 हेतु हिमाचल प्रदेश ऑनलाईन कोष सूचना प्रणाली में उपलब्ध डाटा की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि ₹ 1.56 करोड़ की राशि जिला कोष अधिकारियों/कोष अधिकारियों द्वारा पेंशनभोगी लेखा शीर्षों के अंतर्गत गलत वर्गीकृत की गई थी जैसाकि **तालिका 2.13** तथा **परिशिष्ट 2.16** में वर्णित है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप लेखाओं में व्यय का गलत उल्लेख हुआ और अन्य राज्यों से डेबिट को गलत उठाया गया।

तालिका 2.13
पेंशन शीर्षों के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण

(₹ करोड़)

क्रमांक	सही लेखा शीर्ष	व्यय का स्वरूप	लेखा शीर्ष जिसके अंतर्गत राशि को गलत पुस्तांकित किया गया	राशि
1.	**2071-01-104-02**	मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान	2071-01-104-01 (1 नवम्बर 1966 से पूर्व भुगतान)	1.53
2.	**2071-01-102-02**	रूपांतरण	2071-01-102-01 (1 नवम्बर 1966 से पूर्व भुगतान)	0.03
			योग	**1.56**

स्रोत: वर्ष 2013-14 के लिए महालेखाकार (ले0व ह0) द्वारा हिमाचल प्रदेश में कोषागारों के परिचालन पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

2.8 निष्कर्ष

वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान/विनियोजन के अंतर्गत पंजीकृत ₹ 1,410.55 करोड़ की समग्र बचत ₹ 474.86 करोड़ की बचतों द्वारा प्रति संतुलित ₹ 1885.41 करोड़ के आधिक्य का निवल परिणाम था। 2009-13 वर्षों के लिए ₹ 4581.03 करोड़ के अतिरिक्त 2013-14 के ₹ 474.86 करोड़ के अधिक व्यय का विधानसभा द्वारा विनियमन अपेक्षित है।

26 मामलों में वित्तीय वर्ष के अन्त तक ₹ 1331.08 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक अभ्यर्पित)। अविवेकी पुनर्विनियोजन के उदाहरणों के परिणामस्वरूप 57 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ एक करोड़ से अधिक का आधिक्य/बचतें हुई। सात मामलों में अभ्यर्पित राशि (प्रत्येक मामले में ₹ 20 लाख या अधिक) वास्तविक बचत के आधिक्य में थी जो इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाती है।

2.9 सिफारिशें

सरकार को निम्नवत् पर ध्यान देना चाहिए:

(i) वृहद् बचतों/आधिक्य से बचने के लिए वास्तविक बजट प्राक्कलनों को तैयार करना।

(ii) अधिक व्यय के नियमन के लिए लोक लेखा समिति सचिवालय के समक्ष मामला उठाना।

(iii) सार आकस्मिक बिलों पर आहरित राशि के प्रति विस्तृत आकस्मिक बिलों को वर्तमान नियमों में यथा निर्धारित समय के अन्दर शीघ्र प्रस्तुत करना।

(iv) वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय के तीव्र प्रवाह को रोकने के लिए वित्त विभाग द्वारा उपयुक्त तंत्र बनाना।

अध्याय-III
वित्तीय विवरण

अध्याय - III

वित्तीय विवरण

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना सहित ठोस आन्तरिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार के कुशल तथा प्रभावी शासन को महत्वपूर्ण सहयोग देता है। इस प्रकार ऐसी अनुपालनाओं की प्रास्थिति पर विवरण की सामयिकता तथा गुणवत्ता के साथ-साथ वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों की अनुपालना सफल शासन के गुणों में से एक है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर विवरण, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक है, राज्य सरकार को अनुकूल योजना तथा निर्णय लेने सहित मूल प्रबंधकता उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सहयोग देता है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों सहित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा स्थिति को उपलब्ध करवाता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से विशिष्ट उद्देश्यार्थ अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किये जाने चाहिए तथा सत्यापन के बाद इन्हें संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रेषित किया जाना चाहिए, जब तक कि अन्य प्रकार से विनिर्दिष्ट न हो। तथापि, मार्च 2013 तक ₹ 2,486.84 करोड़ के अनुदानों व ऋणों के सम्बंध में देय 40,205 उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹ 1,627.59 करोड़ की कुल राशि के 17,027 (42 *प्रतिशत*) उपयोगिता प्रमाणपत्र मार्च 2014 तक लम्बित थे जिनमें से ₹ 0.07 करोड़ का एक उपयोगिता प्रमाणपत्र नौ वर्षों से अधिक की अवधि से लम्बित था। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विभाग-वार ब्यौरा **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में अवधि-वार विलम्ब **तालिका 3.1** में सारांशित किया गया है।

तालिका 3.1

31 मार्च, 2014 तक उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अवधि-वार बकाया

(₹ करोड़)

क्रमांक	विलम्बावधि (संख्या वर्षों में)	प्रदत्त कुल अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		मामलों की संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	0 – 1	21,818	1,147.78	13,983	849.76
2.	1 – 3	17,186	1,058.02	2,216	546.25
3.	3 – 5	1,195	274.13	827	231.51
4.	5 – 7	5	5.54	--	--
5.	7 – 9	--	--	--	--
6.	9 व इससे ऊपर	1	1.37	1	0.07
	योग	**40,205**	**2,486.84**	**17,027**	**1,627.59**

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय, हिमाचल प्रदेश

लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र मुख्यत: शिक्षा विभाग (11,214 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 265.06 करोड़), ग्रामीण विकास (3,424 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 768.37 करोड़), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

(1,276 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 66.78 करोड़), कला एवं संस्कृति (385 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 7.05 करोड़), उद्योग (229 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 34.53 करोड़), शहरी विकास (106 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 294.36 करोड़), खेल एवं युवा सेवाएं (48 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 5.45 करोड़), पर्यटन (36 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 17.89 करोड़), पशुपालन (33 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 25.17 करोड़), आबकारी एवं कराधान (24 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 7.18 करोड़), सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं (11 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 4.59 करोड़) से सम्बन्धित थे। उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अनुदानों को प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा उस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त कर लिया गया था जिसके लिए ये दिये गये थे।

3.2 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के समक्ष रखने में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा बहुत से स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। राज्य में 14 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जारी करने तथा इसको विधानसभा पटल पर रखने की प्रास्थिति को **परिशिष्ट 3.2** में इंगित किया गया है।

वर्ष 2012-13 के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, शिमला के लेखे दस महीने तक विलम्बित थे जबकि अन्य निकायों के सम्बंध में विलम्ब एक से चार मास के मध्य था। अगस्त 2014 तक वर्ष 2013-14 के लिए 14 निकायों के लेखे उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। लेखों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब करने से अनियमितताओ के न पकड़े जाने का जोखिम रहता है और इसीलिए लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने तथा लेखापरीक्षा के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2011-12 के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कल्याण बोर्ड के अतिरिक्त लेखापरीक्षा द्वारा जारी 13 स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखे गए थे। वर्ष 2012-13 के लिए एक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[1] जारी किया गया तथा उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखा गया। 2013-14 के लिए सभी 14 निकायों के लिए पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 के लिए लेखे उपलब्ध न करवाए जाने के कारण लम्बित हैं।

3.3 प्रदत्त अनुदानों/ऋणों के ब्यौरे का अप्रस्तुतीकरण

संस्थाओं/संगठनों जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 14 तथा 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आकृष्ट करते हैं, को पहचानने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों से प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा को विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता का उद्देश्य तथा संस्थाओं के कुल व्यय से संबंधित विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 में प्रावधान है कि सरकारें तथा विभागाध्यक्ष जो निकायों अथवा प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण की संस्वीकृती देते हैं, ऐसे निकायों अथवा प्राधिकरणों, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल ₹ 10 लाख या अधिक के अनुदान और/या ऋण दिए गए थे, का विवरण प्रतिवर्ष जुलाई के अंत में लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजेंगे जिसमें (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी तथा (ग) निकाय अथवा प्राधिकरण के कुल व्यय को इंगित किया गया हो।

[1] राज्य पशु चिकित्सा परिषद

अगस्त 2014 तक वर्ष 2013-14 के लिए मात्र आठ विभागों/स्वायत्त निकायों[2] ने ही इस तरह का ब्यौरा प्रस्तुत किया था। इस कारण से शेष मामलों में लेखापरीक्षा विधानसभा/सरकार को उनके द्वारा संस्वीकृत/अदा किए गए अनुदानों के ढ़ंग जिसमें उनका उपयोग किया गया है, विशेष रूप से गैर-विचलन तथा सही उपयोग के मामले पर आश्वासन देने में असमर्थ था।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश के समक्ष उपरोक्त विवरण प्रस्तुत नहीं करने के कारण निकायों/संस्थाओं की लेखापरीक्षा क्षेत्र के अतंर्गत लाने के लिए पहचान नही की जा सकी थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की समेकित निधि में से दिये गए ऐसे ऋणों एवं अनुदानों में से व्यय की परिशुद्धता एवं प्राथमिकता पर लेखापरीक्षा राय व्यक्त करने हेतु लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

3.4 दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार जून 2014 तक राज्य सरकार ने ₹ 80.67 लाख के सरकारी धन से अन्तर्ग्रस्त दुर्विनियोजन/हानि,चोरी आदि के 49 मामलों को सूचित किया जिन पर अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार ब्यौरा तथा अवधि-वार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.3** तथा इन मामलों का स्वरूप **परिशिष्ट 3.4** में दिया गया है। लम्बित मामलों की अवधि-रूपरेखा तथा प्रत्येक श्रेणी में लम्बित मामलों की संख्या 'चोरी एवं दुर्विनियोजन/हानि' जो इन परिशिष्टों से उजागर हुई को **तालिका 3.2** में सारांशित किया गया है।

तालिका 3.2
दुर्विनियोजन/हानियों एवं चोरी की रूपरेखा

(₹ लाख)

लम्बित मामलों की अवधि रूपरेखा			लम्बित मामलों का स्वरूप		
वर्षों में अवधि	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि	मामलों का स्वरूप/लक्षण	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि
0 – 5	7	10.76	चोरी	14	14.06
5 – 10	11	19.12			
10 – 15	10	39.49	दुर्विनियोजन/सामग्री की हानि	35	66.61
15 – 20	5	6.90			
20 – 25	2	0.80			
25 व इससे ऊपर	14	3.60			
योग	**49**	**80.67**	**योग**	**49**	**80.67**

[2] उच्च शिक्षा; सर्व शिक्षा अभियान; प्राथमिक शिक्षा; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक मामले; कला; संस्कृति एवं भाषा; पशुपालन; राज्य बीज एवं ऑरगेनिक उत्पाद प्रमाणन अभिकरण तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ सीमित।

आगे का विश्लेषण इंगित करता है कि बकाया मामलों के कारणों का वर्गीकरण **तालिका-3.3** में सूचीबद्ध श्रेणियों में किया जा सकता था।

तालिका 3.3

दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के बकाया मामलों के कारण

(₹ लाख)

विलम्बन/बकाया मामलों के कारण		मामलों की संख्या	राशि
i)	विभागीय एवं आपराधिक जांच के लिए प्रतीक्षित	18	20.25
ii)	वसूली अथवा बट्टे खाते में डालने हेतु आदेशों के लिए प्रतीक्षित	19	20.77
iii)	न्यायालय में लम्बित	5	27.24
iv)	वसूली की गई/बट्टे खाते में डाले गए लेकिन लोक लेखा समिति से अंतिम निपटान के लिए प्रतीक्षित	7	12.41
	योग	**49**	**80.67**

3.5 लेखाओं में गलत वर्गीकरण

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का संचालन

समेकित निधि के अंतर्गत सरकार के व्यय को विभिन्न क्रियाशील शीर्षों के अंतर्गत राजस्व एवं पूंजीगत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उपक्रियाशीलताओं/कार्यक्रमों को दर्शाने वाले उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष मुख्य शीर्षों के नीचे खोले जाते हैं। लघु शीर्ष-800 एक बहुप्रयोजन शीर्ष है और यह लेखों में तब खोला जाता है जब व्यय/प्राप्ति की कोई विशेष मद किसी भी उपलब्ध लघु शीर्ष में रखी नहीं जा सकती है। लघु शीर्ष-800 के नियमित संचालन को निरूत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखे को अपारदर्शी करता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 2,493 करोड़ की समग्र राजस्व प्राप्तियों (कुल राजस्व प्राप्तियों का 15.87 *प्रतिशत*) को 49 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। जिन मामलों में प्राप्तियों का महत्वपूर्ण भाग (50 *प्रतिशत* अथवा इससे अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, उन का उल्लेख **परिशिष्ट 3.5** में किया गया है।

इसी प्रकार 2013-14 के दौरान कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) के 2.73 *प्रतिशत* से समावेशित ₹ 523.70 करोड़ का समग्र व्यय 40 राजस्व एवं पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय/प्राप्तियों के अन्तर्गत वृहद राशियों का वर्गीकरण वित्तीय विवरण के उचित तथा सही चित्रण को प्रभावित करता है तथा लेखाओं में अधिसूचित निर्णय लेने के लिए पारदर्शिता को जटिल बनाता है।

3.6 निष्कर्ष

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के जमा करवाने में महत्वपूर्ण विलम्ब हुए तथा परिणामस्वरूप अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। वार्षिक लेखाओं की अनुपलब्धता में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या कुछ स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों ने नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 के भाग 14 के प्रावधान के अनुरूप आचरण किया है। इसके अतिरिक्त, सरकारी धन के चोरी, दुर्विनियोजन/हानि आदि के मामलों में लम्बी अवधि से विभागीय कार्रवाई लम्बित थी। कुल राजस्व प्राप्तियों का 15.87 *प्रतिशत* तथा कुल व्यय का 2.73 *प्रतिशत* 2013-14 के दौरान बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

3.7 सिफारिशें

सरकार को विचार करना चाहिए:

(i) नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 के भाग 14 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए संस्थाओं की पहचान करने के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थाओं से लेखों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तरीकों को अपनाना।

(ii) लेखापरीक्षा की सुविधा हेतु स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखों की समय पर तैयारी।

(iii) चोरी/दुर्विनियोजन आदि के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध रूपरेखा तैयार करना।

(iv) मुख्य स्कीमों की प्राप्तियों एवं व्यय को क्रमश: लघु शीर्ष-'800-अन्य प्राप्तियां' तथा '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत जोड़ने के स्थान पर विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्राप्त राशियों व किए गए व्यय को पृथक रूप से दर्शाना।

राम मोहन जौहरी

(राम मोहन जौहरी)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक: 24 दिसम्बर 2014

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 29 दिसम्बर 2014

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1

राज्य रूपरेखा

क सामान्य आंकड़े

क्रमांक	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्र	55,673 वर्ग कि0मी0
2.	जनसंख्या	
	क जनगणना (2001) के अनुसार	0.61 करोड़
	ख 2011	0.69 करोड़
3	(क) जनसंख्या की सघनता (2001) (अखिल भारतीय सघनता=325 व्यक्ति/वर्ग कि0मी0)* (ख) जनसंख्या की सघनता (2011) (अखिल भारतीय औसत-382 व्यक्ति/वर्ग कि0मी0)*	109 व्यक्ति/वर्ग कि0मी0 123 व्यक्ति/वर्ग कि0मी0
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत= 27.5%)*	8.06%
5	(क) साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत= 64.8%)* (ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत= 74%)*	76.50% 83.78%
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2013-14	82,585
7	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2004-05 से 2013-14)	13.12

ख वित्तीय आंकड़े

	संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2004-05 से 2013-14)	
क	राजस्व प्राप्तियां	12.98
ख	कर राजस्व	15.13
ग	कर-भिन्न राजस्व	11.32
घ	कुल व्यय	11.80
ड.	पूंजीगत व्यय	10.99
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय	12.80
छः	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	10.41
ज	वेतन एवं मजदूरी	13.10
झ	पेंशन	17.08

स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, गरीबी रेखा से नीचे (योजना आयोग व एन0एस0एस0ओ0 आंकड़े, 61 वां राउण्ड), जनसंख्या की सघनता (भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त का कार्यालय; गृह मंत्रालय), साक्षरता (भारत के महापंजीयक का कार्यालय; गृह मंत्रालय) तथा हिमाचल प्रदेश का आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

परिशिष्ट - 1.1

भाग-क

सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि;(ii) आकस्मिकता निधि; तथा (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके जुटाए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों की चुकौती में प्राप्त समस्त धन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि होगी।

भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में है, जो उसे विधानमण्डल द्वारा लम्बित प्राधिकरण हेतु आवश्यक अनपेक्षित व्यय को वहन करने के लिए अग्रिमों को देने हेतु समर्थ बनाती है। समेकित निधि से ऐसे व्यय और समकक्ष राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् अग्रिमों की आकस्मिकता निधि से निधि को पूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेपों, उचन्त, जमाओं आदि जैसे कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में प्राप्तियों तथा संवितरणों, जो कि समेकित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानमण्डल द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

परिशिष्ट - 1.1

भाग-ख:वित्त लेखे की रूपरेखा

वर्ष 2013-14 के लिए वित्त लेखे को दो खण्डों-खण्ड I व II में विभाजित किया गया है। खण्ड I सरकार की वित्तीय विवरणियों को सारांशित रूप में दर्शाता है जबकि खण्ड II विस्तृत वित्तीय विवरणी को दर्शाता है। वित्त लेखे को बनाने की रूपरेखा निम्नांकित ढंग से की गई है:

	रूपरेखा
खण्ड I	
विवरणी 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी
विवरणी 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों की विवरणी
विवरणी 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि) कार्य व स्वरूप द्वारा लेखा टिप्पणियां परिशिष्ट I: क, ख, ग, एवं घ
खण्ड II ***भाग I***	
विवरणी 5	प्रगतिशील पूंजीगत व्यय की विवरणी
विवरणी 6	उधारों एवं अन्य देयताओं की विवरणी
विवरणी 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विवरणी
विवरणी 8	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी
विवरणी 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी
विवरणी 10	दत्तमत व प्रभारित व्यय की विवरणी
भाग II	
विवरणी 11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 12	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 13	पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 14	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 15	उधारों एवं अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी
विवरणी 16	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 17	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और उपयोग की विस्तृत विवरणी
विवरणी 18	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 19	चिह्नित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी
भाग III: परिशिष्ट	
II	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
III	उपदान पर तुलनात्मक व्यय
IV	सहायता अनुदान (स्कीम वार व संस्था वार)
V	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं
VI	योजनागत स्कीम व्यय (केन्द्रीय व राज्य योजनागत स्कीमें)
VII	कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण
VIII	शेषों का सारांश
IX	प्रतिबद्धताओं-अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की विवरणी
X	वेतन व गैर-वेतन भाग के पृथक्करण के साथ अनुरक्षण व्यय
XIII	सिंचाई स्कीमों के वित्तीय परिणाम
XIV	भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देयताओं पर विवरणी

राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य पद्धति

वित्त लेखों की विवरणियों से 2009-14 की अवधि में प्रकट हुई प्राप्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय पूर्ण योगों में प्रवाहों का, जहां कहीं भी आवश्यक था, विश्लेषण किया गया तथा उनकी व्यावहारिकता पर अभ्युक्तियां की गई हैं। राज्य के वित्त की पुनर्संरचना योजना में तरहवें वित्तायोग ने कुछ राजकोषीय योगों के लिए मानकों/सीमा की सिफारिश की तथा अन्य के लिए मानकीय प्रक्षेपण भी बनाया। इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्तायोग ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में संशोधन करें ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके जैसा कि मध्यम से दीर्घकालीन अवधि को आवृत्त करते हुए उनके सम्बद्ध राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/नियमावलियों में निर्दिष्ट किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों सहित राजकोषीय योगों हेतु इसके प्रक्षेपणों के साथ तेरहवें वित्तायोग द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/सीमाओं तथा अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्य विवरणियों में चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान का गुणात्मक निर्धारण करने के लिए उपयोग किया गया है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को चालू बाजार दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रतिनिधित्व आधार के संदर्भ में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए उत्प्लावकता गुणांक का यह निर्धारण, कि क्या संसाधनों की गतिशीलता, व्यय का प्रतिमान इत्यादि का आधार में परिवर्तन के साथ गति रख रहे हैं अथवा इन राजकोषीय योगों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त कारकों द्वारा भी प्रभावित किया गया है, करने के लिए भी संगणित किया गया है। 2004-05 को आधार के रूप में मानते हुए नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला को जैसा कि राज्य सरकार के निदेशक, आर्थिक तथा सांख्यिकी द्वारा प्रकाशित किया गया है, इन प्रतिशतताओं और उत्प्लावकता दरों का आकलन करने में उपयोग किया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रवाह

विगत पांच वर्षों हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रवाह को नीचे दर्शाया गया है:

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़)	48,189	57,452	64,957	73,710	82,585
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	16.16	19.22	13.06	12.88	12.04
स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।					

राजकोषीय योगों के प्रवाहों एवं प्रतिमान के निर्धारणार्थ प्रयोग किए गए कुछ चयनित शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

परिशिष्ट - 1.2

भाग-क

शब्द	गणना आधार
पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि+चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)2]* 100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक* ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों के प्रति *प्रतिशत* के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(अथ शेष + ऋणों तथा अग्रिमों के अंतशेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां **घटा** मुख्य शीर्ष 2048-ऋण के बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर समस्त योजनागत अनुदानों तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय

परिशिष्ट - 1.2

भाग-ख

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005

(2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जिसको 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुन: संशोधित किया गया ताकि राजस्व घाटे में प्रगतिशील कमी द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में विवेकशीलता, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथानिर्धारित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत् राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है:

- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को खत्म करना तथा उसके पश्चात् राजस्व अधिशेष को बनाए रखना;
- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद को तीन *प्रतिशत* अथवा उससे कम करना तथा उसके पश्चात् राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* स्तर तक अथवा उससे कम पर बनाए रखना;
- वित्तीय वर्ष 2013-14 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 42.10 *प्रतिशत* तक कम करना।
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति के 40 *प्रतिशत* से कम दीर्घावधि ऋण पर बकाया जोखिम भारित गारण्टियों को बनाए रखना जिसके लिए वास्तविक वित्त लेखे के अनुसार उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 7 को भी संशोधित किया गया जिसमें परिकल्पित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सुव्यवस्थित राजकोषीय सुधार पथ की समीक्षा व अनुश्रवण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाएगा।

परिशिष्ट - 1.3

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1, 1.3 तथा 1.9.2; पृष्ठ: 1, 7 व 24)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	**10,346**	**12,711**	**14,543**	**15,598**	**15,711**
(i) कर राजस्व	***2,574(25)***	***3,643(29)***	***4,108 (28)***	***4,626 (30)***	***5,121 (33)***
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,487*(58)*	2,101(58)	2,477 (60)	2,728 (59)	3,141 (61)
राज्य आबकारी	500*(19)*	562(15)	707 (17)	810 (18)	952 (19)
वाहनों पर कर	134*(5)*	163(4)	176 (4)	196 (4)	208 (4)
स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	113*(4)*	133(4)	155 (4)	173 (4)	188 (4)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	39*(2)*	302(8)	185 (5)	262 (6)	191 (4)
भू-राजस्व	15*(1)*	5(0.1)	18 (11)	24 (-)	10 (-)
माल व यात्रियों पर कर	89*(3)*	93(3)	94 (2)	101 (2)	105 (2)
अन्य कर	197*(8)*	284(8)	296 (7)	332 (7)	326 (6)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	***1,784(17)***	***1,695***(13)	**1,915 (13)**	**1,377 (9)**	**1,785 (11)**
(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	***862 (8)***	***1,715***(13)	**1,999 (14)**	**2,282(14)**	**2,491 (16)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	***5,126(50)***	***5,658***(45)	**6,521 (45)**	**7,313 (47)**	**6,314 (40)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	**646**	--	-	-
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां	**34**	**73**	**25**	**21**	**17**
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**10,380**	**13,430**	**14,568**	**15,619**	**15,728**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**2,553**	**2,411**	***1,984***	***3,371***	***4,050***
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	2,484 (97)	2,372 (98)	1,904 (96)	3,239 (96)	3,362
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	-	--	-	629
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	*69(3)*	*39*	80 (4)	132 (4)	59
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**12,933**	**15,841**	**16,552**	**18,990**	**19,778**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	--	--	--	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियां	**6,821**	**8,507**	**9,237**	**9,146**	**10,300**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**19,754**	**24,348**	**25,789**	**28,136**	**30,078**
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**11,151**	**13,946**	**13,898**	**16,174**	**17,352**
योजनागत	1,238*(11)*	1,652(12)	1,701 (12)	2,079 (13)	2,387 (14)
आयोजनेत्तर	9,913 *(89)*	12,294(88)	12,197(88)	14,095 (87)	14,965 (86)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	4,377*(39)*	5,279(38)	5,690 (41)	6,618 (41)	7,047 (41)
सामाजिक सेवाएं	3,902*(35)*	4,979(35)	5,147 (37)	6,131 (38)	6,706 (39)
आर्थिक सेवाएं	2,868 *(26)*	3,682(26)	3,049 (22)	3,418 (21)	3,590 (20)
सहायता अनुदान व अंशदान	4 (--)	6(--)	12 (--)	7 (-)	9 (-)
11. पूंजीगत व्यय	**1,943**	**1,789**	**1,810**	**1,955**	**1,856**
योजनागत	1,895*(98)*	1,774(99)	1,764 (97)	1,859 (95)	1,815 (98)
आयोजनेत्तर	48*(2)*	15(1)	46 (3)	96 (5)	41 (2)
सामान्य सेवाएं	63*(3)*	73(4)	73 (4)	74 (4)	81 (4)
सामाजिक सेवाएं	610*(31)*	611(34)	372 (21)	436 (22)	478 (26)
आर्थिक सेवाएं	1,270*(65)*	1,105(62)	1,365 (75)	1,445 (74)	1,297 (70)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	70	227	493	469	531
13. योग (10+11+12)	**13,164**	**15,962**	**16,201**	**18,598**	**19,739**
14. लोक ऋण की चुकौतियां	**867**	**870**	**1,128**	**2,117**	**1,704**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	811	808	1,034	2,056	1,467
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	-	172
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	56	62	94	61	65
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	--	--	--	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	**14,031**	**16,832**	**17,329**	**20,715**	**21,443**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	**6,421**	**7,162**	**8,526**	**8,285**	**9,227**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**20,452**	**23,994**	**25,855**	**29,000**	**30,670**
भाग ग. घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	**(-) 805**	**(-)1,235**	**(+) 645**	**(-) 576**	**(-) 1,641***
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	**(-) 2,784**	**(-)2,532**	**(-) 1,633**	**(-) 2,979**	**(-) 4,011**
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	**(-) 828**	**(-)582**	**(+) 497**	**(-) 609**	**(-) 1,530**
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**1,956**	**1,950**	**2,130**	**2,370**	**2,481**
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	**718**	**849**	**981**	**1,203**	**1,438**
25. प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष	--	--	--	-	**629**
प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम	--	--	--	-	**10**
प्राप्त किए गए (दिवस) अधिविकर्ष	--	--	--	-	**01**
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	--	--	--	-	**0.11**
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद[a]	**48,189 (16.16)**	**57,452 (19.22)**	**64,957 (13.06)**	**73,710 (12.88)**	**82,585 (12.04)**
28 बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	**23,713**	**26,415**	**28,228**	**30,442**	**33,884**
29. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	**1,949**	**3,910**	**3,316**	**3,353**	**4,333**
30. प्रत्याभूतिक अधिकतम राशि (वर्षान्त)	**4,361**	**6,232**	**6,208**	**9,455**	**9,316**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**29**	**11**	**13**	**12**	**12**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	**108**	**86**	**930**	**115**	**130**
भाग ङ : राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन गतिशीलता					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.28	0.28	0.25	0.25	0.24
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.27	1.26	1.11	1.19	1.26
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.85	0.87	0.86	0.86	0.88
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.34	0.35	0.34	0.35	0.36

* वास्तविक ₹ 1641.42 करोड़ (राउण्डिंग के कारण अन्तर)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.31	0.30	0.27	0.26	0.25
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.15	0.11	0.11	0.11	0.09
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.14	0.11	0.11	0.10	0.09
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्धन (*प्रतिशत* में)					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.67	(-) 2.14	(+) 0.99	(-) 0.78	(-) 1.99
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 5.78	(-) 4.41	(-) 2.51	(-) 4.04	(-) 4.86
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.72	(-) 1.01	(+) 0.77	(-) 0.83	(-) 1.85
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(-) 28.92	(-) 48.78	अनुपलब्ध	19.34	40.90
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	.022	.011	.041	.023	.009
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताओं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.50	0.46	0.43	0.41	0.41
राजकोषीय देयता/राजस्व प्राप्ति	2.29	2.07	1.94	1.95	2.16
मात्रा विस्तार के प्रति प्राथमिक घाटा	(-)0.50	(-)0.21	0.36	(-)0.44	(-)1.16
ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज़)/कुल ऋण प्राप्तियां	1.01	0.88	1.05	1.02	0.89
V अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक					
निवेश पर प्रतिफल	73.49	64.11	85.65	100.09	103.42
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़)	(-) 2642	(-)2607	(-) 1529	(-) 3284	(-)3544
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.67	0.66	0.70	0.70	0.68
राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर					
राजस्व व्यय (₹ करोड़)	11,151	13,946	13,898	16,174	17,352
वृद्धि दर (*प्रतिशत*) राजस्व व्यय	18.15	25.06	(-) 0.34	16.38	7.28
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ करोड़)	9,913	12,294	12,197	14,095	14,965
वृद्धि दर (*प्रतिशत*) आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	15.79	24.01	(-) 0.79	15.56	6.17
योजनागत राजस्व व्यय(₹ करोड़)	1238	1652	1701	2079	2387
वृद्धि दर (*प्रतिशत*) योजनागत राजस्व व्यय	41.16	33.44	2.97	22.22	14.81
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत*)	20.57	21.40	18.78	19.12	18.12
राजस्व व्यय/कुल व्यय[2] (*प्रतिशत*)	85.16	88.63	85.78	86.97	90.34
कुल व्यय के *प्रतिशत* के रूप में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	75.30	77.02	75.29	75.79	75.81
राजस्व प्राप्ति के *प्रतिशत* के रूप में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	95.81	96.72	83.87	90.36	95.25
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	88.90	88.15	87.76	87.15	86.24
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	11.10	11.85	12.24	12.85	13.76

2 कुल व्यय में ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित नहीं हैं।

के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.123	1.48	(-) 0.015	1.26	0.60
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	1.63	1.09	(-) 0.02	2.26	10.11
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (अनुपात)	1.15	1.04	(-) 0.43	1.05	1.18
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	0.44	0.75	(-) 0.12	0.74	0.49

कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के कुल की प्रतिशतता (राउण्डिड) दर्शाते हैं।

परिशिष्ट - 1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 2)

भाग-क

वर्ष 2013-14 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़)

प्राप्तियां						संवितरण				
	2012-13		2013-14			2012-13	2013-14			
							गैर योजनागत	योजनागत	जोड़	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
प्रवर्ग-क राजस्व										
I-राजस्व प्राप्तियां		15598.12		15711.07	I-राजस्व व्यय	16174.25			17352.49	17352.49
(i) कर राजस्व	4626.15		5120.91		सामान्य सेवाएं	**6618.19**	**7005.76**	**41.06**	**7046.82**	
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1376.88		1784.53		सामाजिक सेवाएं	**6131.08**	**5237.80**	**1468.32**	**6706.12**	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	2282.02		2491.53		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	3439.42	3005.88	610.81	3616.69	
(iv) गैर योजनागत अनुदान	2526.31		2024.82		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	951.69	830.76	170.54	1001.30	
(v) राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	4179.08		3764.88		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	899.06	787.48	288.28	1075.76	
(vi) केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	607.68		524.40		सूचना एवं प्रसारण	29.30	30.13	0.22	30.35	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी श्रेणियों का कल्याण	66.57	10.04	45.61	55.65	
					श्रम एवं श्रम कल्याण	51.24	59.94	5.65	65.59	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	677.79	501.91	343.65	845.56	
					अन्य	16.01	11.66	3.56	15.22	
					आर्थिक सेवाएं	**3417.80**	**2712.84**	**877.62**	**3590.46**	
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	1196.40	847.99	574.5	1422.49	
					ग्रामीण विकास	366.93	311.99	124.95	436.94	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	280.78	295.38	7.63	303.01	
					ऊर्जा	231.25	7.60	18.94	26.54	
					उद्योग एवं खनिज	68.77	35.58	28.96	64.54	
					परिवहन	1197.76	1168.33	88.43	1256.76	
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	5.18	2.80	3.51	6.31	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	70.73	43.16	30.71	73.87	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	**7.18**	-	-	**9.09**	
योग		15598.12		15711.07	योग	16174.25			17352.49	17352.49
II-प्रवर्ग-ख में लाया गया राजस्व घाटा					II-खण्ड-ख को लाया गया राजस्व अधिशेष	(-) 576.13			(-) 1641.42	
योग		15598.12		15711.07	योग	15598.12			15711.07	15711.07

प्राप्तियां						संवितरण				
	2012-13		2013-14			2012-13	2013-14			
1.	2.	3	4.	5	6	7	8	9	10	11
प्रवर्ग- ख-पूंजीगत										
III- स्थायी अग्रिमों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित अथ रोकड़ शेष		568.72		(-) 295.05	III- भारतीय रिज़र्व बैंक से अथ अधिविकर्ष	-			-	
IV- विविध पूंजीगत प्राप्तियां		-	-		IV- पूंजीगत परिव्यय	**1954.80**	**41.24**	**1814.62**	**1855.86**	**1855.86**
					सामान्य सेवाएं	**73.56**	**5.24**	**75.78**	**81.02**	
					सामाजिक सेवाएं	**435.74**	-	**477.45**	**477.45**	
					शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	144.90	-	174.22	174.22	
					स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	54.79	-	72.91	72.91	
					जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	223.27		210.56	210.56	
					सूचना एवं प्रसारण	0.27		0.57	0.57	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी श्रेणियों का कल्याण	6.52		14.01	14.01	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	5.53		5.05	5.05	
					अन्य	0.46		0.13	0.13	
					आर्थिक सेवाएं	**1445.50**	**36.00**	**1261.39**	**1297.39**	
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	73.48	10.76	36.19	46.95	
					अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	0.37	-	-	-	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	255.74	-	194.22	194.22	
					ऊर्जा	264.21	-	219.75	219.75	
					उद्योग एवं खनिज़	15.83	-	16.40	16.40	
					परिवहन	734.10	25.24	714.81	740.05	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	101.77	-	80.02	80.02	
					योग	**1954.80**	**41.24**	**1814.62**	**1855.86**	**1855.86**
V- ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां		**21.10**	**16.75**	**16.75**	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	**468.58**	-	-	**531.05**	**531.05**
विद्युत परियोजनाओं से	-	-	-		विद्युत परियोजनार्थ	442.53	-	467.22		
सरकारी कर्मचारियों से	11.36		10.33		सरकारी कर्मचारियों को	8.21	-	8.32		
अन्य से	9.74		6.42		अन्य को	17.84	-	55.51		
VI- कम किया गया राजस्व अधिशेष		(-) 576.13		(-) 1641.42	VI- कम किया गया राजस्व घाटा	--	-	-		

प्राप्तियां						संवितरण				
	2012-13		2013-14			2012-13	2013-14			
									योग	
1.	2.	3	4.	5	6	7	8	9	10	11
VII- लोक ऋण प्राप्तियां		**3371.30**		**4050.70**	VII- लोक ऋण की चुकौती	**2116.96**			1704.27	**1704.27**
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	3239.48		3362.88		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण				1466.59	
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन	-		628.57		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन-देन				172.58	
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	131.82		59.25		केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की चुकौती				65.20	
VIII- आकस्मिकता निधि को विनियोजन					VIII- आकस्मिकता निधि को विनियोजन				-	
IX- आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि					IX- आकस्मिकता निधि से व्यय					
X- लोक लेखा प्राप्तियां		**9145.77**		**10300.27**	X- लोक लेखा संवितरण	**8285.47**				**9227.37**
लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	2832.33		2772.28		लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	1720.59			1885.61	
आरक्षित निधियां	188.07		152.59		आरक्षित निधियां	182.95			151.50	
निक्षेप एवं अग्रिम	1570.51		1972.99		निक्षेप एवं अग्रिम	1726.79			1765.56	
उचन्त एवं विविध	501.92		498.92		उचन्त एवं विविध	428.50			498.39	
जमा	4052.94		4903.49		जमा	4226.64			4926.31	
XI- भारतीय रिज़र्व बैंक से अंतशेष अधिविकर्ष					XI- अंत में रोकड़ शेष	**(-) 295.05**			**(-) 887.30**	**(-) 887.30**
					खज़ानों में रोकड़ एवं स्थानीय जमा	-	-	-	--	
					स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	0.19	-	-	0.19	
					रिज़र्व बैंक के पास निक्षेप	(-) 561.71	-	-	(-) 887.49	
					रोकड़ शेष निवेश	266.47	-	-	-	
योग:		**12530.76**		**12431.25**	योग:	**12530.76**			**12431.25**	**12431.25**

परिशिष्ट - 1.4

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.1.1 तथा 1.9.1; पृष्ठ 2 व 23)

भाग-ख

31 मार्च 2014 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़)

परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2013 तक	31 मार्च, 2014 तक	
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	**20,565.62**		**22,421.48**
कम्पनियों, निगमों, आदि के शेयरों में निवेश	2,767.44	3,024.83	
अन्य पूंजीगत परिव्यय	17,798.18	19,396.65	
ऋण तथा अग्रिम-	**1,398.88**	**1,913.18**	**1,913.18**
विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	1,251.16	1,718.38	
अन्य विकास ऋण	106.80	155.89	
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	40.92	38.91	
आरक्षित निधि निवेश			
रोकड़ -	**(-) 295.05**	**(-) 887.30**	**(-) 887.30**
खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	-	-	
भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप	(-) 561.71	(-) 887.49	
विभागीय रोकड़ शेष	0.16	0.16	
स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	
रोकड़ शेष निवेश	266.47	-	
प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य*	**9,272.75**	10,914.15	**10,914.15**
योग	**30,942.20**		**34,361.51**

* प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य भिन्न है, न कि चालू वर्ष हेतु राजकोषीय/राजस्व घाटे हैं।

दायित्व	31 मार्च, 2013 तक	31 मार्च, 2014 तक	
आंतरिक ऋण	**19,746.95**		**22,099.33**
ब्याज वाले बाजार ऋण	11,808.83	13,565.33	
ब्याज रहित बाजार ऋण	-	-	
भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	234.28	185.92	
नाबार्ड से ऋण	1,479.72	1,599.10	
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	26.90	50.98	
केन्द्र सरकार की एन0एस0एस0एफ0 को जारी विशेष प्रतिभूतियां	5,348.50	5,772.09	
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	21.07	14.05	
अन्य संस्थाओं से ऋण	827.65	911.86	
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम-	**1,018.07**	**1,012.12**	**1,012.12**
आयोजनेत्तर ऋण	8.05	6.72	
राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	1,009.89	1,005.27	
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-	
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-	
अन्य ऋण	0.13	0.13	
आकस्मिकता निधि	**5.00**	**5.00**	**5.00**
लघु बचतें, भविष्य निधि, आदि	**7,849.63**	**8,736.30**	**8,736.30**
निक्षेप	**1,601.54**		**1,808.98**
आरक्षित निधियां	**225.70**		**226.79**
उचन्त एवं विविध शेष	**268.52**		**269.02**
प्रेषण शेष	**226.79**		**203.97**
योग	**30,942.20**	**34,361.51**	**34,361.51**

परिशिष्ट - 1.5

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.4; पृष्ठ 4)

लिंग बजटीकरण

1. 100 *प्रतिशत* आवंटन की सीमा तक स्त्रियों की लाभार्थ स्कीमों का बजटीय आवंटन

(₹ करोड़)

क्रमांक	स्कीम का नाम	वर्ष	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
			केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
1	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	2011-12	--	1.42	1.42	--	1.17
		2012-13	--	1.45	1.45	--	1.45
		2013-14	--	2.82	2.82	--	2.59
2	जागृती अभियान	2011-12	--	--	--	--	--
		2012-13	--	0.12	0.12	--	0.12
		2013-14	--	0.15	0.15	--	0.15
3	विधवा पुनर्विवाह	2011-12	--	0.31	0.31	--	0.20
		2012-13	--	0.35	0.35	--	0.26
		2013-14	--	0.37	0.37	--	0.37
4	महिला आयोग	2011-12	--	0.49	0.49	--	0.62
		2012-13	--	0.72	0.72	--	0.72
		2013-14	--	0.69	0.69	--	0.65
5	सबला पोषण	2011-12	3.21	3.21	6.42	3.21	3.21
		2012-13	6.66	3.00	9.66	6.66	3.00
6	सबला-गैर पोषण	2011-12	--	1.82	1.82	--	1.82
		2012-13	0.98	--	0.98	0.98	--
7	इंदिरा गांधी मातृ संबल योजना	2011-12	2.38	--	2.38	2.38	--
		2012-13	0.65	--	0.65	0.65	--
8	किशोरी शक्ति योजना	2011-12	0.25	--	0.25	0.25	--
		2012-13	0.98	--	0.98	0.98	--
9	बलात्कार के पीड़ितों को वित्तीय सहायता	2011-12	--	--	--	--	--
		2012-13	--	0.50	0.50	--	0.50
		2013-14	--	0.98	0.98	--	0.98
10	नैतिक खतरे में महिलाओं को वैकल्पिक अवसर प्रदान करने के लिए स्कीम	2011-12	--	--	--	--	--
		2012-13	--	1.00	1.00	--	1.00
11	राज्य गृह/नारी सेवा सदन	2013-14	--	0.32	0.32	--	0.25
12	मदर टेरेसा असहाय संबल योजना	2013-14	--	5.98	5.98	--	5.73
13	सबला	2013-14	3.95	9.62	13.57	3.95	9.62
14	विशेष महिला उत्थान योजना	2013-14	--	0.75	0.75	--	0.15
15	माता शबरी सशक्तिकरण योजना	2013-14	--	0.66	0.66	--	0.66
	योग	**2011-12**	**5.84**	**7.25**	**13.09**	**5.84**	**7.01**
		2012-13	**9.27**	**7.14**	**16.41**	**9.27**	**7.05**
		2013-14	**3.95**	**22.34**	**26.29**	**3.95**	**21.15**

2. स्त्रियों के लाभार्थ स्कीमों को आंशिक बजटीय आवंटन

क्रमांक	स्कीम का नाम	वर्ष	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
			केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
1	मदर टेरेसा मातृ असहाय योजना	2011-12	--	2.98	2.98	--	2.98
		2012-13	--	4.24	4.24	--	4.24
		2013-14	--	--	--	--	--
2	विशेष पौषण कार्यक्रम	2011-12	28.19	20.40	48.59	28.19	16.19
		2012-13	29.66	29.40	59.06	29.66	29.40
		2013-14	29.92	32.40	62.32	29.92	29.92
3	माता शबरी सशक्तिकरण योजना	2011-12	--	0.66	0.66	--	0.66
		2012-13	--	0.66	0.66	--	0.66
		2013-14	--	--	--	--	--
4	एकीकृत्त शिशु विकास स्कीम	2013-14	154.19	12.69	166.88	147.02	11.93
	योग	**2011-12**	**28.19**	**24.04**	**52.23**	**28.19**	**19.83**
		2012-13	**29.66**	**34.30**	**63.96**	**29.66**	**34.30**
		2013-14	**184.11**	**45.09**	**229.20**	**176.94**	**41.85**

परिशिष्ट - 1.6

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.2.2; पृष्ठ 6)

2013-14 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़)

राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधि का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियां) (लेखापरीक्षा किए बिना आंकड़े)			
भारत सरकार की स्कीम	**कार्यान्वयन अभिकरण**	**भारत सरकार द्वारा जारी**	
		2013-14	**2012-13**
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	477.97	361.30
	योग	**477.97**	**361.30**
सर्व शिक्षा अभियान	हि0प्र0 प्राथमिक शिक्षा सोसायटी	114.53	107.37
	योग	**114.53**	**107.37**
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एन0आई0टी0 डी0एच0ई0	एन0आई0आई0टी0 हमीरपुर	29.00	45.00
	योग	**29.00**	**45.00**
भारतीय तकनीकी संस्थाओं को सहायता	भारतीय तकनीकी संस्थान, मण्डी	107.97	--
	योग	**107.97**	--
एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	57.15	13.43
	योग	**57.15**	**13.43**
विशेष श्रेणी राज्य हेतु पैकेज़	हि0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम	20.66	25.06
	योग	**20.66**	**25.06**
ग्रामीण आवास आई0ए0वाई0	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	42.27	29.00
	योग	**42.27**	**29.00**
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास	उपायुक्त	37.50	37.50
	योग	**37.50**	**37.50**
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	5.49	5.92
	योग	**5.49**	**5.92**
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	6.87	4.27
	योग	**6.87**	**4.27**
अस्पताल एवं औषधालय (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत)	हि0प्र0 में आयुष संस्थानों के विकासार्थ संस्था	160.77	1.19
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित)		60.26
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय क्षेत्र)	0.46	0.57
	योग	**161.23**	**62.02**
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	राज्य जल एवं स्वास्थ्य मिशन	30.49	16.67
	योग	**30.49**	**16.67**
ई-गवर्नेंस	एस0आई0टी0ई0जी0	2.39	6.05
	योग	**2.39**	**6.05**

भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2013-14	2012-13
एस0टी0डी0 नियंत्रण सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	हि0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण संस्था	11.25	8.88
	योग	**11.25**	**8.88**
विस्तार सुधारों हेतु राज्य को सहायता	राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश	9.39	9.31
	योग	**9.39**	**9.31**
राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम	राज्य वन विकास अभिकरण	2.61	3.62
	योग	**2.61**	**3.62**
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	130.81	102.24
	योग	**130.81**	**102.24**
पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान	हि0प्र0 खेल परिषद्	3.82	7.60
	योग	**3.82**	**7.60**
कृषि आर्थिक नीति एवं विकास अध्ययन	हि0प्र0 विश्वविद्यालय शिमला	4.92	3.01
	योग	**4.92**	**3.01**
नवीन एवं नवीकृत ऊर्जा तकनिकियों में शोध एवं डिजाईनिंग	चौधरी सरवण कुमार हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय	0.28	0.09
	योग	**0.28**	**0.09**
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	हिमाचल प्रदेश राज्य प्राथमिक शिक्षा सोसायटी	214.67	20.35
	योग	**214.67**	**20.35**
अन्य	--	200.49	333.75
	योग	**200.49**	**333.75**
कुल योग		**1,671.30**	**1,202.44**

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट - 1.7

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.2; पृष्ठ 20)

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्रास्थिति

क्रमांक	परियोजना का नाम	अनुमानित परियोजना लागत (₹ करोड़)
	परियोजनाएं - दी गई, पूर्ण तथा प्रचालनाधीन	
परिवहन विभाग		
1.	कांगड़ा बस अड्डा	9.50
2.	आई0एस0बी0टी0, शिमला	15
पर्यटन एवं सामान्य उड्डयन विभाग		
3.	रज्जुमार्ग-सह-स्की केन्द्र, सोलांग नाला	15
स्वास्थ्य विभाग/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन		
4.	हिमाचल प्रदेश में आपात चिकित्सा परिवहन सेवा	100
	परियोजनाएं - दी गई तथा कार्यान्वयनाधीन	
परिवहन विभाग		
5.	मकलोड़गंज बस अड्डा	5
पर्यटन एवं सामान्य उड्डयन विभाग		
6.	शिवालिक से जाखू रज्जु मार्ग	15
शहरी विकास विभाग		
7.	पार्किंग कोम्पलेक्स, छोटा शिमला	15
8.	पार्किंग कोम्पलेक्स, संजौली	25
9.	पार्किंग कोम्पलेक्स, लिफ्ट	45
10.	पार्किंग कोम्पलेक्स, विकास नगर	10
11.	पार्किंग कोम्पलेक्स, पालमपुर	10
12.	पार्किंग कोम्पलेक्स, बिलासपुर	10
13.	शिमला नगर का ठोस कचरा प्रबंधन	15
राजस्व विभाग		
14.	पार्किंग कोम्पलेक्स, मण्डी	75
स्वास्थ्य विभाग/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन		
15.	हिमाचल प्रदेश में मोबाईल डाइग्नोस्टिक ईकाइयां	5
16.	हिमाचल प्रदेश में हिमोडायलिसिस ईकाइयां	5

स्रोत: हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड

परिशिष्ट - 1.8

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.3.2; पृष्ठ 22)

31.03.2014 तक विभिन्न इकाइयों/संस्थाओं से बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष जहां से वसूलियां प्रभावित नहीं हुई	विभाग	31.03.2014 तक बकाया राशि (₹)
1	6202-01-201-01-प्राथमिक शिक्षा	2001-02	निदेशक, शिक्षा	9,68,718
2	6215-01-190-नगर पालिकाओं को ऋण	2010-11	निदेशक, शहरी विकास	61,520
3	6216-80-201-01-हिमाचल प्रदेश आवासीय को ऋण	2009-10	निदेशक, आवासीय	1,16,00,496
4	6217-01-800-01- सुधार न्यास के लिए ऋण	2001-02	निदेशक, शहरी विकास	1,42,984
5	6217-60-800-01-ब्याज रहित ऋण	2008-09		2,00,00,000
6	6217-03-191-01-स्थानीय निकायों को ऋण	1995-96		3,54,657
7	6217-01-191-01-निगम को ऋण	1998-99		53,43,924
8	6225-02-796-01- जनजातिय क्षेत्र उप-योजना	1994-95	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1,86,955
9	6245-01-796-01- जनजातिय क्षेत्र उप-योजना	2003-04	राजस्व	55,294
10	6401-00-190-03-हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग पैकेजिंग सीमित को ऋण	2007-08	निदेशक, बागवानी	3,84,58,277
11	6401-00-800-02- हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय को ऋण	1992-93	निदेशक, कृषि	5,61,65,405
12	6425-00-108-01-वाहनों की खरीद	2004-05	पंजियक, सहकारी सोसायटी	26,284
13	6425-00-108-03-मशीनरी एवं उपकरण	2004-05		33,297
14	6425-00-108-04-आवासीय सहकारिताओं को ऋण	1995-96		13,79,983
15	6425-00-108-06-मछुआरों की सहकारिताओं को ऋण	1987-88		6,85,757
16	6425-00-108-07-औद्योगिक सहकारिताओं को ऋण	1987-88		60,93,356
17	6425-00-108-08-उपभोक्ताओं की सहकारिताओं को ऋण	1995-96		16,91,437
18	6408-01-101-01-उपार्जन एवं आपूर्ति	2005-06	निदेशक, खाद्य एवं सामान्य आपूर्ति	6,12,300
19	6403-00-103-01-पोल्ट्री विकास	2005-06	निदेशक, पशु पालन	15,882
20	6408-01-190-01-उपभोक्ता सहकारिताओं को ऋण	2004-05	निदेशक, खाद्य एवं सामान्य आपूर्ति	22,32,523
21	6408-02-190-01-हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग	2004-05		7,28,348
22	6408-01-796-01- जनजातिय क्षेत्र उप-योजना	2003-04		14,89,530
23	6515-00-102-01-सामुदायिक विकास	2008-09	निदेशक, पंचायती राज	1,07,932
24	6801-00-800-01-सामान्य उद्देश्यों के लिए विद्युत बोर्ड को ऋण	2000-01	बहुउद्धेशीय परियोजना एवं विद्युत	64,30,55,132
25	6851-00-200-01-उपक्रमों को ब्याज मुक्त ऋण	2007-08	निदेशक, उद्योग	61,64,372
26	7465-00- 101-01-सामान्य वित्तीय संस्थान	1987-88	वित्त निगम	10,00,000
			योग	**79,86,54,363**

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) एवं वित्त लेखे

परिशिष्ट - 2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 36)

कुल प्रावधान के सात मामलों में विभिन्न अनुदानों जहां बचत प्रति ₹ एक करोड़ या 20 *प्रतिशत* से अधिक थी, का विवरण (₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचतें	प्रतिशतता (20 *प्रतिशत* से अधिक)
		राजस्व-दत्तमत			
1.	03	न्यायिक प्रशासन	117.54	16.71	
2.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	732.46	21.89	
3.	08	शिक्षा	3,542.10	342.46	
4.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,026.44	115.83	
5.	11	कृषि	225.44	7.12	
6.	12	बागवानी	144.88	7.29	
7.	14	पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यिकी	240.39	16.59	
8.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	57.31	13.44	**23**
9.	16	वन एवं वन्य-प्राणी	381.04	7.37	
10.	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना तकनीकी	68.95	12.37	
11.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	476.34	8.67	
12.	20	ग्रामीण विकास	460.97	60.04	
13.	21	सहकारिता	26.89	3.94	
14.	22	खाद्य एवं सामान्य आपूर्ति	271.39	10.26	
15.	23	विद्युत विकास	276.52	269.83	**98**
16.	24	मुद्रण एवं स्टेशनरी	22.89	1.22	
17.	25	सड़क एवं जल परिवहन	166.85	1.66	
18.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	179.61	78.88	**44**
19.	29	वित्त	3,146.00	248.90	
20.	30	विविध सामान्य सेवाएं	64.35	3.74	
21.	31	जनजातीय विकास	706.91	26.54	
22.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	563.42	23.69	
		राजस्व- प्रभारित			
23.	29	वित्त	2,503.23	22.37	
		पूंजीगत-दत्तमत			
24.	10	लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	555.43	77.21	
25.	11	कृषि	74.49	17.47	**23**
26.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	312.18	88.09	**28**
27.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	120.10	8.81	
28.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	16.71	1.98	
29.	23	विद्युत विकास	487.27	12.85	
30.	29	वित्त	11.38	4.52	**40**
31.	31	जनजातिय विकास	199.68	45.42	**23**
32.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	579.26	83.63	
		पूंजीगत-प्रभारित			
33.	29	वित्त	1,924.46	220.19	

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 37)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जिनमें व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ और कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था, की विवरणी

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय	व्यय आधिक्य की प्रतिशतता (20 *प्रतिशत* से अधिक)
राजस्व- दत्तमत्त						
1.	04	समान्य प्रशासन	126.99	128.60	1.61	-
2.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	493.72	549.63	55.91	-
3.	10	लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	2,269.95	2,315.91	45.96	-
4.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1,521.39	1,776.72	255.33	-
5.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण योजना तथा आवासीय	178.05	267.49	89.44	**50**
पूंजीगत- दत्तमत्त						
6.	21	सहकारिता	11.75	36.75	25.00	**213**
योग			**4,601.85**	**5,075.10**	**473.25**	

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 39)

नियमन के लिए अपेक्षित विगत वर्षों के प्रावधान पर आधिक्य

(₹ करोड़)

वर्ष	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन की संख्याएं	आधिक्य राशि	लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने की स्थिति
2009-10	19 अनुदान 1 विनियोजन	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29 तथा 32 10	887.80	बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय/बचत आधिक्य के विनियमन पर वित्त विभाग से आत्म प्रेरित उत्तर अभी तक प्रतीक्षित हैं। अत: लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी/प्रतिवेदनों का विनियमन किया जाना है।
2010-11	19 अनुदान 2 विनियोजन	1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 26, 27, 29, 30, 31 तथा 32 2 तथा 10	2,237.64	
2011-12	6 अनुदान 1 विनियोजन	9, 10, 13, 15, 21 तथा 23 29	752.51	
2012-13	11 अनुदान 3 विनियोजन	1,2,3,10,11,13,14,18,19, 21 तथा 23 2,3 तथा 29	703.08	
योग			**4,581.03**	

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.7;पृष्ठ 39)

नियमन के लिए अपेक्षित 2013-14 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य

(₹)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या तथा शीर्षक	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
	राजस्व-दत्तमत्त			
1.	02-राज्यपाल तथा मन्त्री परिषद	11,41,70,000	11,73,80,076	32,10,076
2.	04-सामान्य प्रशासन	1,26,99,17,000	1,28,60,36,857	1,61,19,857
3.	05-भू-राजस्व और जिला प्रशासन	4,93,71,52,000	5,49,63,11,574	55,91,59,574
4.	10-लोक निर्माण कार्य-सडकें, पुल व भवन	22,69,95,00,590	23,15,91,32,883	45,96,32,293
5.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	15,21,39,10,000	17,76,72,00,691	2,55,32,90,691
6.	17-चुनाव	25,64,21,414	25,92,68,787	28,47,373
7.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण योजना तथा आवासीय	1,78,05,03,000	2,67,48,68,486	89,43,65,486
	राजस्व-प्रभारित			
8.	*02-राज्यपाल तथा मन्त्री परिषद*	*4,33,05,000*	*4,39,80,481*	*6,75,481*
9.	*07-पुलिस एवं संबद्ध संगठन*	*4,67,407*	*5,06,322*	*38,915*
10.	*09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण*	-	*22,380*	*22,380*
	पूंजीगत-प्रभारित			
11.	03-न्यायिक प्रशासन	19,56,02,000	20,48,67,195	92,65,195
12.	16-वन एवं वन्य जीवन	2,62,26,000	2,62,26,004	4
13.	21-सहकारिता	11,75,08,000	36,74,95,000	24,99,87,000
	योग	**46,65,46,82,411**	**51,40,32,96,736**	**4,74,86,14,325 अर्थात ₹ 474.86 करोड़**

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 39)

मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ हजार)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचतें	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	08-शिक्षा	3,47,73,219	3,19,96,498	27,76,721	6,47,830
2.	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,00,23,071	91,06,067	9,17,004	2,41,304
3.	11- कृषि	22,28,330	21,83,152	45,178	26,047
4.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यिकी	23,48,973	22,38,019	1,10,954	54,900
5.	20- ग्रामीण विकास	42,00,987	40,09,300	1,91,687	4,08,668
6.	21-सहकारिता	2,50,960	2,29,468	21,492	17,928
पूंजीगत-दत्तमत्त					
7.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1,53,800	1,47,300	6,500	13,300
8.	31-जनजातिय विकास	19,50,079	15,42,620	4,07,459	46,723
9.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	54,73,099	49,56,289	5,16,810	3,19,467
पूंजीगत-प्रभारित					
10.	29-वित्त	1,71,44,541	1,70,42,695	1,01,846	21,00,047
	योग	**7,85,47,059**	**7,34,51,408**	**50,95,651**	**38,76,214** अर्थात **₹ 387.62 करोड़**

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 39)

विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदानों का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत्त							
1.	05	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	436.60	57.11	493.71	549.63	55.92
2.	10	लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल व भवन	2,257.67	12.28	2,269.95	2,315.91	45.96
3.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण योजना तथा आवास	171.89	6.16	178.05	267.49	89.44
योग			**2,866.16**	**75.55**	**2,941.71**	**3,133.03**	**191.32**

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.9; पृष्ठ 39)

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	5	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2245-106-01(एन०पी०)	17.58	41.47
2.			2029-102-04 (एन०पी०)	(-)15.44	12.61
3.			2029-103-02 (एन०पी०)	(-)11.03	1.13
4.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-04-101-02 (एन०पी०)	(-)3.98	(-)3.23
5.			2211-102-01(एन०पी०)	(-)4.28	1.55
6.			2210-05-105-06 (एन०पी०)	0.67	1.49
7.	10	लोक निर्माण कार्य-सडकें, पुल व भवन	3054-03-103-08 (एन०पी०)	---	3.01
8.			3054-03-103-12 (एन०पी०)	0.03	1.11
9.			2059-80-001-01 (एन०पी०)	0.04	(-)5.03
10.			2059-80-053-03 (एन०पी०)	0.32	(-)19.62
11.			2059-80-053-05(एन०पी०)	0.19	(-)3.28
12.			3054-03-103-10(एन०पी०)	0.28	(-)27.89
13.			3054-03-103-11(एन०पी०)	4.53	(-)47.25
14.			3054-03-103-13(एन०पी०)	0.01	(-)2.10
15.			3054-03-103-14 (एन०पी०)	0.02	(-)11.62
16.			3054-04-105-02	2.13	(-)1.07
17.			3054-04-105-06(एन०पी०)	101.29	(-)88.69
18.			3054-04-105-07 (एन०पी०)	0.09	(-)52.66
19.			3054-80-001-01(एन०पी०)	(-)0.06	(-)18.45
20.	11	कृषि	2402-102-01	(-)3.49	1.02
21.	12	बागवानी	2401-119-01(एन०पी०)	(-)2.04	(-)1.33
22.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-01-101-02 (एन०पी०)	(-)1.17	11.78
23.			2215-01-101-13 (एन०पी०)	9.41	2.10
24.			2700-01-101-01(एन०पी०)	(-)0.35	2.02
25.			2702-80-001-02(एन०पी०)	0.43	4.52
26.			2702-80-001-07 (एन०पी०)	(-)0.55	2.68
27.			2215-01-001-02(एन०पी०)	(-)15.93	2.55
28.			2215-01-005-01(एन०पी०)	(-)2.00	(-)1.80
29.			2215-01-102-03(एन०पी०)	(-)15.12	10.08
30.			2700-01-001-01(एन०पी०)	(-)0.96	(-)2.06
31.			2702-80-001-01(एन०पी०)	(-)20.37	(-)10.71
32.			2702-80-001-06 (एन०पी०)	0.46	(-)3.31
33.	21	सहकारिता	6425-108-05	0.11	24.99
34.	23	विद्युत विकास	6801-190-01	(-)41.97	62.19
35.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण योजना तथा आवास	2217-80-191-05	6.74	4.16
36.			2217-80-191-41	0.77	2.72
37.	29	वित्त	2071-01-101-04 (एन०पी०)	2.06	11.87
38.			2049-01-101-52((एन०पी०)	(-)0.04	(-)7.69
39.			2049-01-101-63 (एन०पी०)	4.79	(-)4.79
40.			2049-03-104-03 (एन०पी०)	0.33	(-)1.93

1.	2.	3.	4.	5.	6.
41.			2049-01-101-62 (एन०पी०)	4.04	4.79
42.			2049-01-101-79 (एन०पी०)	---	10.39
43.			6003-110-01 (एन०पी०)	185.91	(-)220.17
44.	31	जनजातीय विकास	2014-796-02 (एन०पी०)	1.47	(-)1.47
45.			2059-01-796-11(एन०पी०)	0.70	(-)2.73
46.			2059-80-796-02 (एन०पी०)	0.01	(-)2.22
47.			2215-01-796-02 (एन०पी०)	(-)2.68	1.73
48.			2215-01-796-09 (एन०पी०)	(-)2.68	(-)7.73
49.			3054-04-796-01(एन०पी०)	(-)1.25	(-)3.96
50.			3054-04-796-02 (एन०पी०)	(-)4.95	(-)4.92
51.			3054-04-796-03(एन०पी०)	(-)3.38	2.75
52.			3054-04-796-04(एन०पी०)	(-)3.64	1.82
53.			3054-04-796-05(एन०पी०)	0.05	(-)4.50
54.			3054-04-796-06 (एन०पी०)	(-)10.25	9.34
55.			2215-01-796-01(एन०पी०)	(-)0.29	1.48
56.			2215-02-796-01(एन०पी०)	(-)0.03	5.07
57.			4215-01-796-11	27.66	(-)27.66

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 39)

वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख)

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख)	अभ्यर्पण राशि (₹ 10 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	03	2014-00-105-03	351.18	310.34	88
2.	03	2014-00-105-04	485.00	369.85	76
3.	03	2059-01-053-40	84.00	54.15	64
4.	06	4059-01-051-09	92.50	51.55	56
5.	09	2210-01-001-01	1,896.74	1,265.04	67
6.	09	2210-06-101-05	403.30	265.11	66
7.	09	4210-03-105-02	40.00	40.00	100
8.	13	2700-01-101-02	200.00	160.00	80
9.	13	2701-80-800-01	200.00	120.00	60
10.	13	4215-01-102-21	753.00	753.00	100
11.	13	4701-20-800-02	3,189.75	3,189.75	100
12.	13	4701-23-800-01	38.00	38.00	100
13.	13	4701-24-800-01	34.00	34.00	100
14.	13	4702-00-101-06	2,672.00	2,017.00	75
15.	13	4702-00-101-07	1,092.00	843.58	77
16.	13	4711-01-800-09	841.00	841.00	100
17.	13	4711-01-800-10	76.00	76.00	100
18.	13	4711-01-800-12	903.00	677.25	75
19.	13	4711-01-800-14	199.00	199.00	100
20.	15	3451-00-101-09	22.31	13.46	60
21.	15	3451-00-101-19	100.00	57.29	57
22.	15	3451-00-101-20	500.00	434.88	87
23.	15	4202-01-201-08	100.00	100.00	100
24.	15	5002-01-120-01	50.00	50.00	100
25.	18	2851-00-102-21	86.00	86.00	100
26.	18	2852-80-102-08	630.00	365.73	58
27.	19	2235-02-103-12	150.00	135.00	90
28.	19	4225-80-800-03	100.00	100.00	100
29.	22	2236-02-101-06	30.00	21.91	73
30.	22	3456-00-001-05	847.59	824.97	97
31.	23	2801-80-101-07	27,000.00	26,912.41	99
32.	27	4250-00-201-01	35.00	21.99	63
33.	29	7610-00-201-02	30.00	20.00	67
34.	29	7610-00-800-04	500.00	398.12	80
35.	31	3054-04-796-06	1,035.00	933.87	90
36.	32	2851-00-789-17	137.00	137.00	100
37.	32	2852-80-789-01	370.00	370.00	100
38.	32	4202-01-789-05	630.00	429.16	68
39.	32	4202-01-789-06	49.00	30.49	62
40.	32	4402-00-789-02	1,310.00	842.01	64
41.	32	4402-00-789-03	173.00	173.00	100
42.	32	4701-01-789-06	12.00	12.00	100
43.	32	4701-01-789-07	11.00	11.00	100
44.	32	4701-20-789-04	1,360.00	1,020.00	75
45.	32	4702-00-789-06	742.00	526.94	71
46.	32	4702-00-789-07	494.00	412.42	83
47.	32	4711-01-789-11	66.00	66.00	100
48.	32	4801-00-789-02	960.00	960.00	100
		योग	**51,080.37 अर्थात ₹ 510.80 करोड़**	**46,770.27 अर्थात ₹ 467.70 करोड़**	

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 40)

वर्ष के दौरान शत *प्रतिशत* अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	स्कीम का नाम (लेखा शीर्ष)	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	2.	3.	4.	5.
1.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	दंत महाविद्यालय (4210-03-105-02)	40.00	100
चिकित्सा अवसंरचना के अद्यतनीकरण पर शून्य व्यय के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
2.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों पर व्यय (4215-01-102-21)	753.00	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
3.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	अन्य व्यय (4701-20-800-02)	3,189.75	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
4.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	कोनशिल झारेरा मण्डप परियोजना पर व्यय (4701-23-800-01)	38.00	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
5.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	पारछू खड्ड के दायें एवं बायें किनारों पर वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण (4701-24-800-01)	34.00	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
6.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जाहू खड्ड से बोम तक सीर खड्ड का पृथक्करण (4711-01-800-09)	841.00	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
7.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत मण्डी एवं हमीरपुर जिलों में बरसवाड़ से जाहू तक सीर खड्ड का पृथक्करण (4711-01-800-10)	76.00	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
8.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला ऊना में लूनखारी खड्ड का पृथक्करण(4711-01-800-14)	199.00	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
9.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत भवनों का निर्माण (4202-01-201-08)	100.00	100
भवनों के निर्माण पर शून्य व्यय के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था। समान प्रावधान विगत वर्ष अर्थात 2012-13 में भी अभ्यर्पित किया गया था।				
10.	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	रेल पटरियों का निर्माण (5002-01-120-01)	50.00	100
रेल पटरियों के निर्माण पर शून्य व्यय के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था। समान प्रावधान विगत वर्ष अर्थात 2012-13 में भी अभ्यर्पित किया गया था।				

1.	2.	3.	4.	5.
11.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना तकनीकी	एकीकरण पहचानों हेतू तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान (2851-001-01-21)	86.00	100
मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद न किए जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
12.	19-समाजिक न्याय एवं अधिकारिता	अन्य पिछड़ा वर्गों के लड़कों/लड़कियों के छात्रावासों का निर्माण (4225-80-800-03)	100.00	100
कार्य के निष्पादन न किए जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
13.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	ऑनलाइन विभागों का कम्प्यूटरीकरण (2851-00-789-17)	137.00	100
कम्प्यूटरीकरण हेतु अनुदान जारी न किये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
14.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	राज्य कला उद्योगों के विनिर्माण पर व्यय (2852-80-789-01)	370.00	100
लाभार्थियों से मांग की गैर-प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
15.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत व्यय (4402-00-789-03)	173.00	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
16.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	कांसिल झरेरा मण्डप परियोजना पर व्यय (4701-01-789-06)	12.00	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
17.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	सटयार खड्ड मण्डी में वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण (4701-01-789-07)	11.00	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
18.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	जिला ऊना में लिकरी खड्ड का पृथक्करण (4711-01-789-11)	66.00	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
19.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	हिमाचल प्रदेश संचरण को इक्विटी अंशदान (4801-00-789-02)	960.00	100
सही लेखा शीर्ष में प्रावधान के स्थानांतरण के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
		योग	**7,235.75 अर्थात ₹ 72.36 करोड़**	

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 40)

31 मार्च 2014 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	03	2014- न्याय प्रशासन	145.48	16.24	11
2.	07	2055- पुलिस	648.80	14.14	02
3.	08	2202- सामान्य शिक्षा	3,535.18	342.10	10
4.	09	2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	888.13	101.82	11
5.	09	2211- परिवार कल्याण	137.36	13.39	10
6.	10	3054- सड़कें एवं पुल	2,269.95	16.51	0.7
7.	10	5054- सड़क एवं पुलों पर परिव्यय	521.88	77.51	15
8.	11	4402-मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	35.60	17.40	49
9.	13	2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1,057.24	23.55	02
10.	13	2702- लघु सिंचाई	429.51	23.44	05
11.	13	4701- माध्यमिक सिंचाई पर परिव्यय	68.52	32.67	48
12.	13	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	84.55	29.11	34
13.	13	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	37.20	19.32	52
14.	14	2403-पशु पालन	207.17	14.56	07
15.	20	2505- ग्रामीण रोजगार	55.00	17.81	32
16.	20	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	460.97	40.13	09
17.	23	2801- विद्युत	273.63	269.17	98
18.	23	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	170.20	33.07	19
19.	23	6801-विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	317.07	41.97	13
20.	27	2230-श्रम एवं रोजगार	145.87	78.88	54
21.	31	2202-सामान्य शिक्षा	168.75	17.47	10
22.	31	3054- सड़क एवं पुल	155.69	20.17	13
23.	31	5054- सड़कें एवं पुलों पर परिव्यय	57.65	17.86	31
24.	32	4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	14.83	10.15	68
25.	32	4701- माध्यमिक सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	22.48	11.01	49
26.	32	6801-विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	109.86	31.63	29
योग			**12,018.57**	**1,331.08**	

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 40)

वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण (₹ 20 लाख अथवा इससे अधिक)

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या व नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	11- कृषि	225.44	7.12	10.00	2.88
2.	31-जनजातिय विकास	706.91	26.54	47.66	21.12
पूंजीगत-दत्तमत्त					
3.	10- लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	555.43	77.21	77.52	0.31
4.	13 सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	312.18	88.09	88.62	0.53
5.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	120.10	8.81	9.02	0.21
6.	23-विद्युत विकास	487.27	12.85	75.04	62.19
7.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	579.26	83.63	83.88	0.25
योग		**2,986.59**	**304.25**	**391.74**	**87.49**

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.13; पृष्ठ 41)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या तथा नाम	स्कीम/सेवा लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2014 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2014 में किया गया व्यय	2013-14 के दौरान कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी-मार्च 2014	मार्च 2014
1.	07-पुलिस एवं संबद्ध संगठन	4055-00-211-03	12.78	10.76	16.66	77	65
2.	08-शिक्षा	2202-02-109-17	11.42	11.42	11.42	100	100
3.	08- शिक्षा	4202-01-203-01	57.36	51.89	70.02	82	74
4.	10- लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	2059-80-053-06	47.19	40.41	58.84	80	69
5.	10- लोक निर्माण कार्य -सड़कें, पुल एवं भवन	4216-01-106-01	12.23	12.23	16.00	76	76
6.	10- लोक निर्माण कार्य -सड़कें, पुल एवं भवन	5054-03-337-04	15.40	14.15	24.90	62	57
7.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4701-21-800-01	26.35	26.35	26.35	100	100
8.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4705-00-313-01	11.58	10.51	15.06	77	70
9.	16-वन तथा वन्य जीवन	2406-01-102-32	12.41	10.24	18.07	69	57
10.	21- सहकारिता	6425-00-108-05	25.00	25.00	25.00	100	100
11.	23- विद्युत विकास	4801-01-190-09	25.00	25.00	25.00	100	100
12.	28-शहरी विकास	2217-03-192-02	110.48	101.05	110.48	100	91
13.	28- शहरी विकास	2217-80-191-41	11.49	11.49	11.49	100	100
14.	29-वित्त	2049-01-101-05	38.76	38.76	64.74	60	60
15.	31- जनजातीय विकास	3054-04-796-05	33.86	31.61	46.10	73	69
16.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	2202-01-789-06	17.83	15.68	27.40	65	57
17.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	2202-01-789-12	10.68	10.68	16.74	64	64
18.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	2202-03-789-04	15.73	15.73	15.73	100	100
19.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	2217-04-789-06	17.30	17.30	17.30	100	100
20.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	2225-01-789-10	11.65	11.65	11.65	100	100
21.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	2801-80-789-01	18.54	18.54	18.54	100	100
22.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	6801-00-789-03	14.05	14.05	14.05	100	100

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4; पृष्ठ 42)

(i) 2009-14 के लिए सार आकस्मिक तथा विस्तृत आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार ब्यौरा

(₹ करोड़)

वर्ष	सार आकस्मिक बिल		विस्तृत आकस्मिक बिल		सार आकस्मिक बिलों की प्रतिशतता के रूप में विस्तृत आकस्मिक बिल	बकाया सार आकस्मिक बिल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि
2009-10	34	3.64	21	0.09	62	13	3.55
2010-11	46	3.87	25	0.10	54	21	3.77
2011-12	9	3.49	-	-	-	9	3.49
2012-13	30	15.39	-	-	-	30	15.39
2013-14	28	5.83	2	0.0012	7	26	5.83
योग	**147**	**32.22**	**48**	**0.19**		**99**	**32.03**

(ii) सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में लम्बन की विभागवार स्थिति

(₹)

क्रमांक	विभाग	सार आकस्मिक बिलों की संख्या	राशि
1.	आयुर्वेद	58	19,80,00,265
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	25	11,91,38,560
3.	श्रम एवं रोजगार	5	14,500
4.	भाषा कला एवं संस्कृति	2	20,000
5.	अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल सेवा संस्थान,मनाली	1	29,000
6.	स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियमन	4	20,200
7.	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	1	50,000
8.	भू-अभिलेख	1	10,000
9.	गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा	1	35,000
10.	सचिवालय प्रशासन	1	30,00,000
	योग	**99**	**32,03,17,525 अर्थात ₹ 32.03 करोड़**

स्रोत: विभागों द्वारा आपूरित सूचना से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े।

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5; पृष्ठ 42)

31 मार्च 2014 को प्रतिकूल/ऋणात्मक शेष को दर्शाने वाली विवरणी

(₹)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष	कोष/आहरण एवं संवितरण अधिकारी	अथ शेष	क्रेडिट	डेबिट	अंत शेष
	8448- स्थानीय निधि निक्षेप					
1.	109-पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, हमीरपुर	(-) 2,75,310	-	-	(-) 2,75,310
	8448- स्थानीय निधि निक्षेप					
2.	109-पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, बैजनाथ	(-) 44,756	-	-	(-)44,756
	8448- स्थानीय निधि निक्षेप					
3.	109-पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, नगर	(-) 42,787	-	-	(-) 42,787
	8448- स्थानीय निधि निक्षेप					
4.	109-पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, बंजार	(-) 26,000	-	-	(-) 26,000
	8448- स्थानीय निधि निक्षेप					
5.	109-पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, धर्मपुर	(-) 10,899	-	-	(-) 10,899
	8448- स्थानीय निधि निक्षेप					
6.	109-पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, घुमारवीं	(-) 54,900	-	-	(-) 54,900
	8448- स्थानीय निधि निक्षेप					
7.	109-पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, पांवटा	(-) 12,794	-	24,700	(-) 37,494
	8448- स्थानीय निधि निक्षेप					
8.	109-पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, चम्बा	63,407	-	1,67,975	(-) 1,04,568
	8449- अन्य निक्षेप					
9.	120-विविध निक्षेप	प्राचार्य एस0वी0एस0डी0 महाविद्यालय, भटोली	4,40,144	1,49,93,359	1,94,54,946	(-) 40,21,443
		योग	**36,105**	**1,49,93,359**	**1,96,47,621**	**(-) 46,18,157 अर्थात ₹ 46.18 लाख**

परिशिष्ट-2.15

(संदर्भ: परिच्छेद 2.7.3; पृष्ठ 45)

समूह बीमा स्कीम के अंतर्गत किए गए भुगतान का गलत वर्गीकरण (2013-14 में जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)

(₹)

क्रमांक	जिला कोषागार/उप-कोषागार का नाम	परिच्छेद संख्या	बचत निधि के अंतर्गत प्रस्तावित बीमा भुगतान	बीमा निधि के अंतर्गत प्रस्तावित बचत निधि भुगतान	गलत वर्गीकरण की कुल राशि
1.	डी0टी0 बिलासपुर	3	7,65,000	44,95,353	52,60,353
2.	एस0टी0 घुमारवीं	2	75,000	10,81,713	11,56,713
3.	एस0टी0 श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट	2	45,000	2,89,160	3,34,160
4.	एस0टी0 झण्डुता	1	---	5,24,311	5,24,311
5.	डी0टी0 चम्बा	2	15,000	66,028	81,028
6.	एस0टी0 डलहौजी	2	30,000	64,982	94,982
7.	एस0टी0 भरमौर	1	60,000	34,388	94,388
8.	एस0टी0 सिहुंता	2	---	67,816	67,816
9.	डी0टी0 हमीरपुर	7	60,000	40,873	1,00,873
10.	एस0टी0 बड़सर	3	60,000	---	60,000
11.	एस0टी0 भौरंज	1	---	40,101	40,101
12.	डी0टी0 कांगड़ा स्थित धर्मशाला	3	15,000	1,60,828	1,75,828
13.	एस0टी0 कांगड़ा	8	3,90,000	14,172	4,04,172
14.	एस0टी0 देहरा	5	45,000	14,846	59,846
15.	एस0टी0 नूरपुर	2	90,000	1,83,914	2,73,914
16.	एस0टी0 पालमपुर	5	1,35,000	18,783	1,53,783
17.	एस0टी0 जयसिंहपुर	4	---	8,142	8,142
18.	एस0टी0 ज्वाली	4	---	4,096	4,096
19.	एस0टी0 फतेहपुर	1	60,000	---	60,000
20.	एस0टी0 बैजनाथ	4	15,000	---	15,000
21.	डी0टी0 किन्नौर स्थित रिकांग पिओ	3	45,000	67,616	1,12,616
22.	एस0टी0 पूह	2	30,000	58,752	88,752
23.	एस0टी0 मोरंग	1	---	29,542	29,542
24.	एस0टी0 निचार	4	15,000	---	15,000
25.	डी0टी0 कुल्लू	6	30,000	4,378	34,378
26.	काजा कोषागार	1	---	24,121	24,121
27.	डी0टी0 मण्डी	2	---	31,772	31,772
28.	एस0टी0 जोगिन्द्र नगर	4	---	23,550	23,550
29.	एस0टी0 सरकाघाट	1	75,000	1,06,908	1,81,908
30.	एस0टी0 चचोट	1	---	26,714	26,714
31.	एस0टी0 थुनग	1	---	28,900	28,900
32.	एस0टी0 कोटली	1	---	24,380	24,380
33.	एस0टी0 बलद्वाडा	1	---	24,862	24,862
34.	एस0टी0 धर्मपुर	2	---	61,250	61,250
35.	राजधानी कोष, शिमला	7	---	46,619	46,619
36.	डी0टी0 शिमला (ओ)	3	60,000	24,429	84,429
37.	एस0टी0 सुन्नी	1	30,000	---	30,000
38.	एस0टी0 जुब्बल	3 (बी)	30,000	---	30,000
39.	एस0टी0 कोटखाई	2	1,35,000	---	1,35,000
40.	एस0टी0 रोहड़ु	6	75,000	---	75,000
41.	एस0टी0 ठियोग	2	---	80,092	80,092
42.	एस0टी0 कुमारसैन	2	60,000	---	60,000
43.	डी0टी0 सिरमौर स्थित नाहन	3	60,000	56,536	1,16,536
44.	एस0टी0 राजगढ़	4	30,000	49,746	79,746
45.	एस0टी0 शिलाई	2	---	4,050	4,050
46.	डी0टी0 सोलन	2	60,000	---	60,000
47.	एस0टी0 अर्की	1	30,000	34,670	64,670
48.	एस0टी0 कसौली	1	---	19,310	19,310
49.	एस0टी0 नालागढ़	3	1,05,000	4,902	1,09,902
50.	एस0टी0 रामशहर	1	---	34,944	34,944
51.	डी0टी0 ऊना	1	1,05,000	---	1,05,000
52.	एस0टी0 हरोली	1	30,000	43,553	73,553
53.	एस0टी0 बंगाना	1	60,000	3,130	63,130
54.	एस0टी0 अम्ब	3	45,000	5,288	50,288
	योग		**29,70,000** **अर्थात ₹ 0.30 करोड़**	**80,29,520** **अर्थात ₹ 0.80 करोड़**	**1,09,99,520** **अर्थात ₹ 1.10 करोड़**

परिशिष्ट-2.16

(संदर्भ: परिच्छेद 2.7.4; पृष्ठ 46)

पेंशन शीर्षों के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण (2013-14 में जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)

(₹)

क्रमांक	जिला कोषागार/उप-कोषागार का नाम	परिच्छेद संख्या	व्यय की प्रवृत्ति			लेखा शीर्ष जिसके अंतर्गत पुस्तांकित है
			डी०सी०आर०जी०	पेंशन	रूपांतरण	
1.	डी०टी० चम्बा	2	6,27,149	---	---	2071-01-104-01एवं 00
2.	एस०टी० तीसा	1	46,570	---	---	2071-01-104-01
3.	एस०टी० सलूणी	1	2,475	---	--	2071-01-104-01
4.	डी०टी० हमीरपुर	4	49,543	---	---	2071-01-104-01
5.	एस०टी० नादौन	6	1,01,238	---	---	2071-01-104-00
6.	एस०टी० कांगड़ा	5	3,324	---	---	2071-01-104-01
7.	एस०टी० रक्कर	2	9,86,504	---	---	2071-01-104-01
8.	एस०टी० पूह	1	3,75,292	---		2071-01-104-00
9.	एस०टी० बंजार	3	25,136	---	---	2071-01-104-00
10.	डी०टी० मण्डी	2	---	---	2,72,567	2071-01-102-01
11.	एस०टी० गौहर	1	11,106	---	--	2071-01-104-01
12.	एस०टी० औट	1	5,64,495	---	---	2071-01-104- 01
13.	एस०टी० चौपाल	2	2,97,435	---	---	2071-01-104-01
14.	एस०टी० जुब्बल	3 (ए)	29,646	---		2071-01-104-01
15.	एस०टी० कोटखाई	3	54,59,595	---	---	2071-01-104-01
16.	एस०टी० रामपुर	2	29,36,038			2071-01-104-01
17.	एस०टी० रोहड़ु	3	6,98,342	---	---	2071-01-104-01
18.	एस०टी० कुमारसैन	1	94,371			2071-01-104-01
19.	एस०टी० पच्छाड़	1	18,38,657	---	---	2071-01-104-01
20.	एस०टी० राजगढ़	5	2,70,251			2071-01-104-01
21.	एस०टी० नौराधार	1	8,85,456	---	---	2071-01-104-00/01
		योग	**1,53,02,623 अर्थात ₹ 1.53 करोड़**	**----**	**2,72,567 अर्थात ₹ 0.03 करोड़**	

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ 47)

31 मार्च 2014 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ लाख)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	2011-संसद/राज्य/संघ क्षेत्र विधान सभाएं	2012-13	2	8.25	-	-
			2	**8.25**	**-**	**-**
2	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	2012-13	4	73.50	4	73.50
			4	**73.50**	**4**	**73.50**
3	2055- पुलिस	2008-09	1	25.00	-	-
		2010-11	1	25.00	-	-
			2	**50.00**	**-**	**-**
4	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2012-13	17	285.39	-	-
			17	**285.39**	**-**	**-**
5	2075- - विविध सामान्य सेवाएं	2012-13	13	147.15	1	14.73
			13	**147.15**	**1**	**14.73**
6	2202- सामान्य शिक्षा	2009-10	75	21.57	-	-
		2010-11	2,558	9,312.73	182	83.91
		2011-12	11,814	12,114.59	-	-
		2012-13	17,478	29,281.45	11,032	26,442.03
			31,925	**50,730.34**	**11,214**	**26,505.95**
7	2203-तकनीकी शिक्षा	2012-13	6	91.00	6	91.00
			6	**91.00**	**6**	**91.00**
8	2204- खेल एवं युवा सेवाएं	2010-11	1	217.57	-	-
		2011-12	21	377.75	-	-
		2012-13	44	635.24	42	453.64
			66	**1,230.56**	**42**	**453.64**
9	2205- कला एवं संस्कृति	2010-11	104	211.21	104	211.21
		2011-12	113	222.81	113	222.81
		2012-13	168	271.43	168	271.43
			385	**705.45**	**385**	**705.45**
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य					
10	2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2009-10	1	412.80	-	-
		2011-12	1	170.00	1	170.00
		2012-13	1,033	4,236.59	7	641.59
			1,035	**4,819.39**	**8**	**811.59**
11	2211- परिवार स्वास्थ्य	2011-12	5	3,023.00	-	-
			5	**3,023.00**	**-**	**-**
	योग (चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य)		**1,040**	**7,842.39**	**8**	**811.59**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	शहरी विकास					
12	2217- शहरी विकास	2008-09	12	2,192.49	12	2,192.49
		2009-10	21	6128.00	14	6,055.65
		2010-11	21	3,076.09	20	2,953.06
		2011-12	26	5,525.50	20	4,422.65
		2012-13	48	16,090.86	34	11,736.92
			128	**33,012.94**	**100**	**27,360.76**
13	3054- सड़क एवं पुल	2008-09	2	600.00	2	600.00
		2010-11	2	276.00	2	276.00
		2011-12	1	600.00	1	600.00
		2012-13	1	600.00	1	600.00
			6	**2,076.00**	**6**	**2,076.00**
	योग (शहरी विकास)		**134**	**35,088.94**	**106**	**29,436.76**
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
14	2225- अनुसूचित जाति, अनुसुचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	2006-07	5	554.00	-	-
		2007-08	7	231.00	-	-
		2008-09	22	470.36	-	-
		2009-10	15	943.80	-	-
		2010-11	21	1,534.54	-	-
		2011-12	22	7,166.00	14	1,003.50
		2012-13	35	1,434.57	35	1,434.57
			127	**12,334.27**	**49**	**2,438.07**
15	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2007-08	38	503.59	-	-
		2008-09	84	463.96	54	380.18
		2009-10	93	590.63	44	361.56
		2010-11	263	1,441.23	144	985.42
		2011-12	619	1,412.46	459	795.13
		2012-13	695	2,117.30	526	1,717.97
			1,792	**6,529.18**	**1,227**	**4,240.25**
	योग (सामाजिक सुरक्षा एवं अधिकारिता)		**1,919**	**18,663.45**	**1,276**	**6,678.32**
16	2230- श्रम एवं रोजगार	2011-12	1	5.00	-	-
			1	**5.00**	**-**	**-**
	सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं					
17	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2009-10	1	3.66	1	3.66
		2010-11	1	7.65	1	7.65
		2011-12	3	15.31	1	5.00
		2012-13	6	144.99	2	75.00
			11	**171.62**	**5**	**91.31**
18	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2009-10	2	65.57	1	49.00
		2010-11	2	71.45	1	57.22
		2011-12	3	51.53	2	48.49
		2012-13	4	233.50	3	231.00
			11	**422.05**	**7**	**385.71**
	योग (सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं)		**22**	**593.67**	**12**	**477.02**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
19	2401- फसल कर्म	2011-12	27	825.50	22	625.33
		2012-13	35	2,187.69	32	1,321.51
			62	**3,013.19**	**54**	**1,946.84**
20	2403- पशुपालन	2007-08	1	50.00	-	-
		2010-11	18	197.74	-	-
		2011-12	18	2,290.95	3	136.91
		2012-13	30	2,379.66	30	2,379.66
			67	**4,918.35**	**33**	**2,516.57**
21	2404- डेयरी विकास	2012-13	20	1,483.59	-	-
			20	**1,483.59**	**-**	**-**
22	2405 मत्स्यपालन	2011-12	1	0.80	1	0.80
		2012-13	31	995.43	18	33.75
			32	**996.23**	**19**	**34.55**
23	2408- खाद्य भण्डारण एवं माल गोदाम	2010-11	1	2.49	1	2.49
		2011-12	8	20.40	8	20.40
		2012-13	12	26.99	12	26.99
			21	**49.88**	**21**	**49.88**
24	2425- सहकारिता	2010-11	8	7.06	-	-
		2011-12	44	100.96	-	-
		2012-13	59	99.94	59	99.94
			111	**207.96**	**59**	**99.94**
	ग्रामीण विकास					
25	2216- आवास	2007-08	2	25.28	2	25.28
		2008-09	18	398.59	18	398.59
		2009-10	93	515.60	93	515.60
		2010-11	58	1,104.70	58	1,104.70
		2011-12	60	1,330.65	48	982.56
		2012-13	103	1,974.41	89	1,649.68
			334	**5,349.23**	**308**	**4,676.41**
26	2501- विशिष्ट कार्यक्रम	2008-09	18	141.53	18	141.53
		2009-10	20	366.13	20	366.13
		2010-11	27	561.99	27	561.99
		2011-12	61	1648.71	61	1648.71
		2012-13	96	1057.66	87	983.69
			222	**3,776.03**	**213**	**3,702.06**
27	2505- ग्रामीण रोजगार	2008-09	2	816.89	2	816.89
		2009-10	2	224.04	2	224.04
		2011-12	9	284.86	9	284.86
		2012-13	17	3,911.91	17	3,911.91
			30	**5,237.70**	**30**	**5,237.70**
28	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2008-09	162	1,908.92	162	1,645.69
		2009-10	409	9,520.61	337	9,042.51
		2010-11	564	15,682.29	397	10,531.28
		2011-12	353	19,652.67	353	19,652.67
		2012-13	1,624	22,348.42	1624	22,348.42
			3,112	**69,112.90**	**2873**	**63,220.57**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	योग (ग्रामीण विकास)		**3,698**	**83,475.86**	**3,424**	**76,836.74**
29	2801- विद्युत	2011-12	2	212.00	2	212.00
		2012-13	1	22.50	-	-
			3	**234.50**	**2**	**212.00**
30	2810- ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत	2012-13	1	50.00	-	-
			1	**50.00**	-	-
31	2851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2009-10	86	469.95	45	332.81
		2010-11	87	728.22	49	679.49
		2011-12	100	1,759.83	64	844.15
		2012-13	71	1,596.75	71	1,596.75
			344	**4,554.75**	**229**	**3,453.19**
32	3055- पथ परिवहन	2012-13	3	7,325.60	-	-
			3	**7,325.60**	-	-
33	3435- पारिस्थितिकी पर्यावरण	2012-13	3	7.88	3	7.88
			3	**7.88**	**3**	**7.88**
34	3452- पर्यटन	1998-99	1	1.37	1	0.70
		2010-11	7	74.51	7	74.51
		2011-12	16	706.62	16	706.62
		2012-13	12	1,000.68	12	1,000.68
			36	**1,918.81**	**36**	**1,788.81**
35	3604- स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	2008-09	1	49.59	-	-
		2009-10	7	273.52	-	-
		2010-11	20	469.09	-	-
		2011-12	51	1,197.16	-	-
		2012-13	24	717.57	24	717.57
			103	**2,706.93**	**24**	**717.57**
36	2406- वन एवं वन्य जीवन (वन्य लेखा)	2011-12	7	508.42	2	44.47
		2012-13	70	647.94	22	295.87
			77	**1,156.36**	**24**	**340.34**
37	2415- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा (वन्य लेखा)	2011-12	36	9,577.01	23	4,668.53
		2012-13	52	11,292.00	22	4,838.93
			88	**20,869.01**	**45**	**9,507.46**
	कुल योग		**40,205**	**2,48,684.02**	**17,027**	**1,62,759.74**

परिशिष्ट – 3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 48)

स्वायत्त निकायों का निष्पादन दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	लेखे प्रस्तुत किए जाने की तिथि	लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब (महीनों में)	अवधि जब तक पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने की तिथि
1.	हि0प्र0 राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, शिमला	मई 2009	2012-13	29.08.2013	2 महीने	2011-12	26.08.2013
2.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, शिमला	मई 2009	2012-13	26.10.2013	4 महीने	2011-12	26.08.2013
3.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, किन्नौर	मई 2009	2012-13	30.10.2013	4 महीने	2011-12	26.08.2013
4.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला	मई 2009	2012-13	12.08.2013	1½ महीने	2011-12	26.08.2013
5.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, नाहन	मई 2009	2012-13	23.10.2013	4 महीने	2011-12	26.08.2013
6.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर	मई 2009	2012-13	28-10-2013	4 महीने	2011-12	26.08.2013
7.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, सोलन	मई 2009	2012-13	29.09.2013	3 महीने	2011-12	26.08.2013
8.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, मण्डी	मई 2009	2012-13	22.08.2013	2 महीने	2011-12	26.08.2013
9.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, ऊना	मई 2009	2012-13	28.09.2013	3½ महीने	2011-12	26.08.2013
10.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, चम्बा	मई 2009	2012-13	08.08.2013	1 महीने	2011-12	26.08.2013
11.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, कुल्लू	मई 2009	2012-13	06.09.2013	2 महीने	2011-12	26.08.2013
12.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	मई 2009	2012-13	08.08.2013	1 महीने	2011-12	26.08.2013
13.	हि0प्र0 भवन एवं निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड, शिमला	2009-10 से आगे	2012-13	02.05.2014	10 महीने	2011-12	अप्रस्तुत
14.	हि0प्र0 राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला	2005-06	2012-13	23.10.2013	4 महीने	2012-13	26.01.2014

परिशिष्ट- 3.3

(संदर्भः परिच्छेद 3.4; पृष्ठ 49)

चोरी, दुर्विनियोजन/हानि, आदि के मामलों का विभागवार तथा अवधिवार ब्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष		10 से 15		15 से 20		20 से 25		25 वर्ष से अधिक		मामलों की कुल संख्या	
		सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए
1.	शिक्षा	2	2.55	2	2.19	1	0.71	--	--	--	--	--	--	5	5.45
2.	ग्रामीण विकास	1	4.68	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	4.68
3.	कृषि	--	--	1	9.20	1	0.26	--	--	--	--	--	--	2	9.46
4.	बागवानी	1	1.54	1	0.06	--	--	1	1.29	--	--	--	--	3	2.89
5.	भू-राजस्व	--	--	--	--	--	--	1	2.57	--	--	--	--	1	2.57
6.	पुलिस	1	0.08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0.08
7.	मत्स्यपालन	1	1.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1.28
8.	राजस्व	--	--	1	0.31	--	--	--	--	--	--	1	0.02	2	0.33
9.	गृह रक्षा	--	--	--	--	2	25.37	--	--	--	--	1	0.05	3	25.42
10.	पशुपालन	--	--	1	0.17	--	--	--	--	--	--	2	0.93	3	1.10
11.	योजना निदेशक	--	--	1	2.97	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2.97
12.	स्वास्थ्य	--	--	1	0.95	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0.95
13.	वन	1	0.63	1	2.38	--	--	--	--	--	--	2	0.40	4	3.41
14.	लोक निर्माण	--	--	--	--	4	5.44	3	3.04	1	0.55	7	2.14	15	11.17
15.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	--	--	1	0.89	2	7.71	--	--	1	0.25	1	0.06	5	8.91
	योगः	**7**	**10.76**	**11**	**19.12**	**10**	**39.49**	**5**	**6.90**	**2**	**0.80**	**14**	**3.60**	**49**	**80.67**

सीः मामलों की संख्या

एः राशि (लाख में)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ 49)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/श्रेणी-वार ब्यौरा

(₹ लाख)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
शिक्षा	4	3.57	1	1.88	5	5.45
ग्रामीण विकास	2	4.68	0	0.00	2	4.68
कृषि	0	0.00	2	9.46	2	9.46
भू-राजस्व	0	0.00	1	2.57	1	2.57
बागवानी	1	0.06	2	2.83	3	2.89
मत्स्यपालन	1	1.28	0	0.00	1	1.28
पुलिस	0	0.00	1	0.08	1	0.08
राजस्व	1	0.31	1	0.02	2	0.33
गृह रक्षा	0	0	3	25.42	3	25.42
पशुपालन	1	0.17	2	0.93	3	1.10
योजना निदेशक	1	2.97	0	0	1	2.97
स्वास्थ्य	0	0	1	0.95	1	0.95
वन	0	0	4	3.41	4	3.41
लोक निर्माण कार्य	2	0.77	13	10.40	15	11.17
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	1	0.25	4	8.66	5	8.91
योग:	**14**	**14.06**	**35**	**66.61**	**49**	**80.67**

परिशिष्ट-3.5 (क)

(संदर्भ: परिच्छेद 3.5; पृष्ठ 50)

2013-14 के दौरान लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा

क्रमांक	मुख्य शीर्ष		लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	प्रतिशतता
1.	0045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	237.05	326.26	72.66
2.	0049	ब्याज प्राप्तियां	62.57	118.61	52.75
3.	0058	स्टेशनरी एवं मुद्रण	3.58	7.07	50.58
4.	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	17.24	25.95	66.43
5.	0075	अन्य सामान्य सेवाएं	3.26	5.65	57.70
6.	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	3.18	5.04	63.10
7.	0217	शहरी विकास	9.35	9.35	100.00
8.	0230	श्रम तथा रोजगार	3.49	6.77	51.55
9.	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2.86	4.84	59.09
10.	0406	वन एवं वन्य जीवन	305.86	357.83	85.47
11.	0425	सहकारिता	14.91	15.30	97.45
12.	0506	भूमि सुधार	0.20	0.20	100.00
13.	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1.88	2.54	74.02
14.	0575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.34	0.34	100.00
15.	0700	प्रमुख सिंचाई	0.21	0.21	100.00
16.	0801	विद्युत	696.29	696.29	100.00
17.	0852	उद्योग	5.28	5.28	100.00
18.	1054	सडकें एवं पुल	10.41	10.51	99.05
19.	1055	सड़क परिवहन	1.06	1.06	100.00
20.	1425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.20	0.20	100.00
21.	1452	पर्यटन	0.39	0.58	66.24
		योग	**1,379. 61**	**1,599.88**	**86.23**

परिशिष्ट-3.5 (ख)

(संदर्भ परिच्छेद 3.5; पृष्ठ 50)

क: 2013-14 के दौरान लघु शीर्ष 800- 'अन्य व्यय' के अंतर्गत राजस्व व्यय का विवरण

(₹ करोड़)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष		लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	लघु शीर्ष-800 सहित कुल व्यय	प्रतिशतता
1.	2075	विविध सामान्य सेवाएं	21.05	21.55	97.68
2.	2407	पौधरोपण	1.07	1.12	95.54
योग			**22.12**	**22.67**	**97.57**

ख: 2013-14 के दौरान लघु शीर्ष 800- 'अन्य व्यय' के अंतर्गत पूंजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष		लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	लघु शीर्ष 800 सहित कुल व्यय	प्रतिशतता
1.	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3.62	3.62	100.00
2.	4225	अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	8.37	14.00	59.78
3.	4235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.85	5.05	76.24
4.	4701	मध्यम कृषि	26.35	38.40	68.62
5.	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजना	27.39	39.27	69.75
6.	4851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	14.55	16.40	88.72
7.	5452	पर्यटन	2.00	2.03	98.52
8.	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	78.00	78.00	100.00
योग			**164.13**	**196.77**	**83.41**

परिशिष्ट - 4

शब्दावली

क्रम संख्या	शब्द	विवरण
1.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन संस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आदि हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
2.	राज्य सकल घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके तथा अन्य चालू कीमतों पर अन्य सभी कारकों से उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की अनुक्रियाशीलता की मूल्य-सापेक्षता अथवा अवस्था को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धि की ओर अभिमुख होगी।
4.	विकास व्यय	व्यय के आंकड़ो को विकास एवं गैर विकास व्यय में विश्लेषित किया गया है। राजस्व लेखों, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बद्ध समस्त व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय का निर्माण करती है जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है।
5.	ऋण धारणीयता	ऋण धारणीयता को एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अनुरक्षण करने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसकी ऋण व्यवस्था करने की क्षमता के बारे चिन्ता भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल सम्पतियों की पर्याप्तता तथा ऐसे उधारों से होने वाली आय के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के मध्य संतुलन रखने के लिए क्षमता का उल्लेख भी करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।
6.	ऋण स्थिरीकरण	स्थिरता हेतु आवश्यक शर्त स्पष्ट करती हैं कि यदि आर्थिक वृद्धि की दर ब्याज दर अथवा लोक उधार की लागत से अधिक होती है तो ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर रहने की सम्भावना है बशर्ते कि प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा सामान्य रूप से ऋणात्मक है। यदि दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) तथा प्रमात्रा विस्तार (ऋण* दर विस्तार) दिया गया हो तो ऋण धारणीयता स्थिति स्पष्ट करती है कि यदि प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार शून्य है, ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा विस्तार सहित प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी तथा यदि यह धनात्मक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में अन्ततः गिरावट होगी।
7.	गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।

8.	उधार निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों के प्रति ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा उस सीमा को इंगित करता है जिसके लिए ऋण प्राप्तियों का निवल उधार निधियों की उपलब्धता दर्शाते हुए ऋण विमोचन में उपयोग किया जाता है।
9.	गैर-ऋण प्राप्तियां	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
10.	गारंटियां	गारंटियां कर्जदार, जिसकी गांरटी दी गई है, द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं है।